Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ५९वां दिवस [संख्या ३६

बुधवार, १५ अप्रेल, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री मुरलीधर व्यास।

बांसवाड़ा में समाजवादियों पर लाठी चार्ज

१०४१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि बांसवाड़ा ज़िले में समाजवादियों द्वारा होने वाले सत्याग्रहियों पर कांग्रेस व कलेक्टर के हुक्म से लाठी चार्ज किया गया तथा कलेक्टरी के अहाते में लगे एक ही लाउड स्पीकर पर दोनों बोले ?

(२) क्या यह सत्य है कि सत्याग्रहियों के व सदन के सदस्य श्री हीराभाई को हथकड़ियां लगाई गईं ?

(३) क्या यह सत्य है कि कई सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर कोसों दूर ले जाकर छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो किस कानून के द्वारा ?

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं। सत्याग्रहियों को बाहर ले जाकर नहीं छोड़ा गया।

श्री मुरलीधर व्यास : जब यह प्रश्न के भाग १ में पूछा गया कि क्या कांग्रेस व कलेक्टर के हुक्म से सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज किया गया और कलेक्टरी के अहाते में लगे एक ही लाउड स्पीकर पर दोनों बोले, तो इसके उत्तर में बताया कि नहीं। लेकिन दोनों एक साथ बोले या नहीं ?

Page No.2

श्री रामकिशोर व्यास : 'जी नहीं' जवाब दिया।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : सुनाई नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष : 'नहीं' उत्तर दे रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरे में यह पूछा गया कि क्या हीराभाई के हथकड़ी लगाई गई ? इसका जवाब सुना नहीं क्या कहा, "जी हां" या "नहीं"।

श्री रामकिशोर व्यास : जवाब दे दिया।

श्री गिरधारीलाल : जवाब दुबारा दे दिया जाय, सुना नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास : फिर सुन लीजिये।

(१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह दूर ले जाकर नहीं छोड़ा गया यह किस आधार पर आपने कहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास जो सूचना आई है उस आधार पर कहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहना चाहता हूँ क्या यह बात सत्य नहीं है कि वहां से सैकड़ों लोगों को ले जाकर बहुत दूर पचासों मील दूर ले जाकर छोड़ा गया और आप फरमाते हैं 'नहीं' ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका जवाब दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : वे स्पष्ट तौर से कह चुके नहीं छोड़ा है।

श्री मुरलीधर व्यास : सारी चीजों से वे इन्कार कर रहे हैं,तो फिर क्या पूछा जाय ? तो क्या यह माना जाय इस प्रकार से पचासों आदमियों को दूर ले जाकर छोड़ा गया यह जो शिकायत है गलत है ?

श्री रामकिशोर व्यास : This is for the Hon'ble member think,

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि श्री हीराभाई को जो पकड़ा गया वह एक वकील श्री सोहनलालजी के घर से उनको पकड़ कर ले गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मुझे पकड़ कर वकील के यहां से ले गये थे। मैंने पूछा क्या आपके पास मेरी गिरफ्तारी का वारन्ट है इस पर मुझे पुलिस ने मारा।

श्री रामकिशोर व्यास ; मारपीट की बात गलत है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उसके पहले क्या स्पीकर महोदय की इजाजत ली गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले इजा-

Page No.3

(श्री रामकिशोर व्यास)

जत लेने का सवाल नहीं है गिरफ्तारी के बाद अध्यक्ष महोदय को सूचना दे दी गई थी।

श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : क्या यह सही है कि श्री हीराभाई के हथकड़ी डाली गई और सैकड़ों लोगों को मध्यप्रदेश के इलाके में दूर ले जाकर छोड़ा गया ?

श्री अध्यक्ष : वे कह चुके थे ऐसा नहीं किया गया।

एक माननीय सदस्य : जिनको हथकड़ी लगाई वे कह रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल : माननीय सदस्य जिनके हथकड़ी लगाई गई वे कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट की गई है इस सम्बन्ध में अच्छा हो कि माननीय सदस्य का वक्तव्य ले लिया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया है कि ऐसा नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : If it is so, they can have a legal remedy.

श्री हीराभाई : जो गृह मंत्रीजी ने उत्तर दिया वह हमें दबाते हुए उत्तर दिया। हम लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा और सैकड़ों आदमियों को मारा पीटा यहां तक कि कुछ आदमियों को बन्दूक के कुन्दे से भी मारा गया।

श्री अध्यक्ष : वे बिल्कुल इन्कार कर रहे हैं। आपने जो पूछा उसके लिये वे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया।

श्री हीराभाई : इस विषय में जांच करने के लिये आप कमेटी मुकर्रर कर दें। मैं मांग करता हूँ कि इस जांच में हर एक पार्टी के समाजवादी, कांग्रेस और जनसंघ आदि सभी के सदस्यों की कमेटी मुकर्रर कर दें।

श्री रामकिशोर व्यास : कमेटी की आवश्यकता नहीं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री ने जांच करना आवश्यक नहीं समझा विधान सभा सदस्य जब कह रहे हैं उनके साथ मारपीट की गई और सरकार कहती है कि कोई ज्यादती नहीं हुई वैसी हालत में जो यहां जवाब दिया गया वह किस आधार पर दिया गया ? क्या केवल प्रश्न भेज कर उसका उत्तर मांगा गया या जांच करवाई गई ?

श्री अध्यक्ष : इन्क्वायरी करके ही कलेक्टर ने अपने ज़िले से यह जवाब भेजा है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या कलेक्टर ने इस बात की जांच की है या केवल प्रश्न का जवाब भेजा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हमने प्रश्न का जवाब तलब किया था वह उन्होंने भेजा है।

श्री भैरोंसिंह : तो यह माना जाय कि इन्क्वायरी नहीं की गई केवल क्वेश्चन का जवाब मांगा गया था जो भेजा गया है ? ऐसी

(श्री भैरोंसिंह)

स्थिति में जब कि सदन के एक माननीय सदस्य आरोप लगाते हैं तो क्या इस सम्बन्ध में आप जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : फेक्चुअल जो चीज़ थी जिस चीज़ का जवाब आपने अपने सवाल में मांगा था उसके बारे में जो जवाब आया वह मैंने आपको बता दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस स्थिति में कलेक्टर के रिपोर्ट के मुकाबले सदन के एक माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया कि जो जवाब आप दे रहे हैं वह झूंठा है आप किसको महत्वपूर्ण समझते हैं ? आप किस को झूंठ और किसको सही मानते हैं ? इस बात की इन्क्वायरी कराने के लिये आपको तैयार होना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें मार-पीट का एलीगेशन नहीं है ये तो अब यह एलीगेशन लगा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब कि सदन के एक माननीय सदस्य कह रहे हैं और यह भी सदन में, वैसी हालत में आप जांच करवायेंगे या नहीं ?

श्री मुरलीधर व्यास : स्पेसिफिकेली कोई बात करें, तो करवायेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : मंत्री महोदय विधान सभा के एक माननीय सदस्य को हथकड़ी लगाकर बाज़ार में इस प्रकार घुमाना कहां तक उचित समझते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत से आदमी पकड़े गये थे।

श्री मुरलीधर व्यास : सत्याग्रही के हथकड़ी लगाना कहां तक ठीक है ?

श्री रामकिशोर व्यास : रूल्स में है यह।

श्री मोगजी भाई : पुलिस के सिपाहियों ने मारपीट की और काफी लोग मारपीट में घायल हुए। पुलिस ने वहां लाठी चार्ज किया। कुछ वहां के अस्पताल में भर्ती किये, उनकी साल संभाल तक नहीं की गई। क्या माननीय मंत्री महोदय यह कहते हैं कि इस प्रकार की घटना नहीं हुई ? मैं कहता हूं कि आप जांच करायें। वहां पर लाठी चार्ज हुआ उसमें लोग सख्त घायल भी हुए। उस पर अस्पताल में भेजा गया वहां पर किसी प्रकार का इलाज नहीं हुआ। ऐसी स्थिति जब पैदा हुई थी कि १४४ धारा लगी हुई थी वहां पर लाठी चार्ज हुआ क्या इसका पुलिस जवाब देगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं किस बात का जवाब दूं।

श्री अध्यक्ष : लाठी चार्ज हुआ या नहीं ?

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसे मामलों में अध्यक्ष महोदय, जो इस प्रकार एक दूसरे से विपरीत बातें कही जाती हैं उसके लिये एक कमेटी बैठा दी जाय नहीं तो प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं है। माननीय सदस्य जिनके साथ यह वाक्या हुआ है वे कह रहे हैं कि यह जवाब जो दिया जा रहा है बिल्कुल गलत है। गृह मंत्री कहते हैं गलत नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं गलत है वैसी हालत में इसकी जांच करवा ली जाय, जांच करवा कर देख लिया जाय।

Page No.5

श्री अध्यक्ष : जांच करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। क्योंकि यदि माननीय सदस्य जैसा व्यवहार पुलिस ने उनके साथ किया उसको गैर कानूनी समझते हैं तो उनके लिये अदालतें खुली हैं, वहां जाकर वे इस चीज़ को साबित कर सकते हैं। सदन में बैठ कर यह साबित नहीं कर सकते कि आप ठीक कह रहे हैं या क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : अदालतों का सवाल अलग है। विधान सभा के माननीय सदस्य जिनके साथ यह वाका हुआ है वे कहते हैं यह वस्तुस्थिति सही है और मंत्री महोदय कहते हैं वह सही नहीं है वैसी हालत में इसकी जांच तो होनी ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इसकी जांच अदालतें कर सकती हैं। माननीय सदस्य के साथ अगर गैर कानूनी बात हुई है तो वे अदालत में जा सकते थे और वहां यह कह सकते थे कि मेरे साथ यह कानून के खिलाफ़ कार्यवाही हुई है। उत्तर जो दिया गया है उसको गलत नहीं माना जा सकता।

श्री हीरा भाई : आप अदालतों की फ़रमा रहे हैं। हमने इस बारे में चिट्ठी चीफ़ मिनिस्टर साहब को भेजी। कलेक्टर के पास रिपोर्ट दी, एस० पी० को दी और उसकी प्रतिलिपि आपको भी भेजी थी। आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। यहां मंत्रीजी सारी स्थिति को बर्बाद करने के लिये, हमारे प्रश्न को ठुकराने के लिये ऐसा कह रहे हैं। मुझे वकील के घर से बैठे हुए गिरफ्तार किया गया जिसमें दो हैडकॉन्स्टेबिल थे। मैं न तो जुलूस में था फिर भी मुझे गिरफ्तार किया गया, गलत तौर से अरेस्ट किया गया। अदालतों में जाकर क्या करता जब कि रिपोर्ट मैंने चीफ़ मिनिस्टर, एस० पी० और कलेक्टर को भेज दी थी।

श्री रामकिशोर व्यास : आपको अरेस्ट किया तथा अदालत द्वारा कनविक्शन हुआ।

श्री अध्यक्ष : देखिये उत्तर जो दिया गया है वह ठीक है। अगर आपके साथ कोई गैर कानूनी कार्यवाही हुई है। जिसको आप गैर कानूनी समझते थे। उसके लिये आपको अदालतों में जाना चाहिये था।

श्री मोगाजी भाई : कुछ मेरी अर्ज सुन लीजिए।

श्री भैरोंसिंह : मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। इसमें सवाल यह है कि सदन का एक माननीय सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया, उनके साथ ज्यादती की गई। इसकी शिकायत की गई, इस पर जिस प्रकार की इन्क्वायरी होनी चाहिये वैसी इन्क्वायरी नही हुई, न कलेक्टर ने इन्क्वायरी की न एस० पी० ने की। अब माननीय सदस्य का यह कहना है कि उनके साथ गिरफ्तारी के बाद सख्ती हुई। अब उसको कोर्ट में चेलेन्ज करने की आवश्यकता नहीं। पर जिन्होंने सख्ती की, उनके खिलाफ़ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है। जब माननीय सदस्य इस प्रकार का आरोप लगावें कि उन्होंने जैसे कहा कि मैंने आवेदन पत्र दिया और उसमें की गई ज्यादतियों का उल्लेख किया पर आज तक उनकी इन्क्वायरी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में जिस मामले की इन्क्वायरी हो सकती है, उस इन्क्वायरी में शिकायत करने वाले माननीय सदस्य की

(श्री भैरोंसिंह)

एविडेन्स भी ली जा सकती है, उसमें यह सब न करके केवल उस पर कलेक्टर की रिपोर्ट लेकर कह दें कि वे आरोप गलत है तो एक तरह से तो यह भी तरीका अच्छा नहीं है। जब माननीय सदस्य उन चार्जेज़ को एस्टेब्लिश करने को तैयार हैं। तो सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहिये कि वह भी जांच कराने को और जिस तरह से जांच होती है उस तरह से कराने को तैयार हैं और उस जांच के परिणाम स्वरूप जिस अधिकारी या कर्मचारी को दोषी पावेंगे उसे उचित दंड देंगे। इस तरह से किसी सदस्य की इज़्ज़त को खराब करवाना अच्छा नहीं है। सरकार को गुनाहगार को दंड देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अगर आपको उनकी जांच से सन्तोष नहीं है तो और करवाई जा सकती है।

श्री रामकिशोर व्यास : सोशलिस्ट पार्टी की ओर से एजीटेशन किया गया, उस पर अरेस्ट हुई। अगर उनको सख्तियों की शिकायत है तो लीगल एविडेन्सेज़ देकर वे कोर्ट में जा सकते हैं। उन्होंने पहले भी शिकायत की उस पर हमने जवाब तलब किया वहां के अधिकारियों से और उनकी ओर से कहा गया कि यह सही नहीं है। तो इस आधार पर ये सारी बातें हुई हैं। आज क्वेश्चन से पहले भी इनकी कम्प्लेन्ट आई थीं।

श्री भैरोंसिंह : जवाब तलब करना इन्क्वायरी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : समाजवादी पार्टी ने एक आन्दोलन किया। उन्होंने कुछ मांगें कीं। उनको मांगने से जो कठिनाइयां आने वाली थीं, उनको मालूम था।

श्री भैरोंसिंह : पांचवीं सरकार जवाब दे रही है या तीसरी सरकार।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सरकार एक ही है। हथकड़ी लगाना, जेल जाना, अदालतों में जाना ये सारी बातें मानकर चले थेऔर वे ही बातें हुई। इस पर बदसलूकी की, ज्यादती की और बहुत बातों की शिकायत की गई। उस पर सरकार ने हाउस में निश्चित तौर से जब यह कह दिया कि कोई गैर कानूनी कार्यवाही नहीं की गई, न किसी तरह का बदसलूक किसी के साथ किया गया है। तो जब निश्चित तौर से कह दिया गया तब फिर यहां बार बार कहना कहां तक ठीक है? इस सदन में सच झूठ का निर्णय कभी भी नहीं निकला जा सकता। उनको इस पर कोई ऐतराज था तो अदालत में जाते; आन्दोलन करके आप स्थिति पैदा करें और फिर इस तरह इन्क्वायरी बिठाते जावें तो इसके बारे में फिर रोज़ रोज़ कमेटियां बिठाते रहें और यह मामला चलता रहेगा तो सरकार के पास और भी काम हैं।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोले व खड़े हुए)

श्री मुरलीधर व्यास : मन्त्री महोदय, ने क्या बात सुनाई, क्या बात बोली हमारे कुछ समझ में नहीं आया। जिस चीज़ का

Page No.7

[redacted]

(श्री मुरलीधर व्यास)

जवाब चाहते थे उसका तो जवाब मिला नहीं इन्क्वायरी के सम्बन्ध में ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा है इन्क्वायरी करवा दी । इन्क्वायरी हो गई और नतीजा यह निकला कि आरोपों में सत्यता नहीं निकली ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह इन्क्वायरी किसने की ।

श्री रामकिशोर व्यास : कलेक्टर ने ।

श्री भैरोंसिंह : जिनकी शिकायत थी, उनको भी पूछा या नही ? जांच आपने भलीभांति कर ली होगी । उनको पूछना था पर उनको नहीं बुलाया ।

श्री मोगजी भाई : अध्यक्ष महोदय, यह इन्क्वायरी....

श्री अध्यक्ष : यह बहस का प्रश्न नही है ।

श्री मोगजी भाई : अध्यक्ष महोदय, आप न तो किसी पार्टी पोलिटिक्स में है, न कुछ और । आप सभा के अध्यक्ष हैं । इसलिये आपसे निवेदन करूंगा कि उन लोगों की इन्क्वायरी में हमें विश्वास नहीं । इसमें जिनको तलब करना था, किसी को भी तलब नहीं किया । न मेरे को किया, न औरों को तलब किया । इसलिये सदन में जो है, माननीय सदस्य ने प्रश्न पेश किया है तो फिर ठीक जांच कराने के लिये आप उन पर दबाव दें ।

श्री अध्यक्ष : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि सदन ऐसी जांच नहीं करा सकता । अब सरकार की जांच से आपको सन्तोष नहीं है तो अदालतें हैं । वे तो निष्पक्ष हैं ।

श्री भैरोंसिंह : डिपार्टमेंटल जांच चाहते हैं । आप हमें इस मामले में प्रोटेक्शन दें । एक पुलिस का अफसर जांच करे और सरकार कहे कि जांच कर ली और जांच में कोई एविडेन्स उस कम्प्लेनेन्ट से न ली गई । सरकार ने कलेक्टर को जांच के लिए कहा और उसने कह दिया कि यह गलत है और सरकार ने मान लिया उसकी बात को तो ठीक और इस सदन का एक माननीय सदस्य बोलता है तो उसे ठीक नही मानती, तो इसलिये इस सम्बन्ध में हम आपका प्रोटेक्शन चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : सवाल प्रोटेक्शन का नहीं है । सरकार अपनी तरफ से जांच करवाती है अगर आपको उससे असन्तोष है तो कानून का रास्ता खुला है । यहां इस तरह की बहस से कोई निर्णय तो नहीं होता ।

श्री भैरोंसिंह : हम प्रोटेक्शन सीक करते हैं केवल...

श्री किशनलाल शाह (नांवां) : Sir, the main thing is that the opponent should be heard and given an opportunity to substantiate the allegations.

श्री रामकिशोर व्यास : आपका सवाल यह है कि क्या यह सत्य है कि बांसवाड़ा ज़िले में....

श्री अध्यक्ष : सवाल तो जांच का है,

[redacted]

(श्री अध्यक्ष)

शिकायत की है उन्होंने । आपने उसकी जिस तरह से जांच करवाई उससे उनको सन्तोष नहीं है । दुबारा जांच करवाना चाहते हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : इसके बाद तो और भी सवाल पूछे गये थे और उनका जवाब सदन में दिया गया है ।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : आपने उनको हथकड़ियां पहनाई क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : वहां जाकर वे सरकार के काम में रुकावट डालेंगे, करेंगे तो यह उनको करने नहीं दिया जावेगा ।

श्री मोहरसिंह : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं । मैं तो....

श्री मुरलीधर व्यास : पुलिस एक्ससेज़ की शिकायत सरकार को की गई क्या उसकी जांच करवाई या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्या यह शिकायत की है, कहां है यह ?

श्री मुरलीधर व्यास : उन्होंने कहा कि मैंने शिकायत की है ।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास जनरल शिकायत आई थी उनकी । निश्चित शिकायत नहीं आई थी उनकी ओर से ।

श्री भैरोंसिंह : जनरल कम्पलेन्ट हो या स्पेसिफिक ? क्या उसकी जांच का कोई प्रोसीज़र ले डाउन नहीं है ? और फिर एक रेस्पोन्सिबल व्यक्ति सदन का माननीय सदस्य शिकायत करता है तो सरकार को उसकी जांच में पर्टिक्युलर होना भी चाहिये था ।

श्री रामकिशोर व्यास : We have done it.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर जनरल कम्पलेन्ट भी आपके पास आई थी तो उसकी भी जांच ठीक तरह से करनी चाहिये थी उनकी गवाही लेनी थी ।

श्री मुरलीधर व्यास : कृपया जब एक माननीय सदस्य चाहते हैं कि उसकी विभागीय जाच ठीक तरह से हो तो क्या फिर से उसकी ठीक जांच करने के लिये सरकार से कहा जावेगा ? कम्पलेनेन्ट को भी सुना जावे । तो दुबारा सही जांच कराने को क्या सरकार तैयार है ?

श्री अध्यक्ष : पहले तो आपने जनरल कम्पलेन्ट की, फिर जांच उसकी उसी तरह से कराई गई तो आप उससे सन्तुष्ट नहीं, तो पहले तो स्पेसिफिक शिकायत करिये । अब आप निश्चित तौर से लिखकर दीजिये कि अमुक अमुक प्रकार की निश्चित स्पेसिफिक शिकायत आपको है । फिर वे जांच करावेंगे ।

श्री रामकिशोर व्यास : स्पेसिफिक कम्पलेन्ट करेंगे तो वी विल सरटेनली एन्क्वायर ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) : मैं तो यह चाहता हूं कि जांच करावें उनके पास शिकायत की गई थी ।

श्री अध्यक्ष : अब देखिये, दूसरा प्रश्न आ गया है। आपको उनके जवाब से सन्तोष होना चाहिये। आप अगर स्पेसिफिक शिकायत करेंगे तो वे जांच करावेंगे ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है।

श्री हीराभाई (कुशलकढ़) : शिकायत करवा चुके हैं पर उसकी उन्होंने कोई जांच नहीं की। इसलिये आपके पास शिकायत पेश कर रहे हैं। आप कैसे टालबाजी कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : मेरे कहने से तो स्वीकार किया है, फिर से जांच वे करवाएंगे, आप अपनी स्पेसिफिक कम्पलेन्ट उनके पास करें। वे जांच करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है।

श्री हीरजी भाई : जो कम्पलेन्ट की है उसकी डिपार्टमेन्टल जांच के लिये मन्त्री महोदय को कहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : वही तो कह रहा हूं। वे कह चुके हैं दुबारा जांच कराने के लिये आप निश्चित तौर से शिकायत करिये। आप सुनते तो हैं नहीं, कहते जाते हैं। सदन में क्या कार्यवाही चल रही है उसे आप सुनें।

श्री रामकिशोर व्यास : We are ready to enquir...

प्रश्न संख्या १०४२

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

पूंगल (बीकानेर) के थानेदार गुरुबक्ससिंह के विरुद्ध शिकायत

१०४३. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पूंगल (ज़िला बीकानेर) के थानेदार सरदार गुरुबक्ससिंह को तारीख २० नवम्बर को बीकानेर पुलिस ने गिरफ्तार किया ? अगर हां, तो किस जुर्म में ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त थानेदार बीकानेर शहर के प्रमुख तस्कर व्यापारियों के के साथ मिल कर तस्कर व्यापार करता रहा है ?

(३) उपरोक्त थानेदार की जमानत किस व्यक्ति ने दी ?

(४) क्या सरकार के ध्यान में है। कि बीकानेर शहर में एक बहुत बड़ा गैंग है जो कि पुलिस कर्मचारियों के साथ मिल कर तस्कर व्यापार करता रहता है और जिसकी सूचना बीकानेर के नागरिकों ने सरकार को समय समय पर दी है ? अगर हां, तो उस गैंग के प्रमुख व्यक्तियों को सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं करती ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां। यह आरोप धारा १६१ आई० पी० सी० और प्रोवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट की सेक्शन ५ में गिरफ्तार किया गया।

(२) जी नहीं। ऐसी कोई चीज़ नोटिस में नहीं आई है।

(३) श्री मालसिंह, पुत्र रामसिंह जाट सिख,

(श्री रामकिशोर व्यास)

निवासी बीकानेर और श्री रामसिंह पुत्र मालसिंह, निवासी गंगागढ़, तहसील हनुमानगढ़ ने सब-इन्सपेक्टर की जमानत दी।

(४) जी नहीं। तस्कर व्यापारियों की कोई भी गैंग बीकानेर में पुलिस अधिकारियों से मिली हुई नहीं पाई गई है।

बीकानेर जनता ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं की। तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही उस समय की जावेगी जब कि नियम भंग करने की बात पाई जावेगी।

इस पर इतना और निवेदन कर दूं कि यह केस सबजडिस है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या इस मुकद्दमे का चालान कोर्ट में कर दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी इन्क्वायरी हो रही है एन्टी करप्शन में।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : फिर सब-जडिस कैसे हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो उसी वक्त से हो जाता है।

श्री पी० के० चौधरी : How can it be sub-judice ?

श्री रामकिशोर व्यास : As soon as the man is arrested and produced before the court, the case becomes sub-judice.

श्री पी० के० चौधरी : He is produced before the court for remand only and not for trial.

श्री अध्यक्ष : But then the court is competent to call for the record and to recall the accused. They are series of the matter.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने इस बात का निर्णय ले लिया है कि कोर्ट में इस केस का चालान नहीं किया जावे ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो मामले की तफ़तीश कर रहे हैं उन डी० आई० एस० पी० का ट्रांसफर कर दिया गया है और मुकद्दमे को फाइल कर देने का ऑर्डर एस० पी० ने जारी कर दिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मेरी नॉलेज में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजगढ़-झुंझुनूं सड़क पर रेलवे स्टेशन सादूलपुर के पास गेट

१०५४. **श्री मोहरसिंह** (चुरू) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार को विदित है कि चुरू ज़िले की राजगढ़-झुंझुनूं सड़क पर जो रेलवे स्टेशन सादुलपुर के पास रेलवे लाइन पर से गुज़रती है कोई गेट नहीं है ?

(श्री मोहरसिंह)

(ख) क्या यह सही है कि रेल्वे वालों ने रेल्वे लाईन पर जहां से सड़क गुज़रती है खाइयां खोदकर मोटरों का यातायात रोक दिया है। जिससे मोटर मालिकों को व जनता को काफी असुविधा हो रही है?

(ग) यदि हां, तो इस असुविधा को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) रेल्वे से लिखा पढ़ी की जा रही है जवाब आने पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

श्री मोहरसिंह : कितने दिन हो गए लिखा पढ़ी करते हुए?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने २८ तारीख को एक दरख्वास्त दी थी और हमने उसी दिन चिट्ठी लिख दी। उसके बाद में ऐसा है कि रेल्वे ऑथोरिटीज़ ने डिविज़नल सुप्रिन्टेन्डेन्ट को लिखा था और उन्होंने इसके लिए अपनी सब-ऑर्डिनेट ऑथोरिटीज़ को मूव किया है और उनका इन्टरिम जवाब दिया है कि उनकी राय आने पर आपको सूचना दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

जयपुर नगर विकास मण्डल के मेम्बर्स

१०४५. **रावराजा श्री सरदारसिंह,** (उनियारा श्री लक्ष्मीचन्द द्वारा पूछा गया।) क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि जयपुर में कोई नगर विकास मण्डल है? अगर हां, तो इसकी कब स्थापना हुई, इसके कौन कौन सदस्य हैं और उनकी क्या क्या योग्यता है?

(ख) म्युनिसिपल बोर्ड जयपुर और नगर विकास मण्डल जयपुर के फरायज एक ही हैं या कोई अन्तर है अगर कोई अन्तर है तो क्या?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां, उसकी स्थापना सन् १९५४ में हुई। इसके निम्नलिखित मनोनीत सदस्य हैं :

१. श्री देवीशंकर तिवारी एम० ए०, एलएल० बी० चेयरमैन

२. श्री रमेशचन्द्र शर्मा बी० कॉम० एलएल बी० सदस्य

३. श्री बी० एन० काक बी० ए० सदस्य

४. श्री के० एन० भार्गव बी० एससी०, सी० ई० (रुडकी) एम० आई० ई० सदस्य

५. श्री पी० एन० कौल मेट्रिक (अवकाश प्राप्त आर० ए० एस० ऑफिसर) सदस्य

६. श्री बी० आर० भटनागर बी० एससी० (आगरा), इ० एन० जी० (लन्दन) सदस्य

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

७. श्री बी० मुदगल बी० ए० एलएल० बी०, आर० एस० एस० सदस्य

८. श्री सरदारमल सिंधी बी० ए०, एलएल० बी० सदस्य

नगर विकास मण्डल के ये ८ सदस्य हैं।

(ख) दोनों के कार्य पृथक पृथक हैं। नगर विकास मण्डल अपने क्षेत्र में योजनायें बना कर उसी क्षेत्र का विकास करता है तथा उस क्षेत्र की सफ़ाई, स्वास्थ्य रक्षा का भार नगरपालिका पर रहता है।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह नगर विकास मण्डल के सदस्य किस प्रकार से मनोनीत किये जाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ तो गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स हैं और कुछ प्रोमिनेन्ट पब्लिक मैन हैं।

श्री मुरलीधर व्यास, (बीकानेर सीटी): यह सदस्य किस आधार पर लिए जाते हैं ? क्या निश्चित आधार हैं कि कौन कौन आदमी लिये जा सकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेन्ट को नोमीनेट करने की पॉवर्स हैं। ऑफिसर्स से रिपोर्ट ली जाती है, यह आधार है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या नगरपालिका और नगर विकास मण्डल के कुछ कार्य और कर्त्तव्य अलग अलग हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नगर विकास मण्डल तो डवेलपमेन्ट करता है उस हिस्से का और दूसरे नगरपालिका के ऊपर उसके स्वास्थ्य की ज़िम्मेदारी रहती है।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

स्टेट कैरेज द्वारा प्रतिदिन अधिकतम सफ़र की सीमा

१०४६. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या राजस्थान में ऐसा कोई नियम है कि एक स्टेट कैरेज प्रति दिन अधिक से अधिक औसतन कितनी सफर कर सकती है ?

(ख) यदि इसके बारे में कोई नियम नहीं है तो क्या जनता की सुविधा को देखते हुए सरकार इसके बारे में कोई नियम बनायेगी ?

(ग) उदयपुर रीज़न में प्रत्येक स्टेट केरेज कितना औसत दैनिक सफर करती है ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) जी नहीं।

(ख) मामला एस० टी० ए० के विचाराधीन है।

(ग) उदयपुर रीज़न में अधिक से अधिक एक गाड़ी १४० मील और कम से कम २५ मील रोज़ सफर करती है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जो गाड़ियां चलती हैं तो क्या सब का एवरेज़ एक ही पड़ता है या उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ?

Page No.13

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी कोई लिमिट फिक्स तो हुई नहीं थी । अब कई रूट पर गाड़ियां चल रही थीं और कन्जेस्टेड हैं जिससे एवरेज कुछ गाड़ियों को कम मिलता है और कुछ रूट्स ऐसे हैं कि जिन पर कम गाड़ियां हैं तो वहां माइलेज़ ज्यादा पड़ जाता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड द्वारा जयपुर शहर में प्लॉट्स नीलाम

१०४९. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, १६५८ में किन किन व्यक्तियों को जयपुर शहर में अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड द्वारा मकान बनाने के लिए किस किस दर से कितनी कितनी कीमत में प्लॉट्स दिये गये और कहां कहां ?

(२) जिनको प्लॉटस दिये गये उन्होंने प्लॉट्स प्राप्त करने के लिए कब कब दरख्वास्तें पेश की थीं ।

(३) प्लॉट्स देने सम्बन्धी निर्णय इन दरख्वास्तों के ऊपर अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड की किस किस बैठक में लिया गया तथा इन बैठकों में कौन कौन सदस्य उपस्थित थे ?

(४) जिन प्लॉट्स का (पब्लिक ऑक्शन नहीं हुआ उनकी दर तथा कीमत किस आधार पर निश्चित की गई ?

(५) क्या यह सही है कि कुछ प्लॉट्स ऐसे स्थानों पर भी दिये गये हैं जहां प्लॉट्स दिये जाने की मुमानियत थी ? कृपया उत्तर से सम्बन्धित तालिका सदन की मेज पर रखें ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो इसका उत्तर मिला है वह साफ लिखा हुआ नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप साफ़ कॉपी देख लीजिए ।

श्री भैरोंसिंह : इसमें तो कुछ भी पता नहीं लगता है । कई तारीखें इसमें ऐसी लिखी हुई हैं कि जो साफ़ नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : जिसके बारे में आपको डाउट है उसके बारे में पूछ लीजिए ।

श्री भैरोंसिंह : डाउट तो मुझे सभी के बारे में है । सन् ५७ में, ५८ में और ५६ में एप्लीकेशन दी हैं और प्लॉट्स मिल गए हैं इन सब की तारीख साफ नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : यह तो वही स्वीकार करते हैं । मेरे ख्याल से मना नहीं करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : पर मुझे तो एक एक के बारे में पूछना है । मैं कई ऑफिसर्स के बारे में पूछना चाहता हूं कि उन्होंने एप्लीकेशन्स कौन सी तारीख को दी हैं । कई एप्लीकेशन्स ऐसी हैं कि आज एप्लीकेशन दी गई और परसों की बैठक में उनको प्लॉट अलॉट हो गया ।

श्री अध्यक्ष : सरकार तो पहले ही स्वीकार कर चुकी है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार....

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : मुझे जवाब तो दे देने दीजिए ।

Page No.14

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(१) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(२) प्रार्थना पत्र देने की तारीख प्रश्न नम्बर १ की सूची में दे दी गई है।

(३) सदन की मेज़ पर तालिका रखवा दी गई है।

(४) जयपुर नगर में सी स्कीम, बनी पार्क तथा आदर्श नगर की दरें सरकार द्वारा पहले ही निर्धारित हैं।

(५) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न नम्बर ३ में जो तालिका पेश की है उसके अन्दर सेक्रेटरी, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड का नाम नहीं है, तो क्या यह माना जाय कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड की जितनी भी बैठकें होती हैं उनमें सेक्रेटरी भाग नहीं लेते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सेक्रेटरी वहां पर मेम्बर की हैसियत से नहीं बैठता है, वह तो इसका सेक्रेटरी है।

श्री भैरोंसिंह : वह सेक्रेटरी मेम्बर हैं या केवल सेक्रेटरी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर वह मेम्बर सेक्रेटरी है तब तो जरूर वह बैठता होगा। मेरे ख्याल से वह मेम्बर सेक्रेटरी नहीं है। इनसे पहले जो थे वह सेक्रेटरी मेम्बर थे और अब मेम्बर सेक्रेटरी नहीं बनाये हैं, मेरा ऐसा ख्याल है।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह मेम्बर सेक्रेटरी हैं और वह मीटिंगों में भाग लेते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या इन नियमों के अनुसार जिस व्यक्ति की दरख्वास्तें अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत करते हैं उसको बैठक में भाग नहीं लेना चाहिए, ऐसे नियम थे क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसे कोई नियम नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह सही है कि सरकार की ओर से इस प्रकार के कोई आदेश नहीं हैं कि यदि किसी मेम्बर की कोई दरख्वास्त है और उस पर विचार किया जाये तो वह मेम्बर वहां पर उपस्थित रह सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि जो रूल्स बने हुए हैं वह गजेट में भी पब्लिश हो चुके हैं और रूल्स में ऐसा प्रोविज़न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सन् १९५६ में जिन लोगों की अर्जियों के ऊपर विचार होकर प्लॉट्स अलॉट हुए हैं तो क्या यह माना जाये कि १९५६ से पहले की सारी दरख्वास्तें डिस्पोज़ ऑफ हो चुकी थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को प्रिफरेन्स देने का रूल्स में प्रावधान है।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रूल्स में प्रिफरेन्स देने का प्रावधान है लेकिन ऑफिसर्स को एक दूसरे के चान्सेज़

Page No.15

(श्री भैरोंसिंह)

को सुपरसीड करके दूसरों को चान्स देने का कोई प्रावधान नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मैं नहीं कह सकता कि किसी को सुपरसीड किया गया या नहीं। यह कोई सर्विस का मामला तो है नहीं अगर स्पेसिफिकली किसी के बारे में आपने पूछा होता तो मैं बता देता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सेक्रेटेरियट के पीछे की भूमि को इन्डस्ट्रियल पर्पज़ के लिए एक डाइरेक्टोरेट की बिल्डिंग के लिए अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को गवर्नमेंट के ऑर्डर्स से रिज़र्व किया हुआ था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा मेरे ध्यान में नहीं था कि गवर्नमेंट ने इन्डस्ट्रियल पर्पज़ के लिए वह ज़मीन रिज़र्व कर रखी है।

श्री भैरोंसिंह : डाइरेक्टोरेट की बिल्डिंग के लिए सेक्रेटेरियट की बिल्डिंग के पीछे की ज़मीन सरकार के आदेश के ऊपर अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने रिज़र्व किया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के खिलाफ़ काम करने का तो अधिकार ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप तो पहले यह बता दें कि आदेश थे या नहीं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि डाइरेक्टोरेट की बिल्डिंग के लिए वह ज़मीन रिज़र्व की हुई थी या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं इस समय नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को मालूम है कि अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने कई एप्लीकेशन्स इसलिए ही खारिज़ कर दी कि सेक्रेटेरियट के पीछे की भूमि डाइरेक्टोरेट के लिए है और इस कारण उसमें से भूमि नहीं दी जा सकती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस प्रकार की बात मेरे नोटिस में नहीं है। लेकिन वह ऐसा है कि स्कीम जब अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड बनाता है अलॉट करने के लिए तो स्कीम गवर्नमेंट से एप्रूव होने के बाद में ही वह अलॉट करता है। यह डेफीनेट रूल है और उसी के अनुसार अलॉटमेंट हुए हैं। बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल के वह अलॉट नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सन् १६५६ में अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने सेक्रेटेरियट के पीछे की भूमि को अलॉट करने के सम्बन्ध में प्रपोज़ल गवर्नमेंट को भेजे थे और गवर्नमेंट ने उसी साल उन प्रपोज़ल्स को रिवर्ट कर दिया और डाइरेक्टोरेट की ज़मीन के लिए उसे निर्धारित किया था ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : सेक्रेटेरियट के पीछे की ज़मीन तो अभी भी खाली है।

श्री भैरोंसिंह : आपके ध्यान में खाली होगी, लेकिन मकान बन रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : ऐसे क्या कारण हैं कि जिनकी वज़ह से यह ऑर्डर्स

Page No.16

(श्री श्रीमानसिंह)

दिये कि गवर्नमेंट ऑफ़िसर्स को प्रिफरेन्स दिये जायें और पब्लिक को नहीं दिया जायें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो रूल में रखा गया था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स में बहुत से लो–पेड ऑफिसर्स होते हैं और वह खरीद नहीं सकते। इसके अलावा बहुत से ऑफिसर्स बाहर से लाये गये थे इसलिए उनकी सहूलियत के लिए ऐसा प्रावधान रूल्स में किया गया था। अब तो अलॉटमेंट बन्द हो गया है इस कारण प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : अब रूल्स में प्लॉट अलॉटमेंट में प्रिफरेन्स देने का प्रश्न नहीं है बल्कि ऑक्शन नहीं किये जाकर निर्धारित दर पर ज़मीन दी जाये ऐसा प्रावधान है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेंट ऑफिसर्स को प्रिफरेन्स दिया जाये और आपका प्रश्न है कि सेक्रेटेरियट के पीछे की ज़मीन के लिए तो मैंने "जी नहीं" का उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

कोटरी से खानों तक सड़क निर्माण

१०४८. **श्री उम्मेदीलाल** (करौली-सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार को विदित है कि हिन्डौन तहसील में कोटरी से खानों तक सीधी ८ मील लम्बी सड़क बन जाने से पत्थर की खानों का रास्ता अच्छा बन जाता है और इस औद्योगिक जगह की वजह से सड़क बनना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या सरकार का इस टुकड़े को बनाने का विचार है ? अगर हां, तो यह कार्य कब तक हो जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्रीनाथूराम-मिर्धा) : यह कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : तो क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत होने की आशा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

डॉ० चन्द्रकला : क्या इस सड़क को औद्योगिक महत्व की समझ कर सरकार उसको प्राथमिकता देने का प्रयत्न करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रयत्न तो बड़े महत्वपूर्ण कार्य करने का करते हैं, परन्तु आर्थिक समस्या सामने है।

राजस्थान सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष की गिरफ्तारी

१०४६, **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग। डॉ० चन्द्रकला द्वारा पूछा गया): क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या सोशलिस्ट पार्टी राजस्थान के अध्यक्ष रामकिशन शर्मा की गिरफ़्तारी जयपुर में हुई थी तथा क्या उनको जयपुर की जेल में ही रखा गया है ?

(२) क्या यह सही है कि श्री रामकिशन

Page No.17

(डॉ० चन्द्रकला)

शर्मा आदतन खादीधारी रहे हैं और वे जेल में भी शुद्ध खादी पहन कर ही गये थे ?

(३) क्या श्री शर्मा ने वहां पर भी शुद्ध खादी पहनने का ही आग्रह किया था, परन्तु जेल अधिकारियों ने उनके शुद्ध खादी के आग्रह को ठुकरा कर उनको मिल के कपड़े पहनने के लिए विवश किया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) जी हां।

(२) श्री रामकिशोर शर्मा आदतन खादीधारी हैं या नहीं इसकी सूचना इस विभाग को नहीं है। अलबत्ता जेल में खादी पहन कर आये थे।

(३) श्री रामकिशन शर्मा ने जेल में शुद्ध खादी पहनने का कोई आग्रह नहीं किया। नियमानुसार जो वस्त्र उन्हें दिये गये उन्होंने पहन लिए। इसलिए मिल के वस्त्र पहनने के लिए विवश करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या यह सही है कि यह आन्दोलन इल्लीगल माना गया था ?

श्री अध्यक्ष : फिर से पूछिये।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या यह सही है कि इस आन्दोलन को वैधानिक नहीं माना गया था ?

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि श्री रामकिशनजी ने खादी पहनने को मांगी थी और जो वस्त्र जेल की ओर से दिये गये थे वे उन्होंने लेने से इन्कार किये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जो वस्त्र दिये वे उन्होंने ले लिये तो क्या यह माना जाय कि उनको खादी पहनने को दी गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं इसमें माने जाने और न माने जाने की कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या जेल में इस प्रकार के नियम हैं कि जितने भी कपड़े लाये जायं वह खादी के लाये जायं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो जेल के कपड़े होते हैं वे पहनाये जाते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : अगर कोई जेल में आदतन खादी पहनने वाला आ जाय तो क्या उसके लिए खादी पहनाने की व्यवस्था की जाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : श्री रामकिशन शर्मा पोलिटिकल प्रिज़नर थे या दूसरे क्रिमिनल सेक्शन्स के तहत क्रिमिनल प्रोसीज़र कोड के अन्दर रखे गये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऑर्डिनेरी लॉ जो था उसके मातहत।

श्री श्रीभानसिंह : उनको पोलिटिकल अरेस्ट किया गया था आन्दोलन के सिलसिले में या क्रिमिनल प्रोसीज़र कोड के चार्जेज़ लगाकर अरेस्ट किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्रिमिनल प्रोसीज़र कोड के तहत ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या राजनैतिक कैदियों और अन्य कैदियों के वस्त्र पहनने के मामले में फ़र्क रखा हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : राजनैतिक कैदियों के लिए नियम छपे हुए हैं ।

ग्राम बेड़ा शिवगंज तक बस सर्विस

१०५०. श्री मोती बाबा चौधरी (बाली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम बेड़ा (तहसील बाली, जिला पाली) से शिवगंज तक बस सर्विस चलती है ? यदि हां, तो उक्त पर्मिट किसको दिया गया है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त ठेकेदार को पर्मिट नाणा से शिवगंज तक बस चलाने का दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त बस नाणां से शिवगंज तक चलती है ? यदि नहीं तो कब से बन्द है और क्यों ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) नाणा, शिवगंज मार्ग पर बस चलती है जिसमें बेड़ा एक अन्तरिम ग्राम है । पर्मिट प्राप्तकर्ता हैं :

१ श्री चरणसिंह ।

२ सिन्ध रिफ्यूजी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी ।

३ ताराचन्द एण्ड ब्रॉदर्स ।

(ख) हां, यह सही है । प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या १०५१

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

जिला सवाई माधोपुर की सहकारी समितियां

१०५२. श्रीप्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि सवाई माधोपुर में बनाई जाने वाली सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन में एक एक साल गुजर जाता है जब कि मेम्बरों से उनके शेयरों की रकम इकट्ठी कराकर बैंक में जमा करवाई जाती है जिसके कारण इनको आर्थिक कठिनाई उठानी पड़ती हैं ?

(ख) क्या सरकार इस विषय में उचित कार्यवाही करेगी ?

उप मन्त्री सहकारी विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या १०५३

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त-शास्त्री।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १०५४

श्री दलपतसिंह :

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १०५५

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

दूदू तहसील पंचायत के चुनाव

१०५६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील पंचायत दूदू का चुनाव किस तारीख को हुआ और तीन साल किस तारीख को पूरे होते हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि इस तहसील पंचायत के कार्य काल की अवधि पूरी हो गई ? यदि हा, तो कब ?

(ग) क्या यह भी सच है कि इस तहसील पंचायत की अवधि पूरी होने पर दूदू का एक शिष्ट मंडल उच्च अधिकारियों से चुनाव करवाने हेतु मिला ?

(घ) अब चुनाव कब तक होगा ?

उप मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (क) तहसील पंचायत दूदू का चुनाव २३. ५. ५५ को प्रथम बार होने का था लेकिन वह नहीं हुआ और फिर २. ७. ५५ को हुआ इसलिए तीन वर्ष १. ७. ५८ को पूरे हुए।

(ख) जी नहीं। कार्यकाल की अवधि एक वर्ष के लिए या चुनाव तक जो भी जल्द हो सरकार ने बढ़ाई है यानी वह अवधि १. ७. ५६ तक है।

(ग) इसकी जानकारी नहीं है।

(घ) अवधि के समाप्त होने पर निर्वाचन करवा दिया जायगा।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : अवधि बढ़ाने की आवश्यकता क्यों मालूम पड़ी ?

श्री दौलतराम सारण : वह सभी तहसील पंचायतों के लिए बढ़ाई गई है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : किस आधार पर ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : तहसील पंचायतों के चुनाव के बारे में गवर्नमेंट ने अपने आदेश में यह बतलाया था कि ब्लॉक पंचायतें बन रही हैं इसलिए तहसील पंचायतें रहे या नहीं इसलिए तहसील पंचायतों का चुनाव रोक दिया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि दूदू तहसील पंचायत के चुनाव पर गवर्नर महोदय के भाषण का प्रभाव पड़ा था और उसी कारण उसको एक्सटेन्शन मिला था ?

Page No.20

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मौजूदा प्रश्न है उसके बारे में।

श्री भैरोंसिंह : दूदू तहसील पंचायत के चुनाव किस कारण से स्थगित हुए?

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि सारी तहसील पंचायतों के चुनाव स्थगित किये थे।

श्री भैरोंसिंह : चुनाव की अवधि खत्म होती है ५८ में और गवर्नर ने एड्रेस किया था ५६ में। सन् ५६ में गवर्नर का भाषण हुआ तो उसका प्रभाव पहले कैसे पड़ा?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मौजूदा परिस्थिति में तहसील पंचायतों के चुनाव पूरे नहीं हो सकते हैं इसीलिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी छानबीन होकर तय होना चाहिए। एक तरह से ४ वर्ष हो चुके हैं और चुनाव नहीं हो रहे हैं। यह मेरी कॉन्स्टिट्युएन्सी की चीज़ है। इसलिए मेरी तरफ से यह निवेदन है कि ४ वर्ष हो चुके हैं अभी तक तो इस बात के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसके अन्दर कोई राज़ है जिसके वास्ते निवेदन करने की यहां आवश्यकता नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : चार साल पूरे नहीं हुए है। वह १. ७. ५६ को पूरे होगें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ४ साल पूरे होंगे तब तहसील पंचायतों को रहना होगा तो चुनाव कर दिया जायगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : ऐसा अन्दाज़ा है कि चुनाव हो तो शायद कोई जिनके वास्ते जो पहले से मौजूद हैं वे कामयाब हो या नहीं तो ऐसी चीजों के सबब से उसमें विलम्ब किया जा रहा है। इसके अलावा मेरी तरफ से खास तौर से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सारे राजस्थान में चुनाव रोके गये थे। अब जल्दी ही करा दिये जायेंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : साल भर के पहले यह प्रश्न नहीं था जैसा कि अब कहा गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री बीराराम।

स्वरूपगंज कोटरा सड़क

१०५७. **श्री बीराराम**, (सिरोही-सु) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ज़िला सिरोही में स्वरूपगंज से कोटरा तक सड़क बनाने की मन्जूरी हो गई है?

(ख) यदि हाँ, तो कार्य कब तक शुरू हो जायगा?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष १९६०-६१ में।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : दूसरे नम्बर का जवाब क्या फ़र्माया है?

Page No.21

श्री नाथूराम मिर्धा : ६०—६१ के साल में।

ग्राम खुणखुणा, तहसील नागोर, में पुलिस द्वारा हरिजनों की मारपीट

१०५८. **श्री भैरवलाल "कालाबादल"** (अकलेरा—सु०) क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने कृपा करेंगे:—

(१) क्या पंचायत खुणखुणा, तहसील नागोर में श्री जीवनराम नाम का कोई पंच है ? यदि हां, तो क्या इस पंच और इसके भाइयो को सब इन्सपेक्टर खुणखुणा, तहसील डीडवाना ने ता० २. १०. ५८ को ज़िला नागोर के गांव सानियां में पहुँच कर इस बात पर बुरी तरह मारा कि तुम नीच कौम के होकर राजपूतों की बराबरी करने लग गये हो ?

(२) क्या इन व्यक्तियों को मुर्गा बनाकर १॥ मन के पत्थर भी इनकी पीठ पर रखे गये ?

(३) क्या सरकार को विदित है कि उपरोक्त व्यक्तियों को मार पीट कर ५०रु० फी व्यक्ति रिश्वत के लेकर छोड़ा गया ?

गृहमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) श्री जीवनराम नाम के कोई पंच नहीं हैं। फरवरी ५६ में श्री जीवनराम ने एक शिकायती दर्ख्वास्त मारपीट के मुताल्लिक आई. जी. पी. के कार्यालय में पेश की थी। उन शिकायतों की जांच एस. पी. नागोर के द्वारा कराई जा रही है।

(२) तहकीकात जब तक पूरी नहीं हो तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है।

(३) ऊपर भाग (२) में इस बारे में जवाब दिया गया है।

प्रश्न संख्या १०५६

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

ज़िला जालोर में कपास की उपज

१०६०. **श्री मंगलसिंह**, (रानीवाड़ा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सरकार ने ज़िला जालोर में कपास की उपज बढ़ाने व बढ़िया किस्म की कपास पैदा करने के हेतु क्या क्या सुविधायें किस किस स्थान पर दी हैं ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

उपमन्त्री कृषि विभाग (श्री दौलतराम सारण) : सदन की जानकारी के लिए सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या १०६१

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

म्युनिसिपल बोर्ड भीनमाल द्वारा ठेकेदार की मार्फत कराये गये कार्य

१०६२. **श्री लक्ष्मीचन्द**, (सांचोर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No.22

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(१) म्युनिसिपल बोर्ड भीनमाल, ज़िला जालोर ने सन् १९५७-५८ से आज तक किस ठेकेदार की मार्फत क्या क्या कार्य करवाये ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह भी सही है कि उन कार्यों को पूरा कराने के लिये कोई टेन्डर इनवाइट नहीं किये गए और सिर्फ एक ही ठेकेदार से काम कराया गया ? यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण थे ? यदि नहीं तो प्रत्येक काम के लिये टेन्डर किस किस तारीख को इनवाइट किये गये और किस किस व्यक्ति के आये ? तालिका सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) और (२) की सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री लक्ष्मीचन्द : एक ही आदमी को ठेके देने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : और किसी ने टेन्डर नहीं दिया ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या जवाब दिया ?

श्री अध्यक्ष : और किसी ने टेन्डर नहीं दिया ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सूची में नंबर २ में दर्ज है किन किन के टेन्डर्स आये उस कालम में नाम लिखा हुआ है और कोई टेन्डर नहीं आया था ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन

बहुधन्धी सहकारी समिति, जीरोता खुर्द को सबसिडी ।

१०६३. श्री रामधन, (दौसा) : क्या मन्त्री सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बहुधन्धी सहकारी समिति, जीरोता खुर्द तहसील दौसा के कागज़ात बनवाने कृषि विभाग में कब से चल रहे हैं ?

(२) क्या विभाग ने उसके लिये सबसिडी मन्जूर की है ? अगर हां, तो कब की गई और नहीं तो क्यों ?

उपमन्त्री सहकारी विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) इस सम्बन्ध में कृषि विभाग में कोई पत्रव्यवहार नहीं चल रहा है ।

(२) सहकारी विभाग के बजट से इस समिति को सन् १९५८—५९ के बजट में से रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, राजस्थान, जयपुर के पत्र संख्या ७३०९ दिनांक ११. २. ५९ द्वारा २५०) रु० अनुदान स्वीकृत किये जा चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला

जालूपुरा के पास डाक कर्मचारियों को अलाट किये गये प्लाट्स

१०६४. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(डॉ० चन्द्रकला)

(क) क्या यह सच है कि जालूपुरा के पास बापू आश्रम के निकट डाक कर्मचारियों को कुछ प्लॉट्स अलॉट किये गये थे ? यदि हां, तो कब व कितने ?

(ख) क्या उन प्लॉट्स पर भवन निर्माण का कार्य हो चुका है अथवा हो रहा है ?

(ग) क्या इन प्लॉट्स की आवश्यकतानुसार नल और बिजली की सुविधा दी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो कब तक दे दी जावेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां, सन् १९५६ में १२ प्लॉट दिये गये थे।

(ख) निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ग) पानी की सुविधा दी जा चुकी है तथा बिजली विभाग से संशोधित एस्टीमेट मांगे गये हैं।

डॉ० चन्द्रकला : तो यह एस्टीमेट मंगाकर उनको बिजली कब तक दी जायगी और इस क्षेत्र में पानी और बिजली पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी है, नगरपालिका की या नगर विकास मंडल की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डवेलपमेंट एरिया है तो डवेलपमेंट करने की दृष्टि से डवेलपमेंट चार्जेज चूंकि यू. आई. बी. (अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड) लेता है वह करेगा। और पानी के लिए मैंने अर्ज़ किया कि पानी पहुंच गया है और बिजली के लिए रिवाइज्ड एस्टीमेट बनवाये गये हैं क्योंकि इस बीच में प्राइसेज बहुत बढ़ी हैं। इसलिए एस्टीमेट दुबारा लगाया जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह प्लॉटस किस स्कीम के अन्तर्गत आते हैं ? Is it a development scheme of Urban Improvement Board or Jalupura scheme ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि कौनसी स्कीम में है लेकिन १२ प्लॉट्स जालूपुरा के पास दिये थे।

डॉ० चन्द्रकला : बिजली का एस्टीमेट कब मांगा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी की बात है।

डॉ० चन्द्रकला : अभी कब की ? कई दिनों से मांग कर रहे हैं कब तक एस्टीमेट आ जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मांग कर रखी है इससे इन्कार नहीं करता, लेकिन टेन्डर्स कॉल करने के लिये कीमतें बढ़ गई हैं इसलिए रिवाइज्ड एस्टीमेट मांगे हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मंत्रीजी को यह मालूम है कि टेन्डर की आवश्यकता नहीं है एक दो खंभे से ही काम हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

बंध जमवारामगढ़ की नहर व नालों का जिर्णोद्धार

१०६५. श्री रामधन, (दौसा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

Page No.24

(श्री रामधन)

(क) क्या बन्ध जमवारामगढ़ से जो सरकारी नहर व नाले निकलते हैं उनका जीर्णोद्धार हुआ है ?

(ख) अगर हां, तो कब और कहां कहां पर ?

(ग) क्या यह सही है कि काश्तकारान ग्राम खैरवाल, मंडाणा, जीरोता खुर्द, जीरोता कलां, बरखेड़ा, रूगली वगैरह की दरख्वास्त मोरा व फाल निकालने हेतु संबंधित महकमे में पेश हुई हैं ?

(घ) अगर हुई हैं, तो कब और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां ।

(ख) जब जिस स्थान पर आवश्यकता हुई, जीर्णोद्धार होता रहा है ।

(ग) कथित ग्रामों के काश्तकारान की दरख्वास्तें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(घ) बिना दरख्वास्तें पेश हुए ही मुख्य नहर में गेज नं० ४५० और ५०६ में मोरे लगाये गये हैं ।

श्री रामधन : रिपोर्ट काश्तकारों की तरफ से पेश हुई है साहब ।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों को पानी लेना होता है वे खुद अपने श्रम से नहर बनाते हैं ?

श्री भीखाभाई : यह सही नहीं है ।

प्रश्न संख्या १०६६

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

सीकर पावर हाउस द्वारा बिजली के कनेक्शन

१०६७. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मंत्री विद्युत विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सीकर पॉवर हाउस में सन् ५६,५७ एवं ५८ में नये कनेक्शन लेने के लिये कितने कितने प्रार्थना-पत्र आये तथा कितनों को कनेक्शन दिये गये ?

(२) क्या यह सही है कि कुछ पुराने प्राथियों को छोड़ कर नये लोगों को कनेक्शन दे दिये गये हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी के व्यवहार की शिकायतें राज्य सरकार को की गई हैं ?

(४) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

उप-मंत्री, विद्युत विभाग (श्री भीखाभाई) : कुल १२३ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा ५१ को कनेक्शन दिये गये ।

(२) पुराने प्राथियों को जो नियमानुसार

Page No.25

(श्री भीखाभाई)

सिक्यूरिटी जमा व ठीक वायरिंग न करा सके उनको छोड़ कर कनेक्शन दे दिये गये।

(३) उपरोक्त तथ्य के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई।

(४) जांच की गई तथा तथ्य से अवगत करा दिया गया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सन् ५६ में जिन्होंने अभी दर्ख्वास्तें दी हैं उनको कनेक्शन इसी साल दे दिया गया और ५७ से जो दर्ख्वास्तें पेन्डिंग हैं सारी शर्तें पूरी होने पर भी उनको नहीं देने का क्या कारण है?

श्री भीखाभाई : ऐसी जानकारी नहीं है। यदि किसी ने पहले भी दर्ख्वास्त दी है लेकिन सिक्योरिटी वायरिंग नहीं कराया है या लाइसेन्सशुदा कांट्रेक्टर से फिटिंग करा कर एल. फार्म नहीं लिया है या नियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की है तो उसको कनेक्शन नहीं दिया जाता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सब प्रकार की कार्यवाही करने को लोग तैयार हैं लेकिन जो नेसेसिटीज सुपरिन्टेन्डेन्ट को खुद को पूरी करनी हैं उनको वह पूरा नहीं कर रहा है इसलिये लोगों ने शिकायतें भी की हैं।

मंत्री, विद्युत विभाग (श्री रामकिशोर) व्यास) : जिनकी पहले की दर्ख्वास्तें हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के माफिक तामील नहीं की है तो उनको कनेक्शन नहीं दिये गये होंगे। यदि आप ऐसे केसेज नोटिस में लावेंगे जो पुराने हैं और रूल्स की पाबन्दी भी उनमें की है तो Certainly we will look to it.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या जिनकी एप्लीकेशन्स को सुपरसीड किया गया है। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कानून का पालन नहीं किया है?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा ही होगा तभी नहीं दिया गया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : नगरपालिका के वाइस चेयरमैन तक ने शिकायत की है कि यह आदमी रुपये मांगता है और जो रुपये नहीं देते उनको कनेक्शन नहीं देता।

श्री रामकिशोर व्यास : यह गलत है। ऐसे केसेज़ नोटिस में नहीं हैं जिनमें रूल्स की कंपलाइन्स की हो और कनेक्शन नहीं दिया गया हो।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कानून की कंपलाइन्स नहीं करने के कारण जिनको कनेक्शननहीं मिला उनको पॉवर हाउस से सूचना दे दी गई थी कि कंपलाइन्स नहीं करने के कारण कनेक्शन नहीं मिलेगा?

श्री रामकिशोर व्यास : सूचना दी गई होगी।

श्री भैरोंसिंह : होगी नहीं, दी गई है या नहीं, साफ बताइये।

श्री रामकिशोर व्यास : सूचना दी गई है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जो शिकायतें की गई उनकी जांच हुई या नहीं और यदि जाँच हुई तो क्या नतीज़ा रहा?

श्री भीखाभाई : आपने कहा वही शिकायत है। इसके अलावा और कोई शिकायत नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह बड़ी गंभीर शिकायत है। जिनसे रुपये ले लिये उनको कनेक्शन दे दिया और जिन्होंने रुपये नहीं दिये उनको कनेक्शन नहीं दिया।

श्री रामकिशोर व्यास : शिकायत कहाँ है ? आपका सवाल ही है।

श्री जगदीसप्रसाद माथुर : शिकायत हुई है कि वह रुपये लेता है। फिर भी आप जांच नहीं करवा रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : यदि आप ऐसी शिकायत नोटिस में लावें कि फ़लां आदमी से रुपये मांगे और उसको कनेक्शन नहीं दिया। We will certainly enqire into it.

प्रश्न संख्या १०६८

श्री अध्यक्ष : श्री फतहसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जयसिंह।

जिला जल बोर्ड, भीलवाड़ा

१०६६. श्री जयसिंह राणावत, (आसिन्द) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—(क) ज़िला जल बोर्ड, भीलवाड़ा एबोलिश हुआ उसके पहले क्या उसके हिसाब की जांच करा ली गई ? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) उक्त बोर्ड के भंग होने से उस ज़िले के अधूरे एवं आयन्दा नये काम किसके द्वारा कब तक चालू हो जायेंगे ?

(ग) उक्त ज़िले के लिये कितनी धन राशि स्वीकृत की गई है ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं, क्योंकि समाप्त होने के पहले इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई। कार्य समाप्त होने पर जैसे-जैसे हिसाबात आते गये उनका ऑडिट लोकल फंड ऑडिटर द्वारा किया जाता रहा।

(ख) ज़िला विकास समिति द्वारा कार्यों को पुरा करवाया जा रहा है। जहां-जहां से पब्लिक कंट्रिब्यूशन प्राप्त होता जा रहा है वहां वहां कार्य हो रहा है।

(ग) गत वर्ष १,२२,००० रुपये स्वीकृत किये गये थे एवं चालू वर्ष में १,३२,००० स्वीकृत किये गये हैं।

श्री जयसिंह : क्या सरकार को विदित है कि आसिन्द और शाहपुरा तहसील में दो केसेज गबन के हुए हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : केसेज़ कैसे हुए, कैसे नहीं हुए यह सवाल इसमें नहीं था। इसके लिये अलग सवाल करेंगे तो जवाब दिया जायगा।

श्री जयसिंह : क्या आपकी जानकारी में लाने पर जांच की कार्यवाही करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : केसेज़ चल

Page No.27

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

रहे हैं तो ठीक है। मैं कब इन्कार कर रहा हूं ?

(प्रश्न संख्या १०७०)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

(अनुपस्थित)

(प्रश्न संख्या १०४२)

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

स्टेशन मास्टर फुलेरा के विरूद्ध शिकायत

१०५१ श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या फुलेरा रेल्वे जंक्शन के एक कुली गुगा पुत्र हुक्मा ने कोई शिकायत स्टेशन मास्टर के विरूद्ध थाना रेल्वे पुलिस फुलेरा के यहां की ?

(२) क्या यह सही है कि रेल्वे पुलिस फुलेरा के द्वारा उक्त रिपोर्ट न लिये जाने पर उपरोक्त व्यक्ति ने तारीख २८ जनवरी, सन् ५७ को कोई रिपोर्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को पेश की और सुपरिन्टेन्डेन्ट ने तदनुसार जांच पड़ताल भी की ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

(३) क्या यह सही है कि सम्बन्धित कागजात गृह सचिव के पास पड़े हुए हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) जी नहीं। उसने जी. आर. पी. के पास स्टेशन-मास्टर, फुलेरा की कोई शिकायत नहीं की।

(२) एक प्रार्थनापत्र दिनांक २८ जनवरी, ५७ को एस. पी., जी. आर. पी. के पास पेश किया था। लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि जुर्म के कागजात नहीं बनते थे।

(३) कोई कागजात पेन्डिंग नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

पुलिस विभाग के इन्स्पेक्टर व सब-इन्स्पेक्टर्स की सीनियोरिटी लिस्ट में अनियमितता

१०५३ श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री, (आमेर सु०-श्री भैरोंसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) राजस्थान की भिन्न भिन्न रियासतों के एकीकरण के पश्चात् रियासतों में जो व्यक्ति पहले से ही पुलिस विभाग में इन्स्पेक्टर या सब-इन्स्पेक्टर के पदों पर कार्य कर रहे थे उनकी सीनियोरिटी लिस्ट किस किस आधार पर तैयार की गई है ?

(ख) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो वास्तव में सीनियर थे परन्तु जिन्हें जूनियर बना दिया गया है ?

(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री)

(ग) यदि यह सही है तो क्या सरकार इसकी पुनः जांच कराने को तैयार है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) ऐसे इन्सपेक्टरों व सब-इन्सपेक्टरों की सीनियोरिटी उनके मेरिट, जिनमें उनका अनुभव, कार्य, शिक्षा इत्यादि सम्मिलित हैं के आधार पर की गई। मेरिट की जांच के लिये भिन्न २ कमेटियां बनाई गई और उनके सदस्यों के समान फिक्स्ड क्राइटेरिया के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को इन्टरव्यू के बाद अंक दिये। प्राप्त अंकों के अनुसार प्रत्येक केडर में रखने योग्य व्यक्तियों की तीन श्रेणियां क्रमानुसार ए., बी. सी. बनाई गई। ए. श्रेणी बी. व सी. से तथा बी. श्रेणी सी. से सीनियर रखी गई। प्रत्येक श्रेणी में आनेवालों की आपसी सीनियोरिटी उनके उस केडर के कार्यकाल के आधार पर नियुक्त की।

(ख) 'क' में दिये गये तरीके को देखते हुए ऐसा नहीं माना जाता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : सनियोरिटी लिस्ट अन्तिम रूप से कब फाइनेलाइज हो गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : डेट तो अर्ज नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि केडर मुकर्रर होने के बाद और गजट में पब्लिश होने के बाद सरकार ने लिस्ट में परिवर्तन किया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, कुछ परिवर्तन हुए हैं। लोगों ने ऑब्जेक्शन्स किये थे और उनको वेलिड माना था इसलिये परिवर्तन किये गये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय लिस्ट पब्लिश हुई थी उस समय ऑब्जेक्शन्स इनवाइट न करके तीन वर्ष के बाद ऑब्जेक्शन्स गवर्नमेंट ने इनवाइट किये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मिस्टर करनेटकर, आई. जी. पी. ने सर्टेन केसेज के लिए कहा था कि इनमें जस्टिस नहीं हुई है इसलिए ऑब्जेक्शन्स इनवाइट किये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय लिस्ट पब्लिश हुई थी, उसके साथ ही साथ ऑब्जेक्शन्स इनवाइट किये थे, उस समय कइयों ने ऑब्जेक्शन्स नहीं दिये और तीन वर्ष के बाद दिये हैं, उनको एप्रीशियेट किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऑब्जेक्शन्स उस समय हुये थे, मगर प्रोबेसनर्स के बारे में कुछ इन्टरप्रिटेशन गलत हो गया। वह यह था कि जो प्रोबेसनर्स एस. आइज. किशनगढ़ में ट्रेनिंग पा रहे थे, उनका इन्टरव्यू किया जाय या नहीं। उस समय यह हुआ कि किशनगढ़ में जो ट्रेनिंग पा रहे थे, उनको इन्टरव्यू को मौका नहीं मिला।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि जो लिस्ट पब्लिश हुई और उसमें जो सीनियोरिटी फिक्स की थी। वह कमेटी ने की थी और बाद में गवर्नमेंट ने की है।

Page No.29

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या जितने केसेज़ में परिवर्तन हुआ है वह सारे के सारे केसेज़ कमेटी को रेफर किये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : Yes

श्री अध्यक्ष : श्री दलपतसिंह।

श्री लक्ष्मीचन्द : इसका उत्तर दे दिया जाय।

गायों की चराई पर टैक्स

१०५४. श्री दलपतसिंह, (आबू श्री लक्ष्मीचन्द सांचोर द्वारा पूछा गया) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—
(क) क्या सिरोही ज़िले की रेवदर तहसील में उन काश्तकारों से भी गायों की चराई का टैक्स वसूल किया जाता है जो अपने खातेदारी के खेतों में ही अपने मवेशी चराते हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त तहसील में ऐसे कई गांव हैं। जो जंगलों से बहुत दूर हैं फिर भी जंगलात के कर्मचारी जाकर उनसे चराई टैक्स वसूल करते हैं ?

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) यह चराई (देज) सभी सरकारी भूमि में मवेशी चराने के लिए ली जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिया जाय।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) नहीं साहब, इसका उत्तर नहीं दिया जाय।

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला : इसका उत्तर दिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक मेम्बर का एतराज़ है।

डॉ० चन्द्रकला : बैठे बैठे ही कहा है। ऑब्जेक्शन खड़े होकर करें।

श्री श्रीभानसिंह : It is not in public interest.

श्री अध्यक्ष : १०५५।

जयपुर हाईकोर्ट बैन्च आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां

१०५५. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा-डॉ० चन्द्रकला द्वारा पूछा गया) क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर हाई कोर्ट बैन्च आन्दोलन में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

(२) इन पकड़े हुए लोगों में कितने वकील थे तथा कितने किसान ?

(३) इन पकड़े हुए लोगों में कितने

Page No.30

(डॉ० चन्द्रकला)

व्यक्ति हैं जिन्हें दुबारा या तिबारा पकड़ा गया ?

(४) इनमें से कितने व्यक्तियों को सज़ा दी गई तथा कितने व्यक्तियों को वैसे ही छोड़ा गया ?

(५) आन्दोलन के सिलसिले में कितने नागरिक घायल हुए ?

(६) इस आन्दोलन के सिलसिले में पुलिस ने कितनी बार अश्रु गैस का प्रयोग किया तथा कितनी बार लाठियों का ?

(७) क्या यह सत्य है कि पुलिस ने भी जनता पर पत्थर फेके ?

गृह मन्त्री, (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जयपुर बैन्च हाई कोर्ट आन्दोलन में ८२५ गिरफ्तार किये गये ।

(२) १५२ वकील थे और १२३ किसान थे ।

(३) तीन एडवोकेट्स दुबारा गिरफ्तार किये गये ।

(४) ४८६ व्यक्तियों को सज़ा हुई और ४५ व्यक्तियों के खिलाफ़ मुकदमें वापिस लिये गये ।

(५) आन्दोलन में ३३ नागरिकों के चोटें आई ।

(६) अश्रु गैस का प्रयोग २१ बार व मामूली लाठी चार्ज दो अवसरों पर किया गया ।

(७) जी नहीं यह असत्य है ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि कई एडवोकेट्स के खिलाफ़ अभी मुकदमे चल रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे यह जानकारी नहीं है ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार के सामने इस बात के पेपर रखे हैं कि इन केसेज़ को विथड्रा किया जाय या नहीं ।

श्री रामकिशोर व्यास : अदालत में किस किस मुकदमे का फैसला हो गया या नहीं हुआ, इसकी जानकारी नहीं है । आप चाहें तो जानकारी करके बता सकता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कुछ केसेज़ को विथड्रा किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह जबाब में मैंने अर्ज़ किया है ।

श्री अध्यक्ष : ४५ केसेज़ वापिस लिये गये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : कितने ?

श्री अध्यक्ष : ४५ ।

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी) नम्बर पांच के उत्तर में आपने कितने बताये, जो व्यक्ति घायल हुए हैं वे कितने हैं ?

Page No.31

श्री रामकिशोर व्यास : ३३।

श्री अध्यक्ष : केवल ३३।

श्री मुरलीधर व्यास : ३३ व्यक्तियों के चोटें लगी हैं वे किस से लगी हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह डिटेल्स मेरे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह पूछा गया है कि क्या यह सत्य है कि पुलिस ने भी जनता पर पत्थर फेंके ? आपने कहा है "जी नहीं" फिर ये व्यक्ति घायल हुए ये किस कारण से हुए ? कुछ लोगों ने मारा या क्या हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मैंने कहा कि दो बार मामूली लाठी चार्ज हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह निर्णय लिया गया कि जिन एडवोकेट्स के खिलाफ़ मुकद्दमे चल रहे हैं वे वापिस नहीं लिये जायं।

श्री रामकिशोर व्यास : "जी नहीं।"

श्री भैरोंसिंह : क्या यह निर्णय लिया है कि वापिस लिये जायं।

श्री रामकिशोर व्यास : 'जी नहीं।" किसके बारे में आप पूछ रहे हैं, आप बतायें।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

श्री पी० के० चौधरी : This may be replied, Sir.

मेजा बाँध से सिंचाई

१०६१ श्री शिवचरणदास (मांडल श्री पी० के० चौधरी द्वारा पूछा गया) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या मेजा बांध, तहसील भीलवाड़ा स्कीम के अनुसार पूरा हो चुका है ?

(२) यदि हां, तो क्या इन तीन सालों में उसमें ओवर फ्लो होता रहा है ?

(३) इस बांध में कितना पानी एकत्रित होता है तथा उसमें कितनी भूमि सींची जा सकती है ?

(४) इस वर्ष कितनी भूमि सिंचित हुई तथा कितना पानी उपयोग में आया ?

उप-मंत्री सिंचाई विभाग : (श्री भीखा भाई) : (१) जी हां।

(२) ओवर फ्लो सन् १९५६ व १९५८ में हुआ।

(३) इस बांध की लाइव स्टोरेज केपेसिटी ३,२०० माइल क्युबिक फीट हैं जिससे ३२,००० एकड़ भूमि रबी फसल में सिंची जा सकती है।

(४) इस वर्ष १२,००० एकड़ भूमि सिंची गई व २,३०० माइल क्युबिक फीट पानी उपयोग में आया।

श्री पी० के० चौधरी : रबी सीजन में कितने एकड़ भूमि सींची गई लास्ट रबी कम्पेन के टाइम में ?

Page No.32

श्री रामकिशोर व्यास : १० हजार एकड़ ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि राइट केनाल और लेफ्ट कैनाल को उपयोग में नहीं लिया इस सीजन में ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस प्रकार की जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि राइट केनाल से वाटर सप्लाई किया है और लेफ्ट केनाल से वाटर सप्लाई नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष : यह कह चुके हैं कि इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि जो वाटर सप्लाई किया था वह डिफेक्टिव लाइन होने से ओवर फ्लो हो गया और सारी फसल वेस्ट हो गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस प्रकार की जानकारी नहीं है । जो मूल प्रश्न है उसका उत्तर दे दिया है । आपने पूछा है कि तीन सालों में ओवर-फ्लो होता रहा है । यह आपने नहीं पूछा प्रश्नकर्ता ने पूछा है । यह बता दिया गया है ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि रबी अभियान के समय सारा का सारा पानी ओवर फ्लो हो गया और सेकिंग प्लाई के लिए कोई वाटर सप्लाई नहीं किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस प्रकार की जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि जिस समय ज्यादा पानी आया उस समय मेजा बांध का एक फाटक खराब हो गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज़ कर दिया कि इस सम्बन्धी जानकारी मेरे पास नहीं है । आपने आंकड़े पूछे उसका जवाब दे दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय मन्त्री महोदय को जानकारी नहीं है, वे मेजा बांध जाकर आये हैं कि उसका एक फाटक खराब हुआ पड़ा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : This supplementary does not arise out of this question.

श्री पी० के० चौधरी : पार्ट २ में पूछा गया है कि "यदि हां" तो क्या इन तीन सालों में उसमें ओवर फ्लो होता रहा है । ओवर फ्लो १६५८ में हुआ तो यह नेचुरल क्वेश्चन है why this overflow took place. यह ओवर फ्लो क्यों हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह बता दिया है कि कब कब हुआ है ।

श्री पी० के० चौधरी : किस वजह से हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ओवर फ्लो ज्यादा पानी की वजह से होता है ।

श्री पी० के० चौधरी : किस वजह से ? Whether there was more water in the storage or whether it was because of your defective gate ? स्टोरेज में ज्यादा पानी की वजह से ओवर फ्लो हुआ या एक गेट बन्द नहीं होता था इसलिए हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : पानी ज्यादा होता है, इसलिए हुआ था ।

श्री पी० के० चौधरी : पानी का सवाल नहीं है. I want definite answer whether the overflow was due to the level of water being higher than the normal or due to the fact that you could not stop the gate so the overflow took place ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लीजिये ।

श्री पी० के० चौधरी : मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं ।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने क्वेश्चन में कुछ और पूछा और अब कुछ और जवाब चाहते हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : यह प्रश्न पूछा कि क्या ओवर फ्लो हुआ था ? उसको आपने स्वीकार किया था । यह ओवरफ्लो क्यों हुआ था, यह पूछ रहा हूं So I am asking him whether that overflow was due to rise of water in the storage or because you could not stop the gate properly and so the overflow took place ?

श्री रामकिशोर व्यास : १९५८ में और १९५६ में ओवर फ्लो हुआ था । उस बांध में पानी ज्यादा आया, इसलिए ओवर फ्लो हुआ ।

श्री पी० के० चौधरी : आपसे गेट बन्द नहीं हुआ and so you have put thousands of bags of cement on the outlet to stop the water.

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही है कि एक गेट खराब था ।

श्री पी० के० चौधरी : इसको आप स्वीकार कर लेते कि गेट बन्द नहीं हुआ था इसलिए ओवर फ्लो हुआ ।

श्री रामकिशोर व्यास : थर्ड डे बन्द हो गया था ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : क्या अंग्रेजी इतनी नहीं समझते हैं कि बार बार ट्रान्सलेट करना पड़ रहा है ?

श्री पी० के० चौधरी : Has the gate been repaired now ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह उस वक्त हो गया ।

श्री भैरोंसिंह : मैं कहता हूं कि अभी तक नहीं हुआ है । आज से १५ दिन पहले तक नहीं हुआ है ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं देख कर आया हूं कि वर्क कर रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : बाईं तरफ वाला फाटक अब भी खराब है ।

श्री रामकिशोर व्यास : जिसमें पेच में खराबी थी, वह ठीक कर दी है।

श्री भैरोंसिंह : आज भी है। इन्जीनियर्स कहते हैं कि पूरे को निकाल कर ठीक नहीं किया जायगा, तब तक नहीं हो सकता।

श्री रामकिशोर व्यास : खराबी थी वह ठीक कर दी है।

श्री पी० के० चौधरी : आपने ३२,००० की केपेसिटी बताई उसमें से २२२,००० एकड़ जमीन प्लाई कर रहे हैं What is the reason, whether your canals are not ready or the storage is less ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका जो अन्दाज़ होता है वह ७, ८ साल के बाद आता है, शुरू में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री फतेहसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मण हीरात।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

१२. ६ म० प०

जालौर जिले के सांचोर क्षेत्र में प्रति वर्ष लगने वाले पशु मेले के न लगने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

जालौर ज़िले के सांचोर क्षेत्र में राजस्थान स्तर पर प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी १६ से २५ अप्रैल, १६५६ तक पशु मेला लगाने का निश्चय हो जाने के पश्चात् मेला न लगाये जाने का सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मीचन्द, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

यह मामला इतने सार्वजनिक महत्व का नहीं है कि सदन के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित किया जाकर इस पर विचार किया जाय।

अत: मैं उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

माननीय कृषि मन्त्री इस सम्बन्ध में अभी एक वक्तव्य देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सांचोर मेले को इस साल नहीं लगाने के बारे में निर्णय लिया गया उस बारे में इस सदन में माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया उसकी भूमिका में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। जालौर जिले में, सांचोर इलाके में सांचोरी ब्रीड के अच्छे जानवर हैं। और उन जानवरों को अच्छा मार्केट दिलाने के लिये मैंने स्वयं ने उस मेले को चलाने में सबसे पहले सहयोग दिया था। यह मेला, चैतरी मेला जो कि बहुत बड़ा मेला है और जो साढ़े चार सौ वर्ष पुराना मेला है और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में तिलवाड़ा नामक जगह पर लगता है उस मेले और इस मेले की तारीखों में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सिर्फ २० दिन का अन्तर पड़ता है, फिर भी यह मेला पिछले तीन चार सालों में लगाया गया था। गुजराती खरीददार यहां आते थे, पशु भी अच्छी तादाद में यहां इकट्ठे हो जाते थे और आमदनी करीब २० या २५,००० हुई। इन परिस्थितियां में मेले को डवेलप करने की बात सोच रहे थे पर वहां की लोकल परिस्थितियों के कारण वहां के जागीरदार और दूसरे लोग सोचते थे कि यह मेला सांचोर में नहीं लगाया जाना चाहिये, रानीवाड़ा के पास सेवाड़िया नामक ग्राम में लगाना चाहिये। सरकार ने सोचा कि सांचोर में लगाना चाहिये तो आधा मेला उधर लगता रहा और आधा मेला इधर लगता रहा। हमने सोचा कि आधा मेला इधर और आधा मेला उधर लगता रहेगा तो इस मेले को डवेलप नहीं कर सकेंगे और लोग पंचायत के तौर पर वहां मेला लगाते रहे। इस साल सांचोर में बरसात की कमी है और पीने के पानी की कमी है। इतनी बड़ी तादाद में वहां पर मवेशी इकट्ठे हों, आदमी इकट्ठे हों तो पीने के पानी की बड़ी भारी दिक्कत रहेगी तो सरकारी अफसरों ने और वहां के लोगों ने यह बात प्रकट की कि १०, १५ हज़ार रूपये का खर्चा कर के भी वहां पर पानी का इन्तजाम नहीं कर सकेंगे। इसलिये मेले की साइट लाछड़ी का कुँआ कहलाता है, जहां कुछ पानी मिल सकता है। गत वर्ष भी सांचोर के कुंओं पर पम्प लगाने के बावजूद भी लाछड़ी के कुंए से मोटरों में पानी लाकर लोगों को पानी पिलाने की नौबत आई, पानी का इन्तजाम करने में खास तौर से कई तकलीफें आईं। इस साल वर्षा की कमी के कारण पानी की और ज्यादा दिक्कत है। तो हमने सोचा कि दो तीन मील दूर के साइट पर मेले को ले जायं। इस पर लोगों में झगड़ा हो गया और लोगों ने कहा कि सांचोर में मेला लगेगा। तिलवाड़े के मेले में मैं अभी तुरन्त ही गया था। वहां मेरे सामने यह सवाल उठाया गया कि पानी का इन्तजाम वहां नहीं हो सकता। इस तरह की प्रोब्लेम सामने रखी गई कि तीस, चालीस हजार रूपया खर्च कर के भी सांचोर में पशुओं और लोगों को पिलाने के लिये पानी का इन्तजाम नहीं किया जा सकता। तो इस तरह का निर्णय किया गया कि इस तरह के झगड़े की बुनियाद इसमें लगाई गई है और पानी का इन्तजाम नहीं हो सकता और पिछले साल इस सदन में कई तरह की बातें कही गई थीं, माइक्रोफोन नहीं लगाया गया, इस तरह की बातें यहां कही थीं, इस साल पानी का इन्तजाम भी हम नहीं कर सकेंगे, इसलिये यह निर्णय लिया गया सरकारी मेला इस साल नहीं लगाया जायगा।

श्री लक्ष्मीचन्द (साँचोर) : माननीय अध्यक्ष, दो बातें रह गई हैं उनके बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। १६ तारीख को आपके डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि मौजूद थे, कलेक्टर और आपके विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर मौजूद थे, प्रोसिडिंग्स मेरे पास मौजूद हैं कि मेला सांचोर में भरा जायगा, हम सरकार से बजट मांग रहे है। पानी का जो आपने कहा तो लाछड़ी का कुंआ कोई दूर नहीं, मेले की जगह से डेढ माइल पर ही है वहां मशीन लगा कर पानी का इन्तजाम किया जा सकता है। गई साल भी वहीं से पानी लाया गया था, ढाणी से नजदीक है, मवेशी आप ही वहां पानी पीने के लिये

(श्री लक्ष्मीचन्द)

पहुँच जाते हैं। १५ तारीख तक मीटिंग की गई। लोग इस डाउट में रह गये कि मेला सांचोर में भरा जायगा, टेन्डर भी इन्वाइट किये जा चुके हैं, लोगों ने माल भी खरीद लिया तो सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा इस प्रकार से मेले को बन्द करना वहां की जनता को अन्धेरे में रखना कहां तक ठीक है ? यही सिच्युएशन आपके पास पहले भी थी, उस वक्त भी सोच सकते थे तो लोग अन्धेरे में नहीं रहते, चैतरी के मेले में अपना माल बेचते। उन्होंने माल खरीद लिया, अब तक वहां की जनता को पूरा विश्वास नहीं कि मेला नहीं भरेगा। पानी की व्यवस्था के लिये सांचोर में मशीन लगी हुई है, बेरे को ठीक करवाया गया है। चेयरमैन वाटर बोर्ड को उन्होंने विश्वास दिलाया तो पंचायत ने बेरे को ठीक करवा दिया। पानी की व्यवस्था जहां तक हो सकती थी ठीक कर दी और सरकार ने इस मेले को बन्द कर दिया।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): वहां से विरोधी दल के जीत कर आये इसलिये बन्द कर दिया।

श्री मुरलीधर व्यास, (बीकानेर सिटी) : मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि जैसा कि माननीय मन्त्रीजी ने बताया और माननीय सदस्य ने जवाब दिया, उससे ऐसा लगता है कि यह मेला जान बूझ कर बन्द किया गया है। हमेशा लोग मेले पर पहुँचते हैं इस दृष्टिकोण से लोगों ने खर्चा किया है, उन लोगों को बड़ा नुकसान होगा। आपके जवाब से संतोष नहीं हुआ, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है उसके जवाब में कुछ कहें।

श्री नाथूराम मिर्धा : ज्यादा जवाब तो मुझे देना नहीं है फिर भी कह दूं कि आपने कहा कि लोगों को पता नहीं था, मैं निवेदन कर दूं कि जितने सांचोर के अच्छे ब्रीडर्स हैं वे तिलवाड़ा में मौजूद थे और मैं उनको पर्सनली जानता हूं। मुझ से १००-५० आदमी मिलने आये थे और कहा कि पिछले साल भी मार पीट तक हुई, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं रही। एक एक जोड़ी को लोग पानी पिलाने आये उनसे फी जोड़ी आठ आना वसूल किया गया और इस तरह पानी की बड़ी तकलीफ रही। तो उन्होंने कहा कि पिछले साल बड़ी तकलीफ रही वैसे इस साल पानी की और भी कमी है। दो घंटे अगर मशीन चले तो कुओं में पानी नहीं रहेगा। जो यह कहा गया कि उन्होंने माल खरीद लिया तो तिलवाड़े के मेले में उनके जानवर मौजूद थे, उनकी अच्छी कीमतें आ गई और जो मेला लगाने की परम्परा थी। उसके लिये उन्होंने कहा कि इस साल पानी का इन्तजाम नहीं हो सकता इस सम्बन्ध में लोकल ऑफिसर्स को कन्सल्ट किया गया था, अच्छे ब्रीडर्स और वहां के नुमायन्दे सब वहां मौजूद थे और १००-५० की तादाद में मुझ से मिले थे। इसलिये इस मेले को इस साल सरकारी तौर पर नहीं भरने का निर्णय लिया गया।

१२. २० म० प०

श्री श्रीभानसिंह, (बयाना) : On apoint of clatificalion Sir. जब कि यह सेशन शुरू हुआ था तो माननीय अध्यक्ष ने यहां असेम्बली के सामने एक पत्र पढ़ कर सुनाया था कि एक माननीय सदस्य देवनाथ जी को एरेस्ट किया गया है। बाद में उनकी

Page No.37

(श्री श्रीभानसिंह)

बेल हुई। मैं और सारे सदन के सदस्य यह जानना चाहेंगे कि आखिर इस केस में क्या प्रगति हुई है ? यह एक ऐसा केस है उसमें माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय बतावें कि इस केस में क्या प्रगति हो रही है ? जहां तक मेरी सूचना है वह यह है कि इस केस में कोई प्रगति नहीं हो रही है और उस माननीय सदस्य पर दबाव डाला जा रहा है और समझौते के लिये कोशिश की जा रही है और उनसे कुछ पैसा लेंने की बात हो रही है। यह सदन भी इसमें दिलचस्पी रखता है। इसलिये माननीय गृह मन्त्री इस संबन्ध में बताऐंगे कि क्या प्रगति हो रही है। जब उनको एक दफे एरेस्ट किया गया था। तो अब उसमें क्यों प्रगति नहीं हो रही है और शायद इस केस की वजह से हाउस में भी माननीय सदस्य नहीं आते हैं।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से यह ऐसा विषय है जिसके बारे में बहस करना उचित नहीं होगा। यह सबजुडिस मामला है।

श्री श्रीभानसिंह : इसका चालान हो गया है या नहीं ? आपको जानकारी होनी चाहिये थी। सब-जुडिश तभी हो सकता है जब चालान हो।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं यह निवेदन करूंगा कि आप मुझ से खुद से कुछ पूछ सकते हैं in private.

श्री श्रीभानसिंह : I think I am not personally interested but the whole House is interested because it a question which involves an Hon'ble Member giving a bribe. Therefore, the whole House is interested as to where the case stands.

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से यह अच्छी परम्परा नहीं होगी कि इसका उत्तर यहां पर दिया जाए, जो केस सब-जुडिश है उसके बारे में यहां पर कुछ कहा जाए।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Sir, has the case been sent up to a court of law ?

श्री अध्यक्ष : He says that he will enquire and let the Hon'ble Member know privately if he wants to know.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : इसकी इन्क्वायरी कौन कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष : There is no occasion for discussion of this sort at this stage.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, क्या इसकी कोई इन्फोर्मेशन नहीं मिलेगी ?

श्री अध्यक्ष : Not before the House.

श्री श्रीभानसिंह : I think the House is interested and it is a question of an Hon'ble Member and some

(श्री श्रीमानसिंह)

Hon'ble Members may raise the issue in the House and...

श्री अध्यक्ष : I think it was some sort of indulgence even to permit the Hon'ble Member to raise a question like this without informing me previously. The Hon'ble Member has been assured that if he wants the information he can have it from the Hon'ble Minister later.

१२. २२ म० प०

राजस्थान नगरपालिका विधेयक १६५७.
(विचार विमर्श एवं पारण)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि रीडिंग (तृतीय वाचन) पर किस तरह के भाषण होने चाहिये। किसी क्लॉज़ पर या किसी चैप्टर पर नहीं बल्कि बिल एज़ए होल पर भाषण होना चाहिये कि आया आप इसको चाहते हैं या नहीं चाहते। इसको ध्यान रखते हुए आप भाषण देंगे।

डॉ० चन्द्रकला '(किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें टाइम लिमिट भी होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कई सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे इसलिये इसमें टाइम लिमिट भी होनी चाहिये १५ या २० मिनट से ज्यादा न बोलें। क्योंकि ज्यादा लम्बी देर तक बोलेंगे तो दूसरों को अवसर नहीं मिलेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि दलों की तरफ से सूची ले लें कि कौन कौन बोलने वाले हैं अन्यथा ऐसा होगा कि कई बोलनेवाले रह जावेंगे। आप सूची ले लें। Time may be allotted to parties.

श्री अध्यक्ष : सूची ले लें और फिर भी सदस्य घंटे २ भर बोलें तो कैसे पूरे होंगे? मेरे ख्याल से १५, २० मिनट तक का समय ठीक होगा। इससे मेरे ख्याल से जो बोलना चाहेंगे बोल सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान नगरपालिका विधेयक आज सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। इस पर जब प्रारंभ में विचार हुआ था और उस समय से लेकर अब तक जिस प्रकार की प्रगति इस बिल पर हुई है उस प्रगति का मूल्यांकन यदि पहलेवाले नगर-पालिका विधेयक से किया जावे तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह बिल उसके मुकाबले में कहीं अच्छा है। इस सदन में सदन के मुख्य सचेतक कई बार जब अपना भाषण देते हैं तो आज के राज्य की तुलना सामन्तवादी राज्य की तुलना से करते हैं। उनके भाषण में जो तुलनात्मक दृष्टिकोण आता है यदि उस दृष्टिकोण से इस बिल के मापदंड को देखा जावे तो निश्चित रूप से यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ बातें निश्चित रूप से अच्छी हुई हैं। सबसे अच्छी बात जिसका ज़िक्र कल हुआ वह यह हुई कि हमने नामज़दगी की प्रणाली को समाप्त किया। म्युनिसिपैलिटी की सर्विसेज़ को भी प्रोटेक्शन देने की कोशिश की है। इसके साथ साथ नगरपालिका के प्रशासन के अन्दर जो समय समय पर कई प्रकार की अड़चने पैदा होती थी उनको दूर करने की चेष्टा की

(श्री भैरोंसिंह)

है। लेकिन यदि यह कहा जाए कि आज के इस युग में और इस प्रजातन्त्र के युग में जिस प्रकार का कानून यह बनना चाहिये था उस प्रकार का कानून बन गया है, मैं समझता हूँ कि यह कहना उचित नहीं होगा। सबसे पहले यदि सरकार इस चीज को स्वीकार करती है कि प्रजातंत्र के युग में नामजदगी की प्रथा अच्छी नहीं और उसको समाप्त करना है, और उसके स्थान पर जो नई व्यवस्था लागू करनी है तो हम निश्चित रुप से एक चीज को स्वीकार करते है कि नोमिनेशन की प्रथा न तो अच्छी है, न अच्छी थी इस स्थिति मे यदि विचार किया जावे कि म्युनिसिपैलिटी विधेयक १६५४ में सबसे पहले पेश हुआ था। १६५४ में पेश किया गया और १६५६ में पास हुआ १६५७ में दुबारा इसको विधान सभा में रखा गया और १६५६ में दुबारा विधान सभा में पास हुआ है। जिस समय १६५४ में यह बिल पेश किया गया था उस समय सरकार की यह मंशा थी कि उसको नोमिनेशन के स्थान पर कोऑप्शन का सवाल था। यह था कि नोमिनेशन को समाप्त किया जाए। मैं समझता हूं कि १६५४ में सरकार की यह मंशा थी और इस चीज़ को १६५६ में सरकार ने एन्डोर्स किया और १६५७ में स्वीकार किया और उसको १६५६ में अंतिम रुप मे स्वीकार किया। यह धारा है जिससे सरकार ने नामजदगी को स्वीकार नहीं किया लेकिन कानून इस प्रकार का था जिसके कारण सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा। यदि सरकार नामजदगी में विश्वास नहीं करती तो पिछले चार वर्षों में, चार नहीं कहना चाहिये तीन वर्षों में जितनी नगरपालिकाओं के चुनाव हुए और उनमें नामजदगियें हुईं उन पर क्या प्रभाव पड़नेवाला है ? हमने इसमें जो सेविंग या रीपीलिंग क्लॉज़ रखा है उसमें यह व्यवस्था की है कि ये नोमिनेशन अवैध होंगे और जिनकी नामजदगी हुई है उस रुप में न रह कर उनके चुनाव होते और फिर वे काम करते। तो मैं समझता हूं कि नामजदगी के विरुद्ध जो भावना है उसके प्रतिकूल आचरण हुआ। यदि नगरपालिका इस तरह से काम करती है।

अध्यक्ष महोदय, यदि यह स्पष्ट कहूं कि नगरपालिकायें चुनावों में बहुमत के आधार पर काम कर रही हैं, वास्तव में बहुमत के आधार पर काम कर रही है यह स्थिति नहीं है। लेकिन सरकार ने सरकारी दल को बहुमत में लाने की चेष्टा करने की गरज से चुनावों के समय में वृद्धि की, नगरपालिकाओं के चुनावों में उनका दल हार जाने के बावजूद भी उन नगरपालिकाओं में अपने दल को नामजद किया, कानून के अन्तर्गत जितने डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स थे, जिनको डिस्क्वालिफाइड किया जा चुका था फिर भी सरकार ने उनको स्वीकार किया। इस कानून के बनने के बाद भी जितनी म्युनिसिपैलिटियां आज काम कर रही हैं, इस नामजदगी को डिस्करेज करने के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जिससे नामजदगी न करने का प्रभाव उन नगरपालिकाओं पर पड़े। नगरपालिका पाली के चुनाव हुए। भरतपुर में कांग्रेस की हार हुई इससे मैं समझता हूं, कई माननीय सदस्यों को रंज है। रिपीलिंग क्लॉज़ को जब वे पढ़ते हैं तो उनको संतोष होता है कि इस धारा में रखा है कि नामजदगी, चाहे इस कानून के एक महीने बाद या दो महीने बाद किया जाय, तो होती रहेगी

(श्री भैरोंसिंह)

उन नगरपालिकाओं में जिनके चुनाव हो चुके हैं। यह कहा जाय कि नामजदगी हो जायगी, चेयरमैन शपथ ग्रहण कर लेगा और नगरपालिका काम करने लग जायगी, यह सम्बन्ध नहीं है। आज चुनाव होते हैं, हमने राजस्थान की इन नगरपालिकाओं की व्यवस्था को देखा है कि सरकार आज चुनाव कराती है, एक वर्ष बाद जाकर चैयर-मैन को शपथ ग्रहण कराई जाती है और नगरपालिका दो वर्ष बाद जाकर काम करती है। यह एक नगरपालिका की बात नहीं है किन्तु कई नगरपालिकाओं में २।। वर्ष शपथ ग्रहण कराने में सरकार ने निकाल दिये। शपथ ग्रहण कराने में राजस्थान सरकार को २।। वर्ष लग सकते हैं, राजस्थान सरकार ने नगरपालिकाओं की व्यवस्था का एक इति-हास निर्माण किया है। मुझे दुख है कि कहीं फिर इसकी पुनरावृत्ति न हो। इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहिये कि कि नामजदगी नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस कानून में रिजर्वेशन का क्लॉज़ रखा है। यदि हरिजन चुन कर नहीं आया तो हरिजन को नामज़द किया जा सकता है। सदन में एक सिद्धान्त स्वीकार किया जाता है, मैं उसको इस नाते स्वीकार करता हूं कि सदन ने वह सिद्धान्त स्वीकार किया है, सिद्धान्त स्वीकार किया गया है कि इसको नई नगरपा-लिकाओं में लागू किया जाय। एक चीज़ को मन्जूर किया है, उसको लागू भी किया है। रिपीलिंग क्लॉज़ में ऐसी व्यवस्था करें, नगरपालिका का अभी अभी चुनाव हुआ है, नोमिनेशन नहीं था, रिजर्वेशन नहीं था, महिलाएं आई हैं वह उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार नई में होता है। यदि कोई हरिजन चुन कर न आये तो सरकार पॉवर्स हाथ में लेले तो कोई आपत्ति नहीं होगी। इस प्रकार व्यवस्था रही तो यह होगा कि नगरपालिका के चुनाव इस कानून के लागू होने पर भी उनकी कार्यवाहियों पर कोई आवरण नहीं आवेगा और नामजदगी की प्रथा चालू रहेगी।

अब अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न है जिसके कारण से सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत खुश रहते हैं, कई बार नगरपालिका के कानून में व्यवस्था की है कि ८ हज़ार से कम आबादी की जो नगरपालिकायें हैं उनको भंग कर दिया जावेगा और वहां पंचायतें स्थापित कर दी जावेंगी। मैं ऐसा समझता हूं कि कानून हमने बनाया, उसमें एग्ज़म्पशन्स भी रखे हैं। वे एग्ज़म्प-शन्स इस सम्बन्ध में यह है कि यदि सरकार रिज़नेबल ग्राउन्डस देखे तो वहां पंचायत न रख कर नगरपालिका ही रख सकती है। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हुँ कि ८ हज़ार से नीचे की नगरपालिकाओं को जो भंग करने की व्यवस्था की है, सलूम्बर की नगरपालिका तो नहीं होगी। वहां की आबादी ८ हज़ार से कम है उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो भी नगरपालिकायें होंगी वे भंग नहीं होगी। मंत्री महोदय आवेश में कहें कि भंग हो जायगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि वहां की नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य : आप उनको आवेश दिलाना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी पार्टी के सचेतक महोदय....

(हंसी)

एक माननीय सदस्य : आप भी कांग्रेस पार्टी के बन गये क्या ?

श्री भैरोंसिंह : सदन के सचेतक महोदय, वे इस चीज़ को स्वीकार करते हैं । वे सलूम्बर की नगरपालिका को भंग करवाने की कोशिश करेंगे और कानूनी अड़चन पैदा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि सदन में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी से ही दरख्वास्तें लेना शुरू कर दिया गया है कि इसमें तरमीम न की जाय । सदन द्वारा कानून बनता है उस पर आचरण करना सदन के माननीय सदस्यों का कितना फ़र्ज़ है और उसके साथ साथ सरकार का भी कितना फ़र्ज़ है । यदि सरकार एग्ज़म्पशन के ऊपर डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार करे, जो नगरपालिकायें ८ हज़ार से नीचे की आबादी की है उनको तो पंचायतों में तरमीम करें और जो नगरपालिकायें ८ हज़ार से नीचे की आबादी की होते हुए भी उनको पंचायतों में तरमीम न करें और रिज़नेबल ग्राउन्डस की तलाश करती रहे, इस बात के लिए कहना कि यह अनुचित है और किसी एप्रिहेन्सन पर कह रहा हूं, लेकिन मुझे यह स्पष्ट नज़र आ रहा है कि यह किया जायगा । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जब कानून में ऐसी व्यवस्था हुई है । सरकार डिस्क्रिमिनेशन न करे और सदन में इस बात की घोषणा करे कि ८ हज़ार से कम आबादी की नगरपालिकायें होंगी वहां पंचायतें स्थापित की जावेंगी और सरकार यह देखे कि सलूम्बर में करना है, वहां पंचायत स्थापित न करें । कपासिन में करना है, बेगूं में करना है वहां न करे...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): श्रीमाधोपुर में क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : दस हज़ार की आबादी है । तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि उस स्थिति में सरकार स्पष्ट रूप से घोषणा करें कि ८ हज़ार से कम की जो नगरपालिकायें हैं वे एक कानून और नोटिफिकेशन के द्वारा भंग की जावेंगी और वहां पर पंचायतें स्थापित की जावेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन एप्लाई करने वाले हैं । यदि यह डिस्क्रिमिनेशन रहा तो सब स्थानों पर एक संघर्ष की स्थिति बनेगी । इसको राजनैतिक रूप दिया जावेगा । एक ग्रुप कहेगा कि पंचायत बननी चाहिये, दूसरा ग्रुप कहेगा कि नहीं पंचायत नहीं बननी चाहिये और नगरपालिका बननी चाहिये। उन दोनों पार्टियों में, जनता में एक संघर्ष पैदा होगा । एक जगह होगा तो दूसरी जगह भी इस प्रकार होगा और यह सब जगह इस प्रकार का संघर्ष हो जायगा, जो कायम करना चाहेंगे कर लेंगे । इसमें इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन रख कर एक संघर्ष का बीज आप पैदा करेंगे । यदि जो नगरपालिकायें ८ हज़ार से कम आबादी की है उन सब को भंग करके पंचायतें बना दिया गया तो इस प्रकार का संघर्ष का वातावरण नहीं रहेगा । जब यह धारा पास की गई, तो कई चिट्ठियां आई तार आये रिप्रेज़ेन्टेशन्स आये और उनके द्वारा ख्वाहिश की गई कि ऐसी नगरपालिकाओं को भंग नहीं किया जाना चाहिये । यदि सरकार थोड़ी लिनियेन्सी रखती है, अपनी अस्पष्ट नीति रखती है तो वहां पर नगरपालिकायें भंग नहीं होने वाली हैं लोग सार्वजनिक सभायें करेंगे, रिप्रेज़ेन्ट-

(श्री भैरोंसिंह)

शन्स करेंगे और सार्वजनिक सभायें और और रिप्रेजेन्टेशन तक ही यह सीमित नहीं रहेगा किन्तु जयपुर और बाकी के स्थानों में घूमने से जनता का खर्च होगा और जनता इससे परेशान होगी। इसलिए सरकार को उस स्थिति में स्पष्ट घोषणा इस बात की कर देनी चाहिये।

दूसरा प्रश्न आता है नगरपालिकाओं के फाइनेन्सेज़ के विषय में। इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था की है जो मैं ऐसा समझता हूँ मोस्ट अनडेमोक्रेटिक है। कई माननीय सदस्य कहेंगे कि ओब्लीगेटरी टैक्सेज़ लगाकर फाइनेन्स पोजिशन ठीक की है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि नगरपालिकायें कम से कम सहायता सरकार से लेने की मुंतजिर रहे, उनको स्वावलम्बी बनना चाहिये। वे बनती क्यों नहीं हैं? रीजन्स का पता लगायें तो ऐसा लगता है कि नगरपालिकाओं के जो रिसोर्सेज़ हैं, जिनसे उनको आमदनी हो सकती है वो सरकार ने अपने हाथ में ले लिये हैं। ट्रान्सपोर्ट की आमदनी सारी सरकार लेती है, एन्टरटेन्मेन्ट टैक्स सारा सरकार लेती है और तीन साल का एवरेज़ निकाल कर सबसिडी देती है प्रोपर्टी के ट्रान्सफर पर नगरपालिका को मदद नहीं मिलती। बाकी के टैक्सेज़ गवर्नमेंट वसूल करती हैं। जिन पर नगरपालिका का हक है उससे छीन कर सरकार ने अपने अधिकार में कर रखा है नगरपालिकायें इन्डिपेन्डेन्ट नहीं हैं और सरकार का मुंह देखती रहती हैं।

हमने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि सरकार कितनी पर्सेन्ट म्युनिसिपल बोर्ड को सहायता देगी। सहायता ग्रान्ट-इन-एड, सबसिडी, लोन्स आदि का चार्ट उठाकर आप देखें तो आपको पता चलेगा कुछ नगरपालिकाओं में जिनमें कांग्रेस का बहुमत है, कांग्रेस विरोधी ग्रुप का बहुमत है उसमें भी सत्तारूढ़ ग्रुप का जिन नगरपालिकाओं में बहुमत है उन नगरपालिकाओं को ग्रान्ट-इन-एड, सबसिडी, लोन्स आदि ज्यादा मिलेंगे और ठीक समय पर मिल जायेंगे। किन्तु बाकी की नगरपालिकायें और खास तौर से विरोधी दल की नगरपालिकाओं को सरकार सबसिडी समय पर नहीं देती, लोन्स ग्रान्ट करती है तो उसमें समय लगा देती है, ये ऐसी बातें हैं जिनके कारण सहायता मिलनी चाहिये सबको समान रूप से वह नहीं मिल पाती। लोन्स भी मन्जूर होते हैं योजना की समाप्ति पर, उसके दो तीन वर्ष बाद। इस प्रकार से सरकार किसी न किसी बहाने से विरोधी दल की नगरपालिकाओं को परेशान करना चाहती है। इस कानून के अन्तर्गत शुरू से लेकर आखिर तक हमने यह कहीं नहीं रखा कि म्युनिसिपैलिटी की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से ठीक करें। आर्थिक स्थिति ठीक करने का जो दायित्व है उससे सरकार बच निकली है। किसी भी धारा में इस बात का उल्लेख नहीं कि सरकार किसी प्रकार के ओब्लिगेशन्स हों, जनता पर ओब्लिगेटरी टैक्सेज़ लगाये। लेकिन सरकार अपने ऑब्लीगेशन्स से इस प्रकार से बच निकली है जिससे यह साफ मालूम पड़ता है कि सरकार का केवल काम नियन्त्रण करने का है, केवल शासन करने का है आर्थिक स्थिति देखने का नहीं और इसी प्रकार की व्यवस्था इस बिल में भी की गई है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था होती है, टैक्सेशन का जो ढाँचा है जो टैक्स

(श्री भैरोंसिंह)

नगरपालिकाओं को वसूल करना चाहिये उनको सरकार वसूल कर रही है उस वसूली के अन्दर नगरपालिकाओं का इतना हिस्सा है, यह कभी नहीं कहती। हर साल जब नया साल शुरू होता है अपने ऊपर यह ऑब्लिगेशन लेकर कि हां नगरपालिकाओं को यह सुविधा देनी है आक टैक्सेज़ में इनका इतना हिस्सा है वह हिस्सा नगरपालिकाओं को मिलेगा और उसी आधार पर नगरपालिकायें व्यवस्था कर सकती हैं। सरकार पर किसी प्रकार का ऑब्लिगेशन नहीं। सरकार को अधिकार है नगरपालिका को भंग कर दे, सुपरसीड कर दे, डिज़ोल्व करदे टैक्सेज़ से एग्ज़ेम्पशन देने का अधिकार उसको है लेकिन जहां सरकार ने अधिकार सब अपने हाथ में ले लिये वहां अपने ऊपर लाइबिलिटी कुछ भी नहीं ली।

आज के इस युग में नगरपालिकायें इन्डीपेन्डेन्ट हों सरकार पर आश्रित न हो तो सरकार स्पष्ट रूप से आर्थिक स्थिति की जो लाइबिलिटी है उसे अपने हाथ में लेनी चाहिये। हमने ऑब्लिगेटरी टैक्सेज़ इम्पोज किये हैं आप अगर वह स्टेटमेंट देखें जिसमें राजस्थान की नगरपालिकाओं को कितना टैक्स देना पड़ता है वहां हम पायेंगे सबसे ज्यादा टैक्स अजमेर की नगरपालिका को देना पड़ता है उससे कम डूंगरपुर की नगरपालिका को। अजमेर और डूंगरपुर में पर-केपिटा १२ पॉइन्ट टैक्स लगा हुआ है। जब कि डूंगरपुर में प्रोफेशनल और हाउस टैक्स नहीं है। फिर भी वहां पर १२ पॉइन्ट पर-केपिटा टैक्स है। अगर उन पर दो टैक्स और जोड़ दिये गये तो उनकी क्या स्थिति होगी? डूंगरपुर में ज्यादा टैक्सेशनका कारण यह हो सकता है कि चेयरमैन महोदय पर गबन का मामला चल रहा है, हजारों रुपयों का घोटाला उन्होंने किया है। यही कारण है कि वहां पर पर-केपिटा टैक्सेशन का एवरेज़ बढ़ा है। ये टैक्सेशन कई दिनों से चलते आ रहे हैं और उसी तरह से गबन भी कई वर्षों से चला आ रहा है और इसी कारण वहां पर पर-केपिटा टैक्सेशन की दर बढ़ी है। ऐसी सारी स्थिति के अन्दर सरकार को चाहिये कि नगरपालिकाओं का जो हिस्सा सरकार के पास है उनकी पूर्ति के लिये नगरपालिकाओं को वह क्या क्या देगी यह बात स्पष्ट होनी चाहिये थी और वह हिस्सा किस किस तारीख तक पहुँच जायगा यह भी तय कर दिया जाना चाहिये। इन सब चीजों का सरकार को दायित्व लेना चाहिये। लेकिन सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था न कर डिज़ोल्वेशन और सुपरसेशन के पॉवर्स अपने पास लिये हैं।

नगरपालिकाओं में इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि नगरपालिका सरकार पर इस बात का पूरा प्रेशर डाल सके, कि अगर आपने सब-सिडी नहीं दी मदद आपकी ओर से नहीं मिली तो जो भी टैक्सेशन लगा रखा है उससे हम जनता को मुक्त कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने इस बिल में तीन टैक्स ऑब्लिगेटरी रखे हैं। एक तो हाउस टैक्स, दूसरा प्रोफेशनल टैक्स और तीसरा है ऑक्ट्रोय ड्यूटी। प्रोफेशनल टैक्स को लेकर सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य बड़े चिढ़े हुए हैं। वे नहीं चाहते कि यह टैक्स लगाया जाय। मुझे ऐसा लगता है कि उनका सरकार पर दबदबा होते हुए भी सरकार उनकी बात को स्वीकार नहीं करेगी। आज उनकी मांग स्वीकार नहीं

Page No.44

(श्री भैरोंसिंह)

होगी तो इस एक्ट के लागू होने के पहले उनकी मन्शा पूरी हो जायगी। मन्शा इसलिये होगी कि गरीबों पर टैक्स लगता है, अमीरों पर टैक्स लगता है वे चाहते हैं कि इसके जरिये मिडिल क्लास के लोगों पर जो टैक्स लगने वाला है उससे बचाया जाय। मैं ऑब्लिगेटरी टैक्स का विरोधी हूं...

श्री सोहनलाल भटनागर : आपने भी लगाने में सहयोग दिया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो इसका विरोध कर रहा हूं। ऑब्लिगेटरी टैक्स होना ही नहीं चाहिये। हाउस टैक्स नहीं होना चाहिये और ऑक्ट्रोय ड्यूटी भी नहीं लगनी चाहिये। टैक्स ऑन प्रोफेशन नहीं होना चाहिये। जहां तक यह सिद्धान्त का प्रश्न है हम जब इस प्रकार का कानून बनाते हैं और कल जिस नगरपालिका का चुनाव होगा हम जब कि इस सिद्धान्त के विरोधी हैं प्लेटफार्म पर खड़े होकर कहेंगे कि इस प्रकार के जो ऑब्लिगेटरी टैक्सेज़ हैं वे नहीं लगने चाहिये। हम यदि जीत गये तो इस प्रकार का टैक्स नहीं लगायेंगे, इस प्रकार की बातें कही जा सकती हैं। ऑब्लिगेटरी टैक्सेज़ जनता देती है या नहीं। डूंगरपुर में आपने ये टैक्सेज़ लगा दिये और अजमेर में आपने ये टैक्सेज़ लगा दिये तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां की जनता इन टैक्सेज़ को देने के लिये तैयार नहीं होगी। विधान सभा में कोई कानून बन जाय और उसमें सरकार इस प्रकार का प्रावधान रखे कि नगरपालिका अगर चाहे तो सरकार की स्वीकृति से अपने को इस प्रकार के टैक्सेज़ से बचा सकती है। यह, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का हथियार है जिसका उपयोग राजनैतिक ढंग से किया जा सकता है। नगरपालिकाओं पर आपने तीन टैक्स इसलिये लागू कर दिये कि विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था है। मान लीजिये कहीं की जनता ने विरोध किया, विरोध करने के बाद नगरपालिका के सदस्यों ने देखा कि यह तो ठीक नहीं हुआ तो वे नगरपालिका में इस प्रकार का प्रस्ताव ला सकते हैं कि अमुक प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिये और उस प्रस्ताव को बहुमत से पास कर देते हैं, और वह प्रस्ताव सरकार के पास जाता है। सभी केसेज़ में सरकार एक सा निर्णय करेगी, यह नहीं कहा जा सकता। कई केसेज़ ऐसे होंगे जिनके कारण नगरपालिका के सदस्यों में आपसी संघर्ष पैदा करवा सकते हैं और उस प्रस्ताव के ऊपर भी सरकार यह कह सकती है आपकी नगरपालिका की स्थिति खराब है आपको यह टैक्स तो लागू करना पड़ेगा।

आज सारी नगरपालिकायें विकास का काम अपने हाथ में लेना चाहती है स्कूल, जच्चाघर, औषधालय आदि बनाना चाहती हैं। प्राईमरी पाठशालायें बनाना चाहती हैं। पागलों के लिये छुआछूत की बीमारी के लोगों के लिये अलग रहने की व्यवस्था करना चाहती है, ऐसी हालत में इस विकास के युग में किसी भी नगरपालिका को यह कहा जा सकता है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। इस तरह से इस धारा का राजनैतिक दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिये निवेदन करूंगा कि सरकार अब भी जब कि थर्ड रिडिंग चल रही है फिर भी ऐसी स्थिति के अन्दर भी ऑब्लिगेटरी टैक्सेज़ के जो सिद्धान्त हैं उनको स्वीकार करके कानून के बेस को परिवर्त्तित कर सकती

(श्री भैरोंसिंह)

है। आप प्रजातंत्र की बातें करते हैं, सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं जनता के हित के अन्दर ज्यादा से ज्यादा सत्ता सौपना चाहते हैं वहां नगरपालिका के सदस्य में और विधान सभा के सदस्य में इतनी बात का अन्तर नहीं कर सकते कि विधान सभा के सदस्य जो कहते हैं वे सही कहते हैं, नगरपालिका के सदस्य कहते हैं वे गलत कहते हैं, यह नहीं माना जाना चाहिये । जयपुर नगरपालिका के सदस्य भी काफी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिये जो भी बात वे कहेंगे जिम्मेवारी के साथ कहेंगे । अगर सामूहिक रूप से बोर्ड यह निश्चय करता है तो वह एक बुद्धिमानों का स्टेप होगा। उस स्थिति के अन्दर इतना सोचना कि ऑब्लिगेटरी टैक्सेज़ का प्रावधान नहीं रखेंगे तो सदस्य लोग कभी भी टैक्स नहीं लगायेंगे, उपयुक्त नहीं है, और केवल स्टन्ट खड़े करते रहेंगे कि इस प्रकार का टैक्स हम नहीं लगायेंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रकार के स्टन्ट का सम्बन्ध है वे तो होंगे ही राजनैतिक दलों द्वारा उसका निश्चित रूप से प्रयोग होगा। मेरा तो यह निवेदन है कि जहां तक टैक्स इम्पोज़ करने का सवाल है उसके लिये नगरपालिका को अधिकार दे दिये जांय, वे ठीक समझे उस प्रकार के टैक्स इम्पोज़ करें।

टैक्सेशन के विषय में इतना ही कह देना पर्याप्त समझता हूं कि राजस्थान की जनता इसका स्वागत करने वाली नहीं है। वैसे भी भारत सरकार प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर हर साल लगाती रहती है और राजस्थान सरकार भी हर साल नये नये प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर लगाती रहती है वैसी हालत में नगरपालिकायें टैक्स माफ़ करती हो, ऐसी बात नहीं। इस प्रकार के टैक्सेशन लगा कर आप जनता की आर्थिक स्थिति को चूर चूर कर दें तो यह जनता कभी भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरा तो यही निवेदन है कि हम नगरपालिकाओं पर यह भार डाल दें, कि वे चाहे जिस प्रकार का टैक्स लगाना चाहे लगा सकती है। जहां सरकार ने अपने भार को स्वीकार नहीं किया वैसी हालत में जनता पर ज्यादा भार लादा जायगा तो वह भी कभी भी उसे स्वीकार करने वाली नहीं है।

तीसरी बात जो इसमें मोस्ट अन्-डेमोक्रेटिक है वह है सुपरसेशन की, डिजोल्व करने की। कल ही हमने इस धारा को स्वीकार किया था और सरकार को अधिकार दिया। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का उपदेश उधर बैठने वाले माननीय सदस्य दिया करते हैं, उधर बैठने वाले सदस्यों से कई बार सुनने को मिलता है कि जनता के प्रतिनिधियों का हमें विश्वास करना चाहिये, ये प्रजातन्त्र की नींव हैं, ये डेमोक्रेसी के बेसिक युनिट्स हैं, इन बेसिक युनिट्स को काम करने का अवसर देना चाहिये, ये काम का अनुभव प्राप्त कर सकें ऐसा मौका देना चाहिये। इस प्रकार की बातें उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों की तरफ से बहुत सुनने को मिलती हैं। एक तरफ तो वे उपदेश देते हैं दूसरी तरफ उसके मुताबिक आचरण की व्यवस्था नहीं करते। यदि आपको उपदेश देना है। तो उसे कार्य रूप में भी परिणित किया जाय। आप नगरपालिकाओं पर विश्वास करते हैं, नगरपालिका के आर्डिनेन्सेज़ पर भी आपको

(श्री भैरोंसिंह)

विश्वास करना पड़ेगा, उनको जमीन बेचने का अधिकार आपने दिया है सब कुछ बातें आपने दी हैं। उस स्थिति के अन्दर आप स्वयं चाहते हैं कि अपने अधिकारों का प्रयोग कर उसको भंग करने की बात क्यों करते हैं? इस सारे विधेयक में एक ओर तो आप ऑब्लिगेटरी टैक्सेज़ का प्रावधान करते हैं दूसरी तरफ सुपर्सेशन और डिजोल्व करने का भी अधिकार आप लेते हैं वैसी हालत में इस कानून को आज के समय के अनुसार भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, वे चाहे किसी प्रकार की संज्ञा दें, वे इसे प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं लेकिन मेरी सम्मति यह है कि ये दोनों रिएक्शनरी क्लॉजेज़ हैं इनको प्रोग्रेसिव नहीं कहा जा सकता। ऑब्लिगेटरी टैक्सेज़ का जहां तक लगाने का सवाल है उसको आप प्रोग्रेसिव समझते हैं तो मैं समझता हूँ इस प्रोग्रेसिव की परिभाषा के अन्दर भी मतभेद है। जहां तक सुपरसीड और डिज़ोल्व करने का सवाल है। ये दो क्लॉजेज मतभेद के कारण होते हुए भी ये सारे विधेयक पर एक जबर्दस्त कलंक है। दो क्लॉजेज़ की तुलना के अन्दर नगरपालिका विधेयक की सारी धारायें हैं। वे उतनी ही भार स्वरूप नहीं हैं उनसे कहीं ज्यादा ये दोनों धारायें भार स्वरूप हैं। मैं ऐसा समझता था कि नामजदगी की प्रथा को समाप्त किया गया वह भी कोई कम चीज नहीं है। लेकिन इन दोनों के मुकाबले वह प्रोग्रेसिव स्टेप कमजोर पड़ जाता है। फिर भी जो कुछ सुधार इस विधेयक द्वारा हम नगरपालिकाओं का करने जा रहे हैं उससे कुछ सुधार होगा इन बुराइयों के बावजूद भी। इस आशा के साथ विधान सभा इस विधेयक को पारित करें ताकि जल्दी से जल्दी इसको लागू किया जा सके, यह मेरी अपेक्षा है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जिन माननीय सदस्य ने थर्ड रीडिंग पर अपने विचार रखे उन्होंने इस विधेयक के दो प्रावधानों को मोस्ट अन-डेमोक्रेटिक बताया। मैं पहले, जैसा कि उनका तरीका है, एक बहुत अच्छे विधेयक में भी वे पहले बुराई को देखते हैं बाद में पुशिंग के अन्दर एक अच्छे पॉइन्ट को लेते हुए एन्ड कर देते हैं। हमने इस बिल में नोमीनेशन की प्रथा को खत्म किया यह एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है मगर उन्होंने यह नहीं बताया। दूसरा आज तक रूलर्स को जो एक्जेम्पशन था हिन्दुस्तान में यह सबसे पहली स्टेट होगी जिसमें उन्होंने उनके एक्जेम्पशन को विथड्रा किया और उन पर टैक्स लगाया। वे यह भी भूल गये जो आज तक म्युनिसिपैल सर्विसेज़ की हालत है, चेयरमैन की गुड विशेज़ पर ऑफिस होल्ड करते थे। हमने इस बिल में उनकी सर्विसेज़ को सुरक्षा प्रदान की है जिससे म्युनिसिपल कार्य के अन्दर पर्मानेन्सी कॉन्टीन्यूटी और इन्टीग्रिटी सर्विसेज में आये और वे अपनी सर्विस सिक्योर फील करें। ये इस तरह के गुड पॉइन्ट्स थे जिनको माननीय सदस्य ने बिल्कुल एक तरफ रख दिया। मैं इस संबन्ध में माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ कि शायद हम यह भारतवर्ष के अन्दर राजस्थान में पहली दफा बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि इतना प्रगतिशील म्युनिसिपल लेजिस्लेशन बनाया है जो किसी भी अन्य स्टेट के

Page No.47

(श्री श्रीमानसिंह)

अन्दर नहीं है । इतना लिबरल, इतना डेमोक्रेटिक लेजिस्लेशन हमने बनाया है और हम चाहते हैं कि इसी आधार पर ये डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूशन्स बनें । इस प्रकार का प्रगतिशील लेजिस्लेशन, भारतवर्ष के अन्य राज्यों में राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जिसने इस प्रकार का लेजिस्लेशन पास किया है । माननीय सदस्य ने दो पॉइन्ट्स पर ज्यादा जोर दिया । ऑब्लिगेटरी टैक्सेज को लेकर माननीय सदस्य ने बारबार आरोप लगाया कि जो पार्टी-इन-पॉवर है वह शायद आठ हज़ार की जहां म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके बारे में माननीय मंत्री महोदय पर प्रेसर डलवा कर या डाल कर उनको समाप्त नहीं होने देंगे । हो सकता है, यह गवर्नमेन्ट का डिस्क्रीशन है । वे इस डिस्क्रीशन का और मिस-यूज दो दोनों कर सकते हैं, दोनों की संभावनायें हैं । लेकिन फिर भी यह इनडिवीज्युअल की प्रेशर टैक्टिक्स पर डिपेन्ड करता है बहुत सी म्युनिसिपैलिटियां हैं जो आठ हज़ार की आबादी की हैं उनको मंत्री महोदय खत्म न कर सके । सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा वे इस प्रकार का इनफ्लुएन्स करने में चाहे वे पार्टी के कितने ही इनफ्लुएन्शल व्यक्ति हों मंत्री महोदय को इनफ्लुएन्स करके आठ हज़ार तक की आबादी की म्युनिसिपैलिटी को वैसी ही कायम रखवाना चाहें, चाहे वे कितने ही इन्फ्लुएन्सल व्यक्ति क्यों न हों, राजस्थान के किसी भी कोने में रहते हों मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि जनतंत्र के वे सबसे बड़े घातक होंगे । मुझे यह भी कहने में संकोच नहीं कि आठ हज़ार की म्युनिसिपैलिटियों को वे वैसे ही कायम रखवाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि वहां की जनता के अहित के लिये सबसे ज्यादा वे जिम्मेवार होंगे । जो फायदे पंचायतों के जरिये हो सकते हैं उन फायदों को म्युनिसिपैलिटीज का नाम देकर वे फायदे नहीं पहुँचने देते हैं । मेरा इतना ही निवेदन है कि आप जनता को पनपने दें । ये जो वायेबल युनिट्स बना रहे हैं यह एक प्रगतिशील कदम है उसमें हम मदद दें जिससे डिसेन्ट्रेलाइजेशन का जो सिद्धान्त है उसको इम्प्लीमेन्ट कर सकें ।

इसके अलावा जो माननीय सदस्य हमारे विरोधी दल के हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि ऑब्लीगेटरी टैक्सेज यह नयी चीज़ है और इस वजह से नई चीज को रूप लेने में समय लगेगा । जनता के माइन्ड को ऑब्लीगेटरी टैक्स रिसीव करने के लिये प्रीपेअर करना पड़ेगा, उसको प्रीपेअर करने में उनका भी उतना ही उत्तरदायित्व है जितना कि रूलिंग पार्टी का और उतना ही अपोजिशन पार्टीज़ का है । उन्होंने यह भी संभावना बतलायी कि जो पार्टी इन-पावर होगी वह इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश भी करेगी और उन्होंने इसके साथ यह थ्रेट दिया एजीटेशन का उनसे मैं यह निवेदन करूंगा जो अगर म्युनिसिपैलिटीज़ को साउन्ड एडीफाइज रखना चाहते हैं और जो उनके फंक्शन्स हैं उनको अच्छी तरह परफॉर्म करें तो उसको सिविक एमीनिटीज देनी चाहिये वह दें । अभी से यह थ्रेट ऑब्लीगेटरी टैक्सेज के लिये आपका एजीटेशन का एप्रोच होगा इसको भी आप विथड्रा करिये ।

१ म० प०

(श्री श्रीमानसिंह)

आप इस थ्रेट और एजीटेशनल एप्रोच को मत एडॉप्ट कीजिए।

आज सहयोग का समय है। वैसे तो जिस आदमी को टैक्स देना पड़ेगा वह हमेशा उसका विरोध ही करेगा। लेकिन उस विरोध को मिनिमम करना यह पोलिटीकल पार्टीज़ की रेस्पोन्सिबिलिटी है। म्युनिसिपैलिटी के लिए बल्कि इस स्टेट के लिए और इस नेशन के लिए जब आप इस सिद्धांत को मानते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज़ को डवेलप करना चाहिए और जो अभी तक उनको डवेलप करना चाहिए था, वह नहीं हो सकी है तो जब उनके हाथ में आप वह इन्सट्रूमेंट और पॉवर देना चाहते हैं कि इस तरह से आप अपने रिसोरसेज़ को बढ़ाइये तो आप उसका विरोध करते हैं। इसके लिए आपने अन्डेमोक्रेटिक का शब्द यूज़ किया तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्या अन्डेमोक्रेटिक हुआ कि ऑब्लीगेटरी टैक्सेज़ न दें ? 'नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेन्टेशन,' अगर यह है तो जो रिप्रेजेन्टेटिव होंगे वह टैक्स को लेवी करेंगे और सबसे बड़ा जो डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल है वह यह है कि यहां राजस्थान सरकार ने जो टैक्सेज़ की रेट्स निर्धारित करने की पॉवर्स म्युनिसिपैलिटीज़ को दी हैं, एक इतनी फ्रीडम दी है कि जिस तरह से म्युनिसिपैलिटी चाहे उस तरह से रेट्स निर्धारित करें। उन्होंने ऑब्लीगेटरी टैक्स को अपोज़ किया, हाउस टैक्स को अपोज़ किया लेकिन जब हम कोई काश्तकार के लिए लेजिस्लेशन लाते हैं तो आप कहते हैं कि यह गवर्नमेंट रूरल पीपुल्स को प्रोटेक्शन नहीं देती। आज उसी पार्टी के नेता, जनसंघ के नेता यह कहते हैं कि जितना भी हमारी राजस्थान सरकार पैसा इकट्ठा करे रूरल पीपुल से वह पैसा उसको शहरों के इम्प्रूवमेन्ट के लिए लगाना चाहिए। मैं खुद उनसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर शहर वाले खुद वाटर और लाइटिंग के लिए अपने लिए कन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो उनको क्या हक है ? रूरल पीपुल के पैसे से वह अपना इस तरह का इंतजाम करायें। आज रूरल एरियाज़ में पीने के पानी की फैसेलिटी नहीं है और वह टैक्स दें जोधपुर सिटी को फ्लरिश करने के लिए। वह आर्ग्यूमेन्ट तो मेरी समझ में नहीं आया कि जो अपने आपको सबसे बड़ा किसानों की अच्छाई के लिए मानते हैं, अपने आपको उनका हितकारक मानते हैं वही आज इस प्रिन्सिपल को इस हाउस के अन्दर प्रोफाउन्ड करते हैं और इसको इतना जोर से कहते हैं कि रूरल पीपुल के ऊपर टैक्स नहीं लगायें और दूसरी ओर कहते हैं कि रूरल एरिया पर जो टैक्स का पैसा हो उसको शहरों के बैटरमेन्ट के लिए लगायें...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मैंने यह कभी नहीं कहा है कि रूरल पीपुल को ज्यादा टैक्स किया जाना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि नगरपालिका के जितने भी फंक्शन्स हैं और नगरपालिका के जो टैक्सेज़ हैं उसमें नगरपालिका के लोगों का हिस्सा है वह हिस्सा उनको मिल जाना चाहिए।

श्री श्रीमानसिंह : खैर, उनके कहने का मतलब यही था। जहां तक माननीय सदस्य ने यह बताया कि म्युनिसिपैलिटीज़ की

(श्री श्रीमानसिंह)

जो प्रेक्टीकल पोज़ीशन है उनकी उस पोज़ीशन को उन्होंने कन्सीडर नहीं किया। मैं खुद उन्हीं से दुबारा यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आज जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं बड़ी बड़ी उनमें से कितनी की अच्छी हालत है। उन्होंने कितने टैक्सेज़ इम्पोज़ कर दिये और कितनी म्युनिसिपैलिटीज़ ने अपनी फाइनेन्शियल पोज़ीशन को सुधार लिया। आज वह सभी म्युनिसिपैलिटीज़ सबसिस्टेन्स करती हैं गवर्नमेंट लोन और सबसीडी पर। जहां तक सदन में यह प्रश्न आया कि म्युनिसिपैलिटीज़ अपने कर्मचारियों की तनख्वाह दे सकती बिना ग्रान्ट लिए तो क्या ऐसी म्युनिसिपैलिटीज़ को रखना सरकार की जिम्मेदारी है ? क्या यह वहां की जनता की जिमेदारी नहीं है कि अगर वह अपने क्षेत्र में म्युनिसिपैलिटी चाहते हैं तो उसके रिसोर्सेज़ के लिए खुद कन्ट्रीब्यूट करें। तो जब कि आज तक म्युनिसिपैलिटीज़ आज तक फेल्योर रहीं, अपने रिसोर्सेज़ को एक्सप्लोइट नहीं कर सकी तो राजस्थान सरकार यह ऑब्लीगेटरी टैक्सेज़ लगाती है और उनको कम्पलसरी करती है इसलिए कि आप अपने रिसोर्सेज़ को इम्प्रूव करें। माननीय सदस्य यह मानेंगे कि जो हमारी सेन्चुरीज़ की खराबियां हैं या बैकवर्डनैस हैं उनको हम विद-इन ए शार्ट टाइम और खास तौर से वह कन्ट्रीज़ जो प्रोग्रेसिव नेशन्स हैं उनके बराबर लाना चाहते हैं। तो एक तरफ तो हम उनके बराबर आना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो तरीके हैं जिनसे हम पीपुल को फैसेलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें उनको हम दूसरे हाथ से विथड्रा कर लें तो यह कहां तक प्रिन्सिपल की बात होगी ? मुझे दुःख है कि जहां कम्पलसरी टैक्स के अन्दर, हाउस, प्रोफेशन और आक्ट्राई टैक्स रखे वहां मैंने जो दो टैक्स के हैड्स बताये थे वह उन्होंने एग्री नहीं किये। और मैं यों अपना खेद प्रकट करता हूँ कि आज ८० पर्सेंट राजस्थान की जनता बैटरमेन्ट लेवी देती है और वह बैटरमेंट लेवी इसलिए देती है कि राजस्थान सरकार एक किसी क्षेत्र के अन्दर बांध वगैरह बनवाती है और उससे काश्तकारों को फायदा होता है। उस फायदे की वजह से सरकार बैटरमेन्ट लेवी लेती है और इसके कारण मैंने यह कहा कि आप उनके ऊपर अनअर्न्ड टैक्स लगायें, स्पेशल असेस्मेन्ट वैल्यू लगायें तो उसके लिए सरकार ने अर्बन एरिया के लिए नहीं माना। तो समझ में नहीं आता कि एक स्थान से ८० पर्सेंट के लिए मान लेते हैं और २० पर्सेंट के लिए हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो यह कहां तक करेक्ट व्यू है, यह मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि जब म्युनिसिपैलिटी कोई इम्प्रूवमेन्ट करती है और उससे किसी बिल्डिंग की या लोकेलिटी की रहने की वैल्यू बढ़ती है और उस लोकेलिटी के हाउसेज़ की वैल्यू बढ़ती है और फिर उस लोकेलिटी को टैक्स किया जाये क्योंकि उस लोकेलिटी के हाउस की वैल्यू बढ़ गई है, उसके लिए कन्ट्रीब्यूशन मांगा जाय तो मैं नहीं मानता कि इसको कैसे अनजस्ट टैक्स मान लिया जाये। मैं विरोधी दल के सदस्यों से केवल यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आप इसमें सहयोग नहीं देंगे तब तक बड़ा मुश्किल है आगे बढ़ना। आलोचनायें तो मैं भी कर सकता हूं, आलोचना करना बहुत आसान है लेकिन टैक्सेशन से इस कन्ट्री में रूट लेने में मदद करना मुश्किल काम है। अगर आप पीपुल की फीलिंग्स को एक्सप्लॉइट करें तो

(श्री श्रीभानसिंह)

यह हो सकता है वोटिंग में आप जीत कर आ सकते हैं मगर जो एमेनीटीज़ प्रोवाइड करने का उत्तरदायित्व होगा वह आप प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। तो यह एज़ीटेशनल एप्रोच को हमको थोड़ा गिव-अप करना पड़ेगा और अगर हम एक चीज़ के अन्दर सहयोग नहीं दे सकते तो हमें पीपुल की फीलिंग्स को एक्सप्लॉइट भी नहीं करना चाहिए और जो आप क्रिटिसिज्म करते हैं उससे हो सकता है कि वह वोट जनता को एक्सप्लॉइट करके ले आयें। उनको चाहिए था कि वह कोई सुझाव देते। लेकिन उन्होंने कोई सुझाव दिये नहीं। उन्होंने एक ऑक्ट्राई का सुझाव दिया और रेफरेन्स दिया डूंगरपुर का। मेरे ख्याल से डूंगरपुर की म्युनिसिपैलिटी बीस-तीस हज़ार की होगी और उन्होंने पर-कैपिटा उसकी आमदनी १२ रुपया बताई। मुझे यह लॉजिक समझ में नहीं आई कि म्युनिसिपैलिटी कोई ऑक्ट्राई टैक्स लगाती है और उससे उसकी पर-कैपिटा इन्कम १२ रुपये की होगी....

श्री भैरोंसिंह : मैंने ऑक्ट्राई के लिए नहीं कहा। ऑक्ट्राई के अलावा दूसरे टैक्सेज़ से इतनी आमदनी है।

१.६ म० प०

(श्री आबिद अली, सभापति, पदासीन)

श्री श्रीभानसिंह : शायद माननीय सदस्य के ध्यान में नहीं है कि वहां पर ऑक्ट्राई के सिवाय दूसरा कोई टैक्स नहीं है। तो जिस म्युनिसिपैलिटी की १२ रुपया पर-कैपिटा इन्कम हो तो मेरा ख्याल है कि उस म्युनिसिपैलिटी को सबसे पहले खत्म कर देना चाहिए। आप ऑक्ट्राई के लिए मानेंगे कि यह एक इन्डाइरेक्ट टैक्स है। उसका इन्सीडेन्स कितना पड़ता है। रूरल एरिया पर और अर्बन एरिया पर तो इसका डिस्टिंक्शन करके बताते कि अर्बन एरिया पर ज्यादा है और रूरल एरिया में कम है। तो जो म्युनिसिपैलिटीज़ सिर्फ ऑक्ट्राई पर टैक्स लगा रही है। उनको रखना चाहिए और दूसरों को वालन्टियर कर देना चाहिए तो यह जो उनका सिद्धांत है या सपोर्ट में जो ऑर्ग्यूमेन्ट्स रखे ये ऑर्ग्यूमेन्ट्स ठीक नहीं आते और जिस कन्टेक्स्ट में फिट-इन करना चाहिए था, उसमें भी फिट-इन नहीं होते। तो ऐसी म्युनिसिपल बोर्ड जो ऑक्ट्राय से सबसाइड करते हैं, इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन से सबसाइड करते हैं वहां लाजिमी है कि हम बेलेन्स करें। बेलेन्स करें between direct tax and indirect tax. ऑक्ट्राय से आमदनी ड्रा करते हैं तो उतने ही नॉमिनल चार्जेज उन पर लगाये जायं। जब मैं टैक्सेशन के, पोपोजल पर बोल रहा था तो मैंने सुझाव दिया था कि हरेक म्युनिसिपल बोर्ड के कम्पलसरी फन्कशन्स में म्युनिसिपल ट्रेडिंग को रखना चाहिए जो कि मुझे खेद है कि माननीय मन्त्री महोदय ने नहीं माना। सबसे ज्यादा उसका विरोध मेरे जनसंघी साथियों ने किया था कि म्युनिसिपल ट्रेडिंग को कभी कम्पलसरी नहीं बनाया जाय। जो मैंने लोकल ट्रेडिंग के लिए और लोकल इन्डस्ट्री के डवेलपमेंट के लिए एमेन्मेंट रखा उसका जनसंघ के साथियों ने सबसे ज्यादा विरोध किया कि इनको कमर्शियल अन्डरटेकिंग्स बना रहे हैं। एक तरफ टैक्सेशन का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ जब एमेंडमेंट रखा जाता है कि म्युनिसिपैलिटीज़ को नॉन टैक्स रेवेन्यू

(श्री श्रीमानसिंह)

पर ज्यादा रिलाई रखना चाहिए क्योंकि उनके टैक्सेज़ के सोर्सेज़ को बहुत इन्एलेक्सीबल ज्यादा कहीं नहीं कर सकते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू को डवेलप करें और डवेलप करके किसी कर में रिलीफ दे सकें। तो उस हद तक रिलीफ दें, तब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज़ एक कॉमर्शियल अन्डरटेकिंग्स हो जायेंगी। एक तरफ कॉमर्शियल अन्डरटेकिंग्स म्युनिसिपल ट्रेडिंग का अपोजिशन करते हैं दूसरी तरफ टैक्सेशन का अपोजिशन तो फिर दूसरा प्रश्न एक उत्पन्न होता है कि रिसोर्सेज़ कहां से लाये जायं? रिसोर्सेज़ का ब्लेम रखते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट की यह सोल रेस्पोन्सिबिलिटी है। लोगों पर म्युनिसिपैलिटीज़ द्वारा एक पैसे का कर नहीं लगाया जाय। वह कोई बिज़ीनेस अन्डरटेकिंग्स नहीं लें, लेकिन जितनी भी नीड्स हैं उनको फुलफिल करें राजस्थान गवर्नमेंट थ्रू ग्रान्ट-इन-एड, थ्रू सबसिडी, थ्रू लोन्स। तो आखिर गवर्नमेंट इतना पैसा कहां से लाये? राजस्थान गवर्नमेंट को एक मिन्टिंग मशीन प्रोवाइड करें तो हो सकता है कि इतने पैसे राजस्थान गवर्नमेंट अर्बन एरियाज़ को देती रहे। कोई टैक्स नहीं लगाया जाय, बिज़ीनेस अन्डरटेकिंग्स न लें, कोई भी चीज़ न लें और तुम नीड्स को पूरी करो। तो जिस लॉजिक से आर्ग्यूमेंट रखना चाहते हैं, मुझे क्षमा करें, वह उन पर ही रिवाइल हो गया। यह सब देखते हुए।

आगे उन्होंने कहा, दूसरा अनडेमोक्रेटिक चीज़ का उनका नारा है स्टेट-कन्ट्रोल का। तो स्टेट कन्ट्रोल को उन्होंने इलेबोरेट नहीं किया। मगर शायद उन्हें मालूम नहीं है कि जितनी भी दुनिया की म्युनिसिपैलिटीज़ हैं वहां पर किसी न किसी फार्म के अन्दर स्टेट कन्ट्रोल मौजूद रहता है। कितना कन्ट्रोल रहे, इसका कोई मापदण्ड नहीं है क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट की यह रेस्पोन्सिबिलिटी है कि म्युनिसिपैलिटीज़ का जो एक मिनिमम स्टेण्डर्ड है अपने फन्क्शन्स को एफिशियन्टली परफार्म करने का, उनकी सोल्वेन्सी की जो गारन्टी की जाती है। वह स्टेट गवर्नमेंट करती है, वे एक इन्सोल्वेन्सी के अन्दर न भाग जायं, वे अपने फन्क्शन्स को ठीक तौर से अन्जाम देती रहे उसके लिए थोड़ा बहुत स्टेट कन्ट्रोल सभी जगह मौजूद है। बहुत सी जगह विलायतों में देखेंगे तो डिफरेन्ट फन्क्शन्स डिफरेन्ट मिनिस्ट्रीज़ के अन्डर में हैं और डिफरेन्ट मिनिस्ट्रीज़ अपने तरीके से इन्टरवीन करती हैं। तो स्टेट कन्ट्रोल यहां पर बहुत अनिवार्य है, और अनिवार्य यों है कि अभी हमारी म्युनिसिपैलिटीज़ पनप रही हैं। धीरे धीरे रूट्स ले रही हैं, तो उनको राइट डाइरेक्शन देना, उनके एक स्टैण्डर्ड की गारन्टी करना, कई पहले पहले सर्टेन डेफिशियन्सीज़ होगी उनको दूर करना, यह फंक्शन्स कहीं स्टेट का है। यह फंक्शन्स कहीं तो म्युनिसिपैलिटीज़ के स्टेट इम्पोर्टेन्स गेन कर लेते हैं, कहीं स्टेट फंक्शन्स नेशनल इम्पोर्टेन्स गेन कर लेते हैं। तो उन फन्क्शन्स की मिनिमम एफिशियेन्सी गारन्टी करने के लिए आज स्टेट थोड़ा सुपरवाइज़री पॉवर्स रखती है तो मैं नहीं कह सकता कि वह कैसे अनडेमोक्रेटिक है? अनडेमोक्रेटिक तो तब रहता जबकि एक म्युनिसिपैलिटी अपने फंक्शन्स को परफार्म नहीं करे और स्टेट उसकी तरफ से ब्लाइन्ड हो जाय और उसे म्युनिसिपैलिटी में हस्तक्षेप न करे। सुपरसेशन और डिज़ोल्यूशन के जो पॉवर्स हैं, हो सकते हैं

(श्री श्रीमानसिंह)

कि एक समय ऐसा आये कि इनकी जरूरत न पड़े मगर ये एक इमर्जेन्सी पॉवर्स हैं। इन इमर्जेन्सी पॉवर्स को चाहे अनडेमोक्रेटिक कह दिया जाय, चाहे अनप्रोग्रेसिव कह दिया जाय। इनके बारे में चाहे कोई नामिनक्लेचर यूज़ किया जा सकता है मगर इनकी जरूरत है। बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज़ अपने कोई फंक्शन्स परफार्म नहीं करें और सिटीज़न्स को टेक्स करती जाय, अपनी ड्यूटीज़ को प्रिफार्म नहीं करती हैं तो मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर व्हॉट नेक्स्ट? उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए, यह माननीय सदस्य ने नहीं बतलाया। क्या उनको डिज़ाल्व नहीं किया जाय और दूसरे जो एबल आदमी हैं उनको नहीं लाया जाय जो कि अपने फंक्शन्स को परफार्म करें और एफिशियन्टली परफार्म करें? तो यह इमर्जेन्सी पॉवर्स हैं उनको और जितनी डेमोक्रेटिक चीजें हैं उनसे मैं ज्यादा वेट देता हूं। अगर आप डेमोक्रेसी इस देश के अन्दर रखना चाहते हैं तो उतने ही बराबर का कांग्रेस पार्टी का भी उत्तरदायित्व है। वह भी डेमोक्रेसी को रखना चाहती है। मैंने इसी सदन के अन्दर उन्हीं माननीय सदस्य को जनरल अय्यूब का रेफरेन्स देते हुए सुना है तो मुझे डाउट होता है कि कहां तक वे माननीय सदस्य जनतन्त्र का पालन करना चाहते हैं और कहां तक जनरल अय्यूब की थ्रेट देते हैं। तो डेमोक्रेसी को मैं यह मान कर चलता हूँ कि डेमोक्रेसी को रखने के लिए कम से कम यहां की जो पार्टीज़ हैं वे इस बात पर युनेनिमस हैं कि भारतवर्ष के अन्दर डेमोक्रेसी रखी जाय और डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूशन्स हैं उनको डेमोक्रेटिकली मैनेज किया जाय। तो वे ही अपने ऊपर ज्यादा रेस्पोन्सिबिलिटी ले लें कि आज डेमोक्रेसी को उन्हीं को चलाना है तो थोड़ी रेस्पोन्सिबिलिटी इस पार्टी को भी दें जो कि आज पॉवर के अन्दर है। उसको डेमोक्रेसी को पनपाना है, डेमोक्रेसी को चलाना है, डेमोक्रेसी को इतना ब्रॉड बेस्ड करना है कि जिससे जनरल अय्यूब का जो थ्रेट देते हैं उस थ्रेट को स्ट्रोन्गली ये इन्स्टिट्यूशन्स काउन्टर एक्ट कर सकें।

आगे अंत में मेरे को यही कहना है सभी माननीय सदस्यों से कि इस बिल के अन्दर काफी रिवोल्यूशनेरी चैन्जेज की गई हैं। और कई माननीय सदस्यों ने अपने पास्ट ट्रेडिशन्स से इन्स्पायर होकर इन म्युनिसिपैलिटीज में वही ट्रेडिशन लाना चाहा है। तो पास्ट हमारे लिए गाइड नहीं है। पास्ट ट्रेडिशन ऐसा नहीं है कि इन्स्पायर करता हो और इस बात म्युनिसिपैलिटीज़ पनपें। कई केसेज़ में फॉरेन कन्ट्रीज़ को देखें तो फॉरेन कन्ट्रीज़ में ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती है कि जिसको इन टोटो यहां लाकर इम्प्लीमेंट कर दें। क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज़ अभी तक हमारे इन्डिपेन्डेन्स गेन करने के बाद भी एक ब्यूरोक्रेटिक ट्रेडिशन में थी। उस ब्यूरोक्रेटिक ट्रेडिशन को हमने एकदम आज १६५६ के अन्दर किल किया है, हटाया है, और हटा कर जिनके पास पॉवर्स होने चाहिये थे उनमे पॉवर्स वेस्ट किये हैं। अब उन पॉवर्स को युटीलाइज करने में उनको मिसयुटिलाइज़ करते हैं तो वह इलेक्ट करने वालों का काम है उसको देखने का। They will learn through trial and error पोलिटिकल पार्टीज़ को इसमें सहयोग देना ज़रूरी है और वह सहयोग जो अगर मिलेगा तो निश्चय ही यह मान कर चलें कि म्युनि-

(श्री श्रीमानसिंह)

सिपैलिटीज़ प्रोग्रेस करेंगी । जो सदस्य आयेंगे वे रेस्पोन्सिबिलिटीज़ को रियेलाइज़ करेंगे। मगर फिर भी मैं माननीय मंत्रीजी को अपनी तरफ से यह सुझाव देना चाहता हूं, मुझे खेद है कि हमारे राजस्थान में अभी तक चाहे कोई डाईरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ हों, चाहे सेक्रेट्रीज़ हों उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को इन म्युनिसिपैलिटीज़ की तरफ या अपने रवैये या अपने रुख को ठीक तौर से नहीं रखा है। क्योंकि एक तरफ वे अपने ब्यूरोक्रेसी के ट्रेडिशनस के अन्दर इम्बाइब्ड हैं दूसरी तरफ इलेक्टेड बोडीज़ आती हैं उनके फंक्शन्स और ट्रेडिशन्स दूसरे होते हैं। तो इनको नये तरीके से पनपाना है। जो उन्हें इलेबोरेट पॉवर्स दिये हैं, टैक्सेशन के पॉवर्स दिये हैं और वे इस बिल में बहुत ही लिबरेलाइज़ किये हैं तो उनको म्युनिसिपैलिटीज़ एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर सकें, तो उसमें आपके आफिसर्स को as a friend, philosopher and guide का काम करना पड़ेगा। उनमें जो पॉवर्स हैं अभी तक जो यूज़ करते आये हैं, वे एज ऑथोरिटी करते आये हैं, वे अपने पॉवर्स को एज़ ऑथोरिटी इम्पोज़ करते हैं, ऑर्डर्स के रूप में, लेकिन अब इन चेन्ज्ड सरकमस्टान्सेज़ में जब कि डीसेन्ट्रलाइजेशन का नारा है तो ब्यूरोक्रेसीज को नये सरकमस्टान्सेज में अपने आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और यह मान कर चलना पड़ेगा कि म्युनिसिपैलिटीज़ की लेवल पर और पंचायतों की लेवल पर एक ऑरगेनिक कनेक्शन हैं। ये एक सबोर्डिनेट ऑथोरिटी नहीं हो सकती। ऑथोरिटीज़ और ब्यूरोक्रेसी इनके कॉम्प्लीमेंट्री बनें। म्युनिसिपैलिटीज़ और पंचायतों को अपने काम्प्लीमेंट्री मान कर चलें। और जो अगर ऑथोरिटी या ब्यूरोक्रेसी अॅथोरिटी बनी रही और ऊपर से ऑर्डर्स और अपनी विशेज को थोप दिया गया तो मुझे यह कहने में हिचक नहीं होगी कि म्युनिसिपैलिटीज़ चल नहीं सकेंगी। जो पॉवर्स चेक करने के दिए हैं, म्युनिसिपैलिटीज़ के बजट को चेक करेंगे, ऑडिटिंग एन्ड इन्सपेक्शन के पॉवर्स दिये हैं ये फाइनेन्शियल लिमिटेशन्स ब्यूरोक्रेसी द्वारा रोड़े अटकाने के रूप में आते रहें तो सबसे बड़ा डेन्जर यह होगा कि म्युनिसिपैलिटीज़ वर्क नहीं कर सकेंगी। मैं मन्त्रीजी को यह धन्यवाद देता हुआ कि म्युनिसिपैलिटीज़ में जनतंत्र लाने के लिए, बोर्ड को ब्रोड बेस्ड बनाने के लिए और लिबरेलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है, इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन जो अगर कहा जाय लिबरल एंड डेमोक्रेटिक परसनेलिटी को जेल में शो किया है उसको जब तक ऑफिसर्स में नहीं मार्क करेंगे तब तक म्युनिसिपैलिटीज सफल नहीं होंगी। इसलिए ब्यूरोक्रेसी के आउटलुक को चेन्ज करने और कॉम्प्लीमेन्ट बनाने में इस पर्सनेलिटी को इम्पोज करेंगे तो यह बिल बड़े ही महत्व का सिद्ध होगा और सक्सेस को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करेगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री सभापति (श्री आबिद अली) : डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, राज-

(डॉ० चन्द्रकला)

स्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७ आज एक ऐतिहासिक विधेयक के रूप में अंतिम विचार के लिए प्रस्तुत हुआ है । लगातार दो वर्ष तक इस विधान सभा और कई वर्षों तक सदस्यों के बीच विचारार्थ रह करके यह विधेयक आज अपना अंतिम रूप ग्रहण कर सका है । जिस रूप में यह विधेयक आज बन बना कर और मंज मंजा कर प्रस्तुत है वह निसंदेह अभिनन्दनीय है और उसके लिए हमारे माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय बधाई के पात्र हैं ।

जैसा कि हम देखते हैं कि इस विधेयक में कई एक क्रान्तिकारी कदम उठाये गये हैं । सबसे पहला कदम नगरपालिका की रचना के संबंध में है, रिजर्वेशन और को-ऑप्शन की जो बात कही गई है वह वास्तव में बहुत स्वागत लायक है । इसमें सरकार की यह भावना रही है कि स्वायत्त शासन संस्थाओं में नागरिकों या उस क्षेत्र में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व हो । हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में अनुसूचित और हरिजन आदि जातियां हैं उनको प्रतिनिधित्व करने का वैसे तो अधिकार होता है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता है । इसके लिए रिजर्वेशन की बात करके हमने उन्हें बहुत अच्छा अवसर दिया है ताकि हमारी इन जातियों का इनकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व अच्छी तरह से हो ।

इसके साथ साथ महिलाओं का को-ऑप्शन करने का इस विधेयक में प्रावधान है वह भी एक अभीनन्दनीय कदम माना जा सकता है । इसके साथ-साथ इस विधेयक में जो बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है वह निश्चय ही अनुभव के आधार पर है । वह वार्डवाइज चुनाव की बात है । आज तक का कटु अनुभव हमें चौकड़ी वाइज चुनाव का रहा है । चौकड़ी के हिसाब से जो चुनाव कराते थे उसका बहुत बड़ा क्षेत्र होता था और लोगों का प्रतिनिधित्व अच्छी तरह से नहीं हो पाता था । लेकिन अब जब वार्ड-वाइज चुनाव कराये जायेंगे उससे अच्छे से अच्छा प्रतिनिधित्व हो सकेगा इसमें शक नहीं मालूम होता है ।

जहां तक म्युनिसिपैलिटी के कर निर्धारण और म्युनिसिपैलिटी के अधिकारों की बात कही गई है, साधारणतः कोई भी कर निर्धारण का विरोध नहीं कर सकता । हम सब जानते हैं कि नगरपालिका के पूरे क्षेत्र में विकास और जनता की सुख सुविधा का इन्तजाम नगरपालिका को करना पड़ेगा और उसका एक मात्र साधन होता है, ये कर और इन करों का निर्धारण नगरपालिका के हाथ में होना चाहिये । वैसे जहां कहीं टैक्स की बात आती है हम एकदम भयभीत होते हैं और शंकाएं उठाते हैं और ऐसा लगता है जैसे सरकार के द्वारा हम पर अत्याचार हो रहा है । लेकिन सोचने की बात है यदि हम आशा करते हैं, सरकार से कुछ चाहते हैं या नगरपालिका से चाहते हैं तो उन सब बातों और आशाओं की पूर्ति तभी होगी जब हम उनको साधन देंगे । कर निर्धारण के प्रश्न के समय हमने इन सब बातों पर विचार किया और यह सोचने की कोशिश की कि जनता से जितना जितना अधिक से अधिक लें उससे अधिक या उसी अनुपात से जनता को लाभ भी मिले । इसलिये इस धारा में टैक्सेशन के

(डॉ० चन्द्रकला)

संबंध में मन्त्री जी ने जो संशोधन रखा और उसके द्वारा जो कर में छूट देने की बात थी। उसमें थोड़ा सा और सुधार हुआ और राजाओं की संपत्ति और सरकारी बिल्डिंग्ज इत्यादि पर कर लगाने का संशोधन रख कर नगरपालिका को आय का जरिया और दिया, यह भी सुधार की बात थी। लेकिन हमको यह देखना पड़ेगा कि जिससे हम कर लेते हैं। उनको इस दिशा में सुविधाएं देते हैं या नहीं। हमको नागरिकता के व्यापक दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि इससे सब लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है और यही कारण है कि जब कर लगाने की बात आती है तो उसका कहीं न कहीं विरोध प्रकट होता है। विरोध इसलिये होता है कि जब कर निर्धारण करते हैं तो कर लेने के मामले में सबसे बराबर लेते हैं, किसी से कम ज्यादा नहीं लेते हैं या किसी को छूट नहीं देते हैं लेकिन जहां सुविधाओं का प्रश्न है, सुविधाएं कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिलती हैं और कुछ को कम। यह बात अवश्य सोचनी चाहिये कि नगरपालिका के क्षेत्र में रहने वाले लोगों से लिये जाने वाले करों में कोई भेदभाव नहीं होता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलने वाले लाभ में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाय, यह मेरा नम्र निवेदन है।

इसके साथ ही साथ हमारे विधेयक की धारा १६७ में आगे चल कर कच्चे घरों के बारे में प्रावधान रखा है। सभापति महोदय, जहां तक कच्चे घरों को हटाने, गिराने या इधर उधर करने के बारे में नगरपालिका को अधिकार देने की बात है, मैं इसका विरोध नहीं कर सकती, नगरपालिका को यह अधिकार होना चाहिये लेकिन हमको यह देखना पड़ेगा......

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

श्री सभापति : कोरम है।

डॉ० चन्द्रकला : हम यह भूल जाते हैं कि कच्चे घर अनधिकार रूप से बसे हुए नहीं हैं। मैं जयपुर शहर की बात कह सकती हूं कि यहां पर जो कच्चे मकान हैं वे केवल अनधिकृत रूप से या इधर उधर से आये हुए लोगों की बस्ती नहीं हैं ये ऐसे लोग हैं जो १०, २०, ५० या १०० साल से लगातार यहां पर बसते आये हैं। जयपुर शहर पहले छोटा था। चहार दीवार के भीतर ही जयपुर शहर बसा हुआ था। लेकिन उसके बाहर गांव की, जो खेत वालों की, इस तरह की आबादी थी, उनका भी वही अधिकार है क्योंकि वह क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र में आ गया, उनके रहन सहन का स्टेन्डर्ड शहर के अनुसार ऊंचा नहीं उठ सका, या नहीं उठा सके इसलिए उनका अधिकार नहीं माना जाय और उस तरह कच्चे घरों को मान लिया जाय, जैसे दिल्ली, कानपुर आदि बड़े बड़े औद्योगिक नगरों में होते हैं। सभापति महोदय, उन शहरों में कच्चे मकान, झोपड़ियां ऐसे लोग डाल लेते हैं। जो बाहर से आते हैं लेकिन जयपुर शहर का सवाल भिन्न है। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि भले ही हम यह अधिकार लेते हैं पर इसके साथ ही हमें सोचना पड़ेगा कि क्या जयपुर शहर में जो यहां की अधिकांश जनता कच्चे घरों में रहती है वह क्या सचमुच ही अनधिकृत रूप से रहती है

Page No.56

(डॉ० चन्द्रकला)

जिससे कि कानून का जो अधिकार मिलना चाहिये वह नहीं ले सकेगी। हम जानते हैं कि म्युनिसिपैलिटी की सीमा बनने से पहले से वे वहां बस रहे हैं, इसलिए यह ख्याल हमें रखना पड़ेगा कि हम अपने इस कानून का उपयोग इस तरह न करें कि उस जनता को किसी तरह की असुविधा हो जाय। हमने इसमें जिस तरह का प्रावधान किया है। उस प्रावधान को हम इसी रूप में लागू कर देना शुरू कर देंगे तो निस्सन्देह उस जनता में बड़ा असंतोष हो सकता है और कानून की जो भावना है और हम इसमें जिस तरह का अधिकार देने जा रहे हैं, उस अधिकार का बड़ा दुरुपयोग हो सकता है, यह मुझे कहना है।

इसके साथ ही साथ जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं अधिकतर जगह नगरपालिका और नगर विकास मंडल दोनों ही काम करते हैं लेकिन दोनों के द्वारा केवल बाहरी टीप टाप या बाहरी विकास किया जा रहा है लेकिन वास्तव में जनता का अधिक से अधिक विकास कैसे हो, इसके लिए हम यह मानते हैं और मैं यह कहती हूं कि जनता का जब तक पूरा सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर सकेंगे। आप केवल टैक्स लगा लीजिये, आप कानून बना दीजिये और कानून बना कर टैक्स ले लीजिये, उससे साधन इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन उनका उपयोग तभी होगा जब जनता का सहयोग ले सकेंगे। जनता के सहयोग के अभाव में किसी तरह सफल नहीं हो सकते इसलिए हमको जनता को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करनी पड़ेगी। आज मैं महसूस करती हूं कि जनता का विश्वास नगरपालिकाओं के प्रति और नगरपालिकाओं में नहीं है। दूसरी जगहों की बात मैं नहीं जानती लेकिन जयपुर नगर पालिका के प्रति जनता में विश्वास नहीं है। हम देखते हैं कि जयपुर नगरपालिका आज नगरपालिका के रूप में नहीं है क्योंकि उसका सीधा शासन एक प्रशासक के हाथ में है। सभापति महोदय, आप सबने अखबारों में देखा होगा, अभी जब सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि हमारी कोई जिम्मेदारी जयपुर शहर के प्रति नहीं है तो एक बुरी प्रतिक्रिया जनता में हुई और यहां के लोगों के दिल में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न सा पैदा हुआ कि आखिर नगरपालिका तो है, नहीं वह भंग हो चुकी है और सीधा शासन सरकार के हाथ में है फिर भी विधान सभा में हमारे माननीय मन्त्री महोदय द्वारा कहा जाता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी उसके प्रति नहीं है। आपकी जिम्मेदारी यदि नहीं है तो फिर यह जिम्मेदारी किसकी है? यह जरूर हमारे मन में प्रश्न उठता है। जब हम नगरपालिकाओं की बात करते हैं उस समय जनता के मन में नगरपालिकाओं के, सब तरह के स्वायत्त शासन संस्थाओं के सम्बन्ध में एक विश्वास होना अत्यन्त जरूरी है। आप को विश्वास के साथ उनका सहयोग भी मिले, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए और यह तब मिलेगा जब कि जनता के सुख सुविधाओं का आप पूरा ध्यान रखेंगे।

इसके साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि हमने नगरपालिका के चुनाव के बारे में धीरे धीरे बिल में प्रावधान रख दिया है और उसको भंग करने का अधिकार सरकार के जिम्मे रखा है कि कोई नगरपालिका

(डॉ० चन्द्रकला)

अक्षम है, अपने अधिकार का दुरुपयोग करती है, या किसी भी तरह काम ठीक नहीं करती है, या तरह तरह की उसमें गड़-बड़ी होती हैं तो उसको हम भंग भी कर सकते हैं। लेकिन कोई नगरपालिका अपने आप भंग हो जाती है, वहां के सदस्य त्याग पत्र दे देते हैं तब उस समय आपको क्या करना चाहिए। इसके बारे में सरकार को थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। जिस तरह जयपुर शहर की नगरपालिका भंग हुई, निश्चय ही उस तरह से भंग नहीं होनी देनी चाहिए थी और सरकार को चाहिए था कि किसी बात से नाराज होकर या किसी बात के विरोध में नगरपालिका अपना त्याग पत्र दे देती है तो सरकार को उस समय सोचना चाहिए था कि यह केवल थोड़े से चुने हुए सदस्यों का सवाल नहीं है, यह जयपुर शहर का सवाल है, जयपुर शहर की लाखों जनता का सवाल है। अगर उस स्वायत्त शासन संस्था को खत्म कर देंगे तो कल से ही सवाल आयेगा उसके शासन का, उसका क्या होगा ? अगर वह सोचा भी गया था तो कानून के अनुसार अवधि का ध्यान न रख कर अवधि का इन्तजार करने की अवश्यकता नहीं थी और जैसे ही नगर-पालिका भंग हुई, तुरन्त ही दूसरी चुनी हुई नगरपालिका बनाने का ध्यान रखना चाहिए था। मैं कहती हूँ कि ऐसी विशेष स्थिति में हमें अवधि की सीमा का ध्यान न रख कर जल्दी ही नगरपालिका के निर्माण का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि कम से कम अब ध्यान रखे और जल्दी से जल्दी जयपुर नगर-पालिका का निर्माण करके जन प्रतिनिधियों को शहर की व्यवस्था करने का अवसर दे।

इसके साथ ही साथ यह भी देखती हूं कि शहरों में एक ओर नगरपालिका काम करती है और दूसरी ओर विकास मंडल काम करता है। आज ही प्रश्नोत्तर काल में बताया गया कि दोनों संस्थाएं अलग अलग क्षेत्र में काम करती हैं और अलग अलग कर्त्तव्य हैं लेकिन इनके कर्त्तव्य आपस में जहां टकराते हैं वहां जनता को बड़ी असुविधा होती है। मैंने कई बार सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और बताया है कि यह दोहरा शासन जो है वह जयपुर की बहुत सारी जनता को काफी दुःख देता है। इनका कर्त्तव्य अलग अलग हो जाय, क्षेत्र अलग अलग है, उसी प्रकार कर्त्तव्य अलग अलग हो जाय तो अच्छा रहे।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात अवश्य कहना चाहती हूं कि हमारे इस कानून का, इस विधेयक का और हम सबका एक ही लक्ष्य है कि एक समाजवादी समाज की व्यवस्था करनी है। वह समाजवादी समाज व्यवस्था की स्थापना क्यों करनी है ? क्योंकि हमारा बहुत बड़ा कर्त्तव्य है कि एक सरकार के रूप में, एक राज्य के रूप में हम अपनी जनता को सारी सुख सुविधायें प्रदान करें, सबको उन्नति करने का सब तरह का अवसर प्रदान करें। लेकिन जब हम कानून बना लेते हैं तो हम इस लक्ष्य को भूले हैं और कानून हमारे सामने पहली चीज हो जाता है। कानून एक साधन है, यह हमारे लक्ष्य तक पहुँचने का रास्ता है, साधन है लेकिन हमारा जो साधन है वह साध्य हो जाता है और हमारा लक्ष्य दूर पड़ा रह जाता है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे कानून किस तरह जाकर लाग

(डॉ० चन्द्रकला)

किये जाते हैं, वे लागू किये जाकर जनता को दुःख देते रहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ। अभी धारा ६७ का जिक्र करते हुए कई बातों का उल्लेख किया है। उसके साथ ही मैं कहना चाहती हूं कि किस तरह नगरपालिका छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों को तकलीफ देती है, किसी तरह नियम पालन करवाने के लिए घर गिरा देती है, उन पर जुर्माने करती है और लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें पता नहीं कि आखिर यह सारा काम, सारे कानून, सारी व्यवस्था जनता की सुख सुविधाओं के लिए है। फिर हम किस तरह इनके द्वारा सुख सुविधायें पहुंचाते हैं कि वे उलट कर दुःखदायी हो जाती है वह चीज। हमारी सरकार को यह ख्याल रखना पड़ेगा कि कानून हम भले ही बना दें, कानून हमारी सुविधा का एक साधन हो, इस सुविधा के साधन का हम दुरुपयोग न करें, इसका उपयोग करें, लेकिन आज दुरुपयोग होता है। मैं तो माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करना चाहूंगी कि आयन्दा इस दुरुपयोग को रोकें और आगे इसका सदुपयोग हो, इसका अधिक से अधिक ध्यान रखें।

इस विधेयक में स्वीपर्स के लिए भी कुछ विधान किया गया है। स्वीपर्स आज तक हमारे देश में दलित वर्ग और पिछड़ा हुआ वर्ग कहा जाता है। हमने उनके लिए यहां पर कानून बनाया है लेकिन जिस कायदे कानून में हमने उनको राइट्स देने का तय किया है उसके साथ ही साथ हमको यह भी सोचना पड़ेगा कि हम उनको अधिक से अधिक अपने कामों को करने के लिए सुविधायें किस तरह से दें...

हम देखते हैं कि हम अपने जीवन के रोजमर्रा के कार्यकलाप के लिये तरह तरह की सुविधाएं खोजते हैं, नये नये आविष्कार करते हैं पर इन हरिजनों के लिये, स्वीपर्स के लिये, भंगियों के लिये वही पुरानी प्रथा चली आ रही है। जहां जाने के विचार मात्र से हम नफरत करते हैं, जिन तरीकों की हम कल्पना नहीं कर सकते, जहां जाकर खड़े भी नहीं होना चाहते वहां वे जा कर अच्छी तरह अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे, यह हम उनसे आशा करते हैं। यह तो अच्छा है कि और कर्मचारियों के लिये जिस तरह के नियम हैं उसी तरह के इन लोगों के लिये भी बना दिये और इसके लिये अलग धारा का प्रावधान कर दिया। वे भी नगरपालिका के कर्मचारी हैं, उनको भी नियमों में बद्ध होकर रहना चाहिये पर साथ ही साथ नगरपालिका को सोचना पड़ेगा कि वह वर्ग यद्यपि पिछड़ा हुआ है, हम उसे पिछड़ा हुआ वर्ग मानते हैं पर वह हमारे समाज के लिये अनिवार्य है, समाज के लिये इसका कार्य सर्वोपरि है उनको हम छोटी और हेय दृष्टि से नहीं देख सकते तो नगरपालिका को उनके कर्त्तव्य के लिये अधिक से अधिक साधन जुटाने चाहिये और जिस तरह ये लोग अच्छे से अच्छा काम कर सकें ऐसी कोशिश करनी चाहिये।

इन सब बातों के साथ अन्तमें मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं और सदन से आशा करती हूँ कि यह विधेयक पास होगा और फिर हमारी सरकार इसकी भावनाओं के आधार पर इसको लागू करेगी और नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में रहने वाली जनता

(डॉ० चन्द्रकला)

को अधिक से अधिक सुविधा मिले, इसलिये इसको जल्दी से जल्दी जारी करने की कोशिश करेगी।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री हीराभाई।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय चेयरमैन महोदय, आज सदन में हमारे नगरपालिका विधेयक पर विचार किया जाकर अन्तिम निर्णय होने वाला है। हो सकता है वह तो अच्छा ही बना होगा। जहां तक कानून का सवाल है अच्छा बना होगा पर जहां व्यवस्था का सवाल है। इसमें व्यवस्थित रूप से मदद देकर चलाने की व्यवस्था नहीं है, यह बदकिस्मती की बात है। इसके लिये पंचायती राज्य हमारे हाथों में दिया और जनता ने चुन कर नगरपालिकाओं का निर्माण किया पर जनता के चुने हुए बोर्डों को सरकार चाहे उस वक्त किसी भी बहाने बाज़ी से (उस बोर्ड को) भंग कर सकती है, यह व्यवस्था हमारे माननीय मन्त्री जी ने रखी है। चाहे पार्टी पोलिटिक्स के आधार पर कोई सी चीज़ अन्ट शन्ट करने के आधार पर यह भंग करने की व्यवस्था मन्त्री महोदय ने रखी है, वह तो जनता की आंखों के सामने आयेगी, पर आज ऐसा कानून पास करना लाज़िमी नहीं था कि हज़ारों और लाखों तादाद में जनता इकट्ठी होकर सदस्यों को चुन कर बोर्डों में भेजती है और बोर्डों को कायम करती है, और उन बोर्डों को हमारी सरकार चाहे जब उनके दुरुपयोग को देख कर अव्यवस्था को देख कर भंग कर देती है, यह ठीक नहीं। होना तो यह चाहिये था कि यदि किसी प्रकार का दुरुपयोग हो, अव्यवस्था हो तो उन बोर्डों को सहायता देकर सुव्यवस्था करने का सरकार उन बोर्डों को मौका देती। अगर सरकार उनको सहायता देकर अच्छा काम करने का मौका देती तो मैं सरकार को धन्यवाद देता। पर आज पार्टी पोलिटिक्स की बात चलती है, कई तरह के बहाने रहते हैं। म्युनिसिपैलिटी को भंग करके अपने हाथ में व्यवस्था लेने का जो प्रोविज़न मन्त्री महोदय ने रखा वह सरकार के लिये अच्छा है, पर जनता के लिये बुरा है। गुजरे समय में नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में जो जो बुराइयां हुई हैं उनके सम्बन्ध में जनता ने रिपोर्टें दी, सरकारी कर्मचारियों ने जो-जो ज्यादतियां और बुराइयां की उनकी रिपोर्ट सरकार को दी पर मन्त्री महोदय ने उन पर ध्यान नहीं दिया। एक साल पहले बांसवाड़ा में नगरपालिका के नाम से एक कांग्रेसी सदस्य जिनका नाम यदि ले लूं तो बुरा नहीं, वे कांग्रेस चेयरमैन थे। वे एक हजार सीमेंट के बोरे नगरपालिका के नाम से ले गये, और ले जाकर बेच दिये। इस बारे में शिकायत राज्य सरकार तक पहुँचाई पर सरकार ने उस शिकायत को ठुकरा दिया, उसकी कोई जांच नहीं की। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं हमारी राज्य सरकार जिनके हाथों में है उनका वही रवैया रहेगा। मैं नहीं समझता कि ध्यान देकर कुछ अच्छा करेंगे।

दूसरा उदाहरण मैं यह पेश करना चाहता हूं कि कुशलगढ़ की नगरपालिका ने सरकार से ऋण मांगा था, उसे एक लाख रुपये का ऋण देने का सरकार ने तय किया था पर उसी अर्से में कांग्रेस

(श्री हीराभाई)

चेयरमैन को हटा कर स्वतन्त्र सदस्य चेयरमैन हो गये, तो सरकार द्वारा दो साल तक वह ऋण नहीं दिया गया, टालमटोल किया गया। पर कांग्रेस वालों की किस्मत अच्छी कि वह स्वतन्त्र चेयरमैन मर गया...

श्री सभापति : आप बजट का भाषण नहीं दे रहे हैं।

श्री हीराभाई : जो कुछ घटना घट गई वही बता रहा हूं।

श्री सभापति : विधेयक पर बोलिये।

श्री हीराभाई : यह तो जनरल डिस्कशन है। जो घटना हुई और जो घटनाएं होने वाली हैं उनका जिक्र सदन में करना चाहता हूं। चेयरमैन महोदय, जब उस चेयरमैन की मृत्यु हो गई तो....

श्री सभापति : आप यह बता दीजिये कि उस चेयरमैन की मृत्यु से इस बिल का क्या सम्बन्ध है?

श्री हीराभाई : चेयरमैन महोदय, फिर उसी चेयरमैन को चुनाव में जीता दिया। अब मैंने सुना है कि ३ साल बाद, चेयरमैन के मर जाने के बाद एक लाख रुपया नये चेयरमैन महोदय को देने का निर्णय दिया गया है या तो पेमेंट हो गया है या होने वाला है। तो इस प्रकार हमारी सरकार पक्षपात की नीति बर्तती है। यदि कोई बोर्ड काम ठीक तरह से नहीं करता, अपने कार्यों में सफल नहीं होता तो उसके कार्यों की जांच के लिये स्थानीय जनता की कमेटी मुकर्रर को जानी चाहिये जो जांच करके सरकार के पास रिपोर्ट पेश करेगी कि किस तरह दुरुपयोग किया गया है, किस तरह कार्यों को करने में असफल रही है, आलस से ऐसा किया है या आमदनी नहीं है इस कारण किया है या भ्रष्टाचार के कारण नहीं किया है। तो इस सम्बन्ध में जनता की तरफ से कमेटी मुकर्रर की जाय और कमेटी जांच करके राज्य सरकार के पास रिपोर्ट करे तो सरकार ध्यान देगी नहीं तो कुछ नहीं होगा। कई लोगों ने शिकायतें की, प्रश्नकाल में भी उनके सम्बन्ध में पूछा गया पर मन्त्री महोदय को पता नहीं कि क्या हो रहा है? यह मिनिस्टर भले ही नहीं रहेंगे पर चुने हुए आयेंगे तो जो कर्मचारी चाहे, या, झूंटी रिपोर्ट दे देंगे उसी के अनुसार सारा काम हो जायगा। तो यह भावना अच्छी नहीं है। आजादी की स्वतन्त्रता की भावना नहीं है। जैसे ईराक में फौजी राज हुआ उसी तरह का फौजी राज होगा, इस तरह से तो सरकार जब भी चाहेगी किसी नगरपलिका को खत्म कर देगी, भंग कर देगी। हमारी सरकार चाहे भंग कर सकती है। अभी जैसे मुश्किल से चुनाव होते हैं उसकी वह परवाह न करते हुए चाहे उस वक्त कर्मचारियों की रिपोर्ट से भंग कर सकती है यह क्या स्वतन्त्रता का जमाना है? मैं इस चीज को स्वतन्त्रता नहीं मानता हूं। किसी दूसरी पार्टी की नगरपालिका हो गई हो तो उसको भंग कर दिया जाए यह मैं नहीं मानता कि यह जनता को स्वतन्त्रता है।

दूसरी बात करों के सम्बन्ध में है। करों के विषय में मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं करों का विरोध नहीं करना चाहता कि कर नहीं लगाये जावें। क्योंकि कर जब नहीं होंगे तो आमदनी कहां से होगी और जब

(श्री हीराभाई)

आमदनी नहीं होगी तो हमारी नगरपालिका और ग्राम पंचायतें अपना काम कैसे चलावेंगी। उनका पैसे बगैर काम चलना मुश्किल हो जावेगा। मगर मैं इतना कह देना चाहता हूं कि जनता को कितने कर देने पड़ते हैं, यह हमारे माननीय मन्त्री को मालूम नहीं है। यही एक टैक्स नहीं है जो जनता को देना पड़ता है। जनता को रेवेन्यू टैक्स, एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स, पंचायतों के टैक्स आदि कई टैक्स देने पड़ते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय को यह मालूम नहीं है कि जनता को कितने कर देने पड़ते हैं और कितने कर जनता पर लगते हैं। जानवरों पर बोझा ले जाने वालों से भी आप कर लेते हैं। सड़क पर जाते हैं या सड़क से इधर उधर गाड़ी निकलती है उस पर भी आप पकड़ कर टैक्स लेते हैं जो म्युनिसिपैलिटी लेती है। इस प्रकार कई तरह के टैक्स जनता से ले लिये जाते हैं फिर यह कहते हैं कि टैक्स नहीं लगाते। एक गाड़ी पर आपने टैक्स ले लिया और वह गाड़ी ग्राम पंचायत में जावेगी तो वहां पर ग्राम पंचायत उससे टैक्स लेगी। आप इस बात को नही मानेंगे कि पहले टैक्स दे दिया गया है। आप यही कहेंगे कि पैसा पैदा करने वालों के लिये टैक्स लगना चाहिये। जब आप नियम बनाते हैं तो हर कोई बोर्ड हो या म्युनिसिपैलिटी या पंचायत, वह तो नियम को देख कर, कर वसूली करते हैं। चाहे घर का धन्धा हो, चाहे वह व्यापार का धन्धा हो। इससे उनको कोई मतलब नहीं है। वे तो नियम को देख लेते हैं और कह देते हैं नियम में लिखा है कि गठड़ी पर कर लगना चाहिये। बड़ी मुश्किल से लोग बोझा लाद कर लाते हैं और आप उनसे टैक्स ले लेते हैं। गठड़ी पर क्या लगाते हैं? लकड़ी आदि पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि अगर हमें म्युनिसिपैलिटी को चलाना है तो हमें यह तय कर लेना चाहिये कि इतने रुपयों तक का बजट हमारी म्युनिसिपैलिटी में होना चाहिये जिससे काम चलेगा। अगर ऐसा हो जाए तो यह मालूम हो जाए कि कितने रुपयों की हमको जरूरत है। एक कुम्हार हांडी पकाता है उस पर भी आप टैक्स लगाते हैं। अगर कोई व्यक्ति गाड़ी ले जाता है तो उस पर भी आप टैक्स दो रुपये ले लेते हैं। एक आदमी गाड़ी समान की ले जाता है उससे २) रु० आप टैक्स लेते हैं। जहां पर ६ आदमी मेहनत करके ४ रुपये कमाते हैं या ६) रु० कमाते हैं उस पर आप एक रुपया या दो रुपया टैक्स लेते हैं। आज सदन के सदस्यों ने इसको माना है और इसका समर्थन किया है। हर आदमी पर बहुत टैक्स लगेगा और उनके लिए बहुत दिक्कत होगी। यह तो यह हुआ कि एक गधे की पीठ में चांदी हो गई तो कागले, चील और जर्व वगैरा उसको चोंचों से मार मार कर घायल कर देंगे और उसकी सारी पीठ फाड़ देंगे और वह आखिर मरने के तुल्य हो जाता है। इसी तरह से हमारी राज्य सरकार हमारी पब्लिक को बुरी तरह से कुचलना चाहती है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि हमारी जनता को कुछ मदद देने के लिये कानून बनाते तो मैं कुछ मानता नहीं मैं तो नहीं मानता कि यह स्वतन्त्रता का युग है।

मकानों को हटाने की बात है। मैं यह

(श्री हीराभाई)

निवेदन करूंगा कि सड़क पर छोटे छोटे झोंपड़े हैं आपको वहां पर क्या अड़चन आती है ? गलियों में आपको अड़चन हो तो कोई बात है । इसलिये इसमें सोच विचार कर करना चाहिये । मैं यह कहूंगा कि जिस समय म्युनिसिपैलिटी में यह कानून लगेंगे उसी समय से वे इसका उपयोग करने लगेंगे वहां पर तो पहले ही पैसे का अकाल रहता है । ७ हजार की आबादी जहां पर होती है वहां पर १०, १५ कर्मचारी काम करते हैं । कैसे काम चलेगा ? इसलिये वे पैसा पैदा करने में लगेंगे । मैं आपको हमारे कुशलगढ़ के हरिजनों की बात बताऊं । वहां पर सड़क से ५०-५० कदम की दूरी पर झोंपड़े हैं । फिर भी म्युनिसिपैलिटी उनको हटाने की कोशिश कर रही है, उनको तोड़ने के लिये हरिजनों को नोटिस दिये हैं और तीन बार तंग किया । नोटिस का जवाब भी दे दिया गया फिर भी तंग करते हैं । समझ में नहीं आता कि हरिजनों की दुहाई बार बार देते हैं और उनके लिये दूसरी तरह के कदम उठाते हैं । हो सकता है, सड़कों पर आपको दिक्कत हो और सरकार को हटाना जरूरी हो तो सरकार को चाहिये कि उनके लिये पूरे मकान बनाकर फिर उनके ये मकान उठावें और उठाने की इजाजत दें । तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार कुछ कार्य हमारे लिये कर रही है । यदि हमारी सरकार किसी तरह से यह सोचे कि हमें तो पैसा पैदा करना है तो किस प्रकार से काम चल सकता है ? मैं इस तरह से लोगों को कानून बना कर कुचलने की जो सरकार की नीति है उसको अच्छी नहीं मानता ।

अब रहा नगरपालिकाओं का सवाल । आमदनी देने का प्रश्न, सो यह है कि उसको भंग करने से पहले या तो हमारी सरकार बिना उसके प्रार्थना-पत्र दिये ही उसको सहायता देती रहे और अच्छी तरह से सफल बनाए और जब तक वह अच्छी तरह सफल न हो जाए सहायता देती रहें तब तो इसका सद्-उपयोग होगा । वर्ना ६, ७ हजार की आबादी में सालाना २ हजार रुपयों से काम चलना मुश्किल है । दो हजार से काम नहीं चलेगा पब्लिक का उस नगरपालिका से मतभेद होगा । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस कानून के बनने से पहले मैं समझता हूं कि हमारी सरकार यह बात रखती कि नगरपालिका जब तक अच्छी हालत में नहीं होगी तब तक हमारी राज्य सरकार उसको मदद देती रहेगी, पूरी तरह पैसों की मदद विकास के कार्यों में मिलती रहेगी तो काम चलेगा नहीं तो दो हजार में म्युनिसिपैलिटी नहीं चलेगी । जहां कहीं विरोधी पक्ष वाले आवेंगे तो सरकार उनको निकालने की कोशिश करेगी और वे निकाल दिये जावेंगे । इसलिये मैं यह कहूंगा कि यह हमारा पंचायत राज्य नहीं है ।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि जो कर लगाये जाते हैं उसके लिये मैं कहूंगा—कि यह कर गाड़ी आदि पर लगाना उचित नहीं है । कोई मिनिस्टर या राज्य का उच्च अधिकारी या पार्लियामेंट का मिनिस्टर किसी का जब कभी उद्‌घाटन करने जाते हैं तो उसमें जो खर्चा होता है वह नहीं करके स्थानीय एम. एल. ए. जो हो या कोई मशहूर व्यक्ति हो उनसे ही वहां का उद्‌घाटन करा लिया जावे । इससे वहां पर जो रकम बचेगी वह म्युनिसिपैलिटी को दे दी जावे ताकि हमारी नगरपालिका और पंचायत का काम सुचारू रूप से चले और सफलता मिल सके । इसलिये मैं

(श्री हीराभाई)

इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहूंगा और यही कहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय इसका ध्यान देकर पास करें तो उचित होगा और जनता में असंतोष नहीं फैलेगा।

(करतलध्वनि)

२ म० प०

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : सभापति महोदय, आज कई वर्षों के बाद, आज स्वतन्त्रता के जमाने में और समाजवाद के नारे लगाने के जमाने में ऐसा म्युनिसिपल एक्ट हाउस में पेश हो रहा है उसकी तो मुझे बहुत ही खुशी है।

परन्तु इस एक्ट के अन्दर कुछ सरकार की तरफ से इस प्रकार का प्रोविज़न रखा गया है जिससे कि सरकार जनता में पूरा समाजवाद लाना चाहती है वह तो नहीं आता है। सरकार जब जनता में पूरा समाजवाद लाना चाहती है तो फिर एक म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड करने का अधिकार अपने हाथ में क्यों रखती है ? वह अधिकार उसको नहीं रखना चाहिये था। यदि सरकार सुपरसीड करने का अधिकार रखती है तो फिर एक डिस्ट्रिक्ट तथा दूसरे कुछ लोगों की कमेटी बना कर जांच करा कर उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सुपरसीड करना चाहिये था। परन्तु सरकार ने उसमें दो चीजें पैदा कर दी हैं। एक तो सुपरसीड और दूसरा कमेटी बनाकर उसको भंग करना। तो एक तरफ तो भंग की जाती है और दूसरी तरफ सुपरसीड होती है। मन्त्री महोदय सोच लें। बाद में अमेंडमेंट लावेंगे, मैं जानता हूं। दो चीज़ नहीं होनी चाहिये, एक चीज़ हो। सरकार के द्वारा सुपरसीड करना और भंग करना ये दो चीजें रखी गई हैं, यह सरकार ने ठीक नहीं किया है। इस प्रजातंत्र के जमाने में यह बिल्कुल खिलाफ बात है। यदि सरकार सुपरसीड ही करना चाहती थी तो पहले एक कमेटी बैठाती और उसकी रिपोर्ट लेती फिर सुपरसीड करती। दूसरी कमेटी बनाकर उसको हटाना नहीं था किन्तु रखना था।

दूसरा चुंगी और प्रोपर्टी पर टैक्स लगाया है। हर म्युनिसिपैलिटी ८ हजार की जनसंख्या पर होगी और उसको हाऊस टैक्स लगाना लाज़मी होगा। माननीय सभापतिजी, इस हिन्दुस्तान में एक टैक्स नहीं है किन्तु ११, १२ टैक्स लगते हैं एक फेमिली के ऊपर और ११, १२, टैक्स होने से····

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : तुम्हारे कोई फेमिली नहीं है। तुम्हें तो कोई देना नहीं पड़ता।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरे तो कोई नहीं है। मैं तो आपके लिए कह रहा हूं।

(हंसी)

माननीय चेयरमैन, आप देखिये कि गांवों में टैक्स लगेगा, म्युनिसिपैलिटी के कई टैक्स होंगे और बाद में सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स लगेगा और स्टेट ड्यूटी होती है वह लगेगी। बाकी कई टैक्सेज़ हैं। ११, १२ ऐसे टैक्स हैं जो एक फेमिली पर हिन्दुस्तान में लगते हैं। परन्तु दूसरे कन्ट्रीज़ में इतने टैक्स नहीं हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : वहां कैसे काम चलता है।

Page No.64

श्री मुक्तिलाल मोदी : वहां टैक्स तो जरूर हैं। वहां हाऊस टैक्स है या इन्कम टैक्स है। चुंगी कर नहीं है। छोटी २ चीजों पर वहां टैक्स नहीं है। इसलिए एक फेमिली पर उतने ही टैक्स लगाइये जिससे कि परेशान न हों, दुःखी न हों। मैं अभी कहीं बाहर गया था तो मुझे मालूम हुआ कि डेढ सेर सन पर मध्य प्रदेश ने टैक्स लगाया है। राजस्थान में जो टैक्स है वह बोझा लाने वाली मालिन होगी उससे लेंगे, लाने के लिए लावेंगे उनसे लेंगे। सरकार लगाती हैं एक रुपया पर और कर्मचारी एक पैसे पर वसूल करना शुरू कर देते हैं। एक रुपया हो तो टैक्स लगावें, दो चार आने की चीज पर टैक्स लगायें। इससे रिश्वत खोरी बढ़ती है, लोग परेशान होते हैं, सरकार की बुराई होती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि एम. एल. एज़ पर जरूर टैक्स लगाइये। जरूर खुशी होगी, उनको २५०), ३००) रु० महीना पड़ जाता है।

परन्तु जिसकी २००) रु० से ज्यादा इन्कम होगी उसके ऊपर टैक्स लगा दो इन्कम टैक्स की तरह म्युनिसिपैलिटी का टैक्स भी लगा दो। इसके लिये तारीफ करूंगा मैं आपकी। परन्तु ये छोटे छोटे टैक्स लगाने से जनता परेशान होती है और सरकार जनता की निगाह में आती है कि सरकार उनको परेशान करती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर अभी सोचें विचारें अभी तो यह पास हो रहा है।

फिर कुछ ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं, फैक्टरियां हैं। आप देखिये बाल बियरिंग फैक्टरी है, कितने करोड़ रुपयों की है, मान इन्डस्ट्रीज़ है. मैटल इन्डस्ट्रीज़ है, सीमेन्ट फैक्टरी है उन पर आप टैक्स लगावेंगे तो म्युनिसिपैलिटी की इन्कम ज्यादा होगी। और जो सिटी ट्रान्सपोर्ट है वह म्युनिसिपैलिटी को दें। इससे सरकार को ज्यादा इन्कम होगी।

इसके बाद वाटर वर्क्स है यह म्युनिसिपैलिटी के अन्डर में आना चाहिये।

दूसरा अर्बन इम्प्रूवमेन्ट और नगरपालिका एक होनी चाहिये। ज्यादा दफ्तर रखने से आदमी का माइन्ड पूरी तरह से मेक-अप नहीं होता है।

(हंसी)

ये अलग अलग दफ्तर क्यों? अर्बन इम्प्रूवमेन्ट अलग होगा तो नगरपालिका वाले नक्शा पास करने में महीना भर लगावेंगे, बीस पच्चीस दिन लगावेंगे, जनता के प्रति वे लोग सख्त रुख अख्तियार करेंगे। एक हो जावेंगे तो कोई झगड़ा नहीं रहेगा। दोनों का खर्चा एक हो जावेगा, थोड़े खर्चे में सारा काम चल जावेगा। डबल डबल खर्चा नहीं रहेगा। इससे सरकार की और नगरपालिका की इन्कम बढ़ेगी, इससे नगरपालिका ज्यादा अच्छा काम कर सकेगी। मैं निवेदन करूं उदाहरण के तौर पर कि एक सड़क है, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट वाले कहते हैं यह हमारी नहीं, नगरपालिका वाले कहते हैं, यह हमारी नहीं, पी. डब्लू. डी. वाले कहते हैं हमारी नहीं। तो इस तरह से अलग अलग होने से इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है। ऐसा ही बिजली नल का मामला है। असेम्बली में बार बार बहिन चन्द्रकला कहती हैं कि फलां जगह बिजली नहीं, नल नहीं। तो दोनों एक होंगे तो

Page No.65

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

शहर की ज्यादा सफाई हो सकेगी। सड़क अच्छी होगी, हर जगह बिजली होगी, नल होगें और जनता को अधिक सुविधा मिल सकेगी।

दूसरी बात मन्त्रीजी ने इस बिल में एक बड़ी खुशी की रखी है जो आज के युग में दूसरा मिनिस्टर नहीं कर सकता है। नोमिनेशन को हटा कर उन्होंने रिजर्वेशन रखा है। सरकार ने नोमिनेशन अपने हाथ में नहीं रखा। और आज जो राजाओं की प्रोपर्टी किराये पर चलती है उस पर भी टैक्स लगाने की बात कही है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की प्रोपर्टी पर नगर-पालिका टैक्स लगावे। इतनी बड़ी बात की है जो हिन्दुस्तान में दूसरी जगह नहीं होगी, मेरी समझ में तो।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसा नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : है, मैं बोलूंगा। माना है, किराये पर चलती हैं उनको ...

एक माननीय सदस्य : झूंठ बोलते होंगे।

श्री सभापति : आप आरम्भ रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप मुझे बोलने दें। माननीय चैयरमैन साहब, जैसे सरकार ने इलेक्ट्रिकल बोर्ड बनाया है वैसे सारे राजस्थान के म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारियों के लिये एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए कि जो उन कर्मचारियों की सर्विस की और आगे भविष्य में तरक्की की बातें सोच सके। नहीं तो आज क्या होता है कि जिसको जब मन में आई निकाल देते हैं नौकरी से। तो इसके लिये भी राजस्थान सरकार ने सोचा है कि कानून बनावेंगे तो ये चारों बातें तो इतनी अच्छी हैं कि जो दूसरे प्रान्तों में नहीं हैं।

परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि और खामियां नहीं हैं। हैं, वे भी मिनिस्टर साहब सोचेंगे और विचारेंगे कि जो छोटे छोटे टैक्स हैं वे दूर करेंगे और मोटे मोटे लोगों पर टैक्स लगावेंगे। जो इन्कम टैक्स देते हैं उन पर टैक्स लगावेंगे।

श्री सभापति : यह आप कह चुके हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : साहब, खुलासा बता रहा हूँ मैं तो। आपने पन्द्रह मिनिट तो दिये हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो आप इन्कम पर टैक्स लगाइये। यह अच्छी बात है। छोटे छोटे आदमनी वाले लोगों पर टैक्स मत लगाइये। इससे जनता परेशान होगी।

अब जो आपने १०)रु० किरायें तक माफ किया है। यह थोड़ा है। क्योंकि कम से कम ३०) या २५)रु० महीने का मकान है उस पर टैक्स माफ करेंगे तो छोटे लोगों को राहत मिलेगी। नहीं तो ये छोटे छोटे टैक्स जनता के दिमाग में उलझते हैं और इससे जनता परेशान होती है। टैक्स जरूर लगाइये, मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ। पर जब कि हम देश को उन्नत बनाना चाहते हैं, छोटे आदमियोंको ऊंचा बढ़ना चाहते हैं

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

और इस देश को ऊंचे ढांचे पर लाना चाहते हैं तो ऊंची बात कीजिये और इस हाऊस में इतनी नीची बात करेंगे तो आगे आनेवाली पीढ़ियां हमेशा याद करेंगी। वक्त चला जाता है और आदमी याद रहते हैं। तो यह मेरा आपसे निवेदन है कि छोटे छोटे टैक्स मत लगाइये। तो मैंने आपसे जो निवेदन किया है उस पर विचार करके इस कानून को पास कर रहे हैं उसकी बड़ी खुशी है। जयहिन्द।

श्री नरोत्तम लाल जोशी (झुंझुनू): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के आठ वर्ष के जीवन में बहुत प्रतीक्षा और उत्कंठा के बाद हम राजस्थान विधान सभा में इस विधेयक को आज पारित कर रहे हैं। यह एक बहुत हर्ष का विषय है। कहा जाता है कि जितनी देर से जो चीज प्राप्त होती है वह उतनी ही मधुर होती है। यदि मैं यह कहूं कि राजस्थान म्युनिसिपल विधेयक बहुत देर से आया किन्तु जिस स्वरूप में वह आया, मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता उसका स्वागत करेगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे इस कल्याणकारी राज्य में जहां समाजवादी ढांचे का हमारा उद्देश्य है, म्युनिसिपैलिटी का और पंचायतों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह वह प्रारम्भिक ढांचा है, स्तम्भ है, जिस पर हमारा कल्याणकारी राज्य स्थापित होता है। यदि हमारी पंचायतें और म्युनिसिपैलिटियां ठीक तरह से हमारे क्षेत्र में काम कर सकें, यदि हमारे प्रतिनिधि ईमानदारी से अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकें तो निश्चित रूप से हमारे समाजवादी ढांचे का उद्देश्य और कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य पूरा हो सकेगा।

इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर इस म्युनिसिपल विधेयक का निर्माण किया है। जहां इस म्युनिसिपल विधेयक की चर्चा करूं वहां मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार के और म्युनिसिपल विधेयक होते हैं, उस तरह का यह म्युनिसिपल विधेयक है। जो हमारे पास पहला म्युनिसिपल विधेयक चल रहा था उसको आधार मानकर इस म्युनिसिपल बिल के अन्दर और और संशोधन किये हैं। इसके बाद जो इसका स्वरूप बना है उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपैलिटी के निर्माण में हमने जो संख्या का अनुपात रखा है वह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो पहले थोड़ी आबादी का कस्बा कहलाता था जो न पंचायत की सीमा में आता था और न ठीक तरह से उसको म्युनिसिपल या स्वायत्त शासन संस्थाओं की सीमा में ही कहा जा सकता था। ऐसा अधकचरा क्षेत्र आठ हजार की आबादी के लिए म्युनिसिपल क्षेत्र नहीं माना और पंचायत का क्षेत्र उसको दिया है। इससे एक बड़ा भारी परिवर्तन हमारे जीवन में आवेगा। इसको चाहे हम विधान सभा में बैठ कर आज महसूस न करें, पर धीरे धीरे जब हमारी कल्याणकारी राज्य की स्कीमें और योजनाएं जो आज चल रही हैं। उनका जब समावेश उन क्षेत्रों में होगा जो किसी प्रकार से एक बड़ा भारी जनता का भाग इस प्रकार के कामों से वंचित रह जाता था, और उन विकास कार्यों से जिस समय उनमें एक चेतना

Page No.67

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

प्रस्फुटित होगी तब हम प्रयत्न महसूस करने लगेंगे। तो इसकी सबसे पहली विशेषता जो मानता हूं वह यह है कि आठ हजार से ऊपर की आबादी में म्युनिसिपल क्षेत्र समझा जावेगा और उसमें यह विधेयक लागू होगा। बाकी का क्षेत्र पंचायतों में आवेगा।

यह बात ठीक है कि इसके अलावा हम आगे बढ़ें और इस विधेयक के अन्दर जो हम आज तक बराबर देखते आये हैं, एक प्रकार का संघर्ष होता रहा है जैसे बहुत से माननीय सदस्यों ने बतलाया कि अर्बन और म्युनिसिपल का जहां २ फंक्शन होता है, दोनों के कार्यों में आपस में व्यतिक्रमण देखते हैं। ऐसी बात का समाधान ढूंढना होगा। इसका सबसे बड़ा ज्वलन्त उदाहरण जयपुर का है। यहां दोनों अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड और नगरपालिका काम करते हैं। लेकिन जहां विकास का कार्य है वह ठीक तरह का काम न म्युनिसिपल बोर्ड कर पा रहा है और न अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने किया है न कर पा रहा है। वास्तव में तो हमें इनका ठीक तरह से समन्वय करना है। जिस प्रकार से जयपुर की आबादी बढ़ रही है, एक के बाद दूसरा प्लाट दिया जाता है तो केवल प्लॉट दे देना ही उस अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का काम नहीं है। ठीक तरह से देखना है कि किस तरह से नगर का विकास किया जा सकता है और विकास करके जो कीमत प्लॉटों की नीलामी से या बिक्री से ली जाती है उसका ठीक तरह से उपयोग किस तरह से होता है। रोड ठीक किस तरह से बनाई जावे, स्विवेज़ लाइन, बिजुली, पानी की व्यवस्था सुचारु रूप से कैसी हो; उन क्षेत्रों में स्कूलों और अस्पतालों की व्यवस्था कैसी हो यह भी देखना जरूरी है और यह सारा काम बराबर म्युनिसिपल बोर्ड का है। अब यह चाहे अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का हो चाहे नगरपालिका का, कोई करे पर दोनों के व्यतिक्रम को ठीक तरह से समन्वय करने का प्रावधान भी हमें करना होगा। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इसका ठीक तरह से समन्वय करके कोई ठीक हल निकालेगी।

अब बात आती है नोमिनेशन की। अब तक एक्ट में सरकार को नामजदगी का अधिकार था। इस अधिकार के सरकार के पास होने से जिस प्रकार की मन में जलन होती थी लोगों को, जिस प्रकार से यह नामजदगी की जाती थी इन सारी चर्चा में जाने का न समय है और न इसका यहां विषय है। इसके लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। पर अब तो बात और हो गई है। यह भूत की चीज हो गई है। मैं समझता हूं कि सदन के सदस्यों को, विविध राजनैतिक कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नोमीनेशन का प्रावधान हटाया है, इसके लिए इसका सारी राजस्थान की जनता स्वागत करेगी। क्योंकि यह एक निर्विवाद सिद्धान्त है कि जहां लोगों को चुनाव करने का अधिकार है वहां नामजद भी करने का अधिकार राज्य सरकार के हाथ में होना और उसमें तरह तरह के दृष्टिकोण से अंकन लोग करते हैं। तो राजस्थान सरकार ने यह अधिकारत्याग करके अपने आप को बड़ी भारी समालोचना के लक्ष्य हो जाने से बचाया है और जो प्रावधान किया है रिजर्वेशन का हरिजन और अनुसूचित जातियों के लिए तथा महिलाओं के लिए, मैं समझता हूँ कि यह सबसे सुन्दर सीधा तरीका काम में लिया गया है। हम सब लोग इसके लिये अपनी ओर से इन सारे कार्यों को ठीक तरह से सम्पन्न

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

करने के लिए चेष्टाशील होंगे।

दूसरी बात, बराबर कही जाती है कि इस म्युनिसिपल बिल के अन्दर जो सर्विसेज़ का प्रावधान रखा गया है वह स्वागत करने की चीज है। अबतक बराबर म्युनिसिपल बोर्ड में एक दूसरे के बाद ये बदला करते थे। उनमें जो सदस्य चुनकर आते थे या जो सत्तारुढ़ पार्टी होती थी वे अपनी इच्छानुसार सारे पिछले स्टाफ को रखते या निकालते थे। नोटिस दिया या नहीं, जरा सा काम में नुक्स निकाला और निकाला। कोई उनका स्टेंडर्ड और क्राइटेरिया नहीं होता था। मैं इसके बारे में यह कहूं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी ऐसे इन्स्टान्सेज़ भी मिल जाते है कि जिनको कहीं नौकरी नहीं मिले उनको म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के अन्दर लावारिस के रूप में भेज दिया गया, चाहे काम करें या न करें। वहां के कार्यकर्ता और अधिकारीगण बराबर कहते हैं, शिकायत करते हैं कि हमारे यहां इस प्रकार के आदमी की जरुरत नहीं। पर चूंकि किसी माननीय सदस्य की या सत्तारूढ़ दल की उस पर कृपा है इसलिए उसको रखना जरुरी होता था। इस प्रकार की शिकायतें म्युनिसिपल बोर्ड से आती रहती हैं। तो यह जो सर्विसेज़ का प्रावधान रखा गया वह स्वागत योग्य चीज है। इससे एकता आवेगी सबका एकीकरण होगा, यूनिफिकेशन आवेगा और आगे से इस प्रकार की नियुक्तियों पर चैक लगेगी।

इस विषय में जो और बातें हैं, जो टैक्सेशन की बातें कही गई हैं जिसके बारे में विरोधी पक्ष की ओर से विरोध किया गया है उसका कोई औचित्य नहीं है। आखिरकार स्वायत्त शासन संस्थाएं किसी आधार पर चलेंगी। आर्थिक आधार कोई तो उनका होना ही चाहिए। पहले के विधेयक में इस प्रकार का प्रावधान था। टेक्सेशन का प्रपोजल करके राज्य सरकार की ओर से उन पर स्वीकृति ली जाती थी। उस पर किस प्रकार से कम वेश करने आदि के लिये ऑब्जेक्शन लिये जाते थे। आज तक के सब टेक्सेज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ ऑब्लीगेटरी टेक्स रखे हैं और बराबर इससे यही जाहिर है कि हमारे म्युनिसिपल बोर्ड ठीक आर्थिक आधार पर टिकें और ठीक तरह से अपना कार्य संचालन करके लोगों की सेवा कर सकें और आर्थिक सहायता के लिये किसी के बारबार मोहताज न होना पड़े। ऐसे भी समय आते थे कि जब टैक्सेशन की पेचीदा प्रणालियों के अनुसार तीन तीन वर्ष तक काम करने के बाद में जरा सी टैक्नीकल चीज पर कोर्ट से वे अल्टावायर्स हो गये और बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो जाती थी। इस विधेयक से वे सारी बातें दूर हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि टैक्सेशन की जो धारा रखी गई है, जो दरें रखी गई हैं वे ठीक हैं। तीन प्रकार के टैक्स रखे गये हैं, हाउस, प्रोफेशन और ऑक्ट्राय। इसमें सिवाय प्रोफेशन टैक्स के और सब टैक्स पहले से प्रचलित हैं। तो ये प्रावधान उचित और संगत हैं।

इसके अलावा जो सुपरसीड करने और डिजोल्यूशन के बारे में कहा गया है उस बारे में जैसा मैंने पहले भी कहा इस समय भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रोवीजन हर म्युनिसिपल एक्ट में होता है और ये सारे प्रावधान इसलिए रखे जाते हैं कि यदि कोई म्युनिसिपल बोर्ड इस प्रकार से अपने कार्य का संचालन करे कि जिससे वह अपने

Page No.69

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

सारे कर्त्तव्यों का ठीक तरह से संचालन न कर सके और सारे कामों को अस्तव्यस्त कर दे, तो ऐसी स्थिति में सरकार को यह अधिकार तो होना ही चाहिए कि वह उसे भंग कर सके और उसके स्थान पर अपना एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करे । इस प्रकार का प्रावधान प्रायः सारे म्युनिसिपल एक्टों में है । फिर भी यह प्रावधान मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छा है । लेकिन यह बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर यह अधिकार ऊपर किसी को नहीं रहे तो नीचे म्युनिसिपल बोर्ड के निरंकुश होने का डर रहता है । ये अधिकार मैं समझता हूं कि जूडिसियस और जस्ट हैं और जूडिसियस और जस्ट वे में इनका उपयोग किया गया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है । अगर किसी को शिकायत है तो इसी की है । इसका यदि ठीक तरह से जूडिसियस तरीके से और जस्ट तरीके से उपयोग किया गया तो मैं समझता हूं कि हम आज जो यह विधेयक पास करने जा रहे हैं इसका यह सबसे बड़ा भारी लाभ होगा और हम उस अवस्था को ला सकेंगे जो कल्याणकारी राज्य में बहुत बड़ी भारी सहायक होगी, और लोकराज की तरफ एक बड़ा भारी कदम हम उठा सकेंगे ! मैं, अन्त में इस बात की ओर और जोर दूंगा कि सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि जो डिसक्रेशनरी पॉवर्स इसमें सरकार को दिये गये हैं उनको वे बहुत ठीक तरह से उपयोग में लावें, ठीक तरह से उन पर व्यवहार करें । मैं ज्यादा विवरण में नहीं जाना चाहता लेकिन बहुत सी ऐसी चुनावों की और बहुत सी ऐसी बातें चली आती हैं जो कि बिल्कुल एबसर्ड मालूम होती है। म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव होता है इस म्युनिसिपल एक्ट में जो रूल बनाये गये हैं उनको देखने से मालूम होता है कि नामज़दगी का पर्चा भरा जाता है और पर्चा भरे जाने के बाद फिर स्क्रूटिनी होती है। लेकिन स्क्रूटिनी तो होती नहीं और उसके पहले विथड्रा होते है । ऐसे उदाहरण राज्य के अधिकारियों की निगाहों में आने के बाद भी उनको चेन्ज नहीं किया जाता है । लेकिन जब कि हमारे रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में यह है कि पहले नामज़दगी का पर्चा भरा जाता है उसके बाद में फिर स्क्रूटिनी होती है और फिर विथड्राअल होता है। लेकिन यहां उल्टा होता है । तो यह छोटे छोटे रूल्स की बात है कि अगर इस को जूडिशियल तरीका से कार्यान्वित किया जाये तो मैं समझता हूं कि यह विधेयक बड़ा भारी प्रगति का कदम होगा । किन्तु जैसा कि बड़ी बड़ी आशंकायें और बड़ी बड़ी बातें इस विधेयक के विरोध में कही जाती हैं, टैक्सेशन के बारे में और और चीजों के बारे में, सर्विसेज़ के बारे में तो उनका आधार यही है कि हम कई काम ऐसे कर जाते हैं जो कि डिस्प्यूटेड होने के अलावा जुडिशश स्क्रूटिनी के ऊपर पूरे नहीं उतरते और उनसे ऐसी पक्षपात की गंध आती है और पार्टीबाजी की गंध आती है और उसी के कारण से आज विधेयक की धाराओं की समालोचनायें कर जाते हैं । मैं समझता हूं कि यह विधेयक अपने आप में बहुत सुन्दर है यह हमें अविलम्ब पास करना चाहिए ।

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय सभापति महोदय, जैसा अभी बताया गया कि यह म्युनिसिपैलिटी बिल आठ वर्ष के बाद....

श्री सभापति : मैं समझता हूं कि बोलने वालों की संख्या ज्यादा मालूम होती है....

श्री मुरलीधर व्यास : पर समय तो पहले ही निर्धारित कर दिया गया है।

श्री सभापति : मेरा मतलब है कि बोलने वालों की संख्या ज्यादा मालूम होती इसलिए माननीय सदस्य बहुत कम समय में ही समाप्त कर दें।

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां।

आठ वर्ष के बाद में यह बिल पारित होने जा रहा है। तो ८ वर्ष पहले जब यह नगरपालिका विधेयक उस समय के विचारों के अनुसार उस समय पर चलने वाली परिस्थितियों के अनुसार जिन लोगों ने बैठकर बनाया उसके बाद जब यह विधेयक पारित हो रहा है, तो इस आठ वर्ष के बीच के समय में कुछ परिवर्तन जरूर हुए और उन परिवर्तनों का असर हम इसके अन्दर देखते हैं। परन्तु जो सबसे बड़ी बात इन आठ सालों में हुई वह यह हुआ कि हमारे मुल्क में एक सोचने का तरीका बदला और खास करके यह जो तरीका बदला है यह केवल अन्य पार्टियों में ही नहीं बल्कि इस सत्ताधारी दल के लोगों ने भी जिनके द्वारा यह विधेयक पारित होगा, सिद्धांततः इस नीति को स्वीकार किया और समाजवादी समाज की रचना का आदर्श उन्होंने मान्य किया। परन्तु उस आदर्श के साथ साथ इस लम्बे अर्से में परिवर्तन यह हुआ कि सत्ता का धीरे धीरे विकेन्द्रीकरण किया जाये और जो पॉवर्स कुछ लोग अपने हाथ में रखते हैं और नौकरशाही के जरिये काम होता है वह धीरे धीरे समाप्त हो और लोगों को खुद को अपना काम करने का अधिकार मिलें। यह दूसरी बात पांच सात वर्षों में हुई जिसको लोगों ने स्वीकार किया और बहुत विचार करने के बाद में यह स्वीकार किया। तो एक तो यह आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करने की बात और दूसरे जनतांत्रिक या राजनैतिक ढांचे में किस प्रकार से अपना काम चल रहा है, वह दूसरी बात है। इन दोनों बातों को लेकर पांच साल के अन्दर बहुत परिवर्तन हुआ और इसी आधार के ऊपर हम अपने भावी समाज की रचना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अब सोचना यह है कि यह जो नगरपालिका विधेयक है जिसका हमने मूल-भूत सिद्धान्त स्वीकार किया है वह उनमें कहां तक ठीक बैठता है। दोनों सिद्धान्तों के साथ, इसके नाम के साथ और काम के साथ कहां तक मेल खाता है। जहां तक नगरपालिका विधेयक के नाम से देखें तो वह नगरपालिका विधेयक है नागरिकों को पालने वाला एक कानून, जिसके अन्दर नगर के रहने वाले नागरिक स्वयं वहां की व्यवस्था करें। यह नाम और काम क्या हैं? नाम से मेल खाता है या नहीं? उसके साथ ही साथ यह भी देखना है कि जो मूलभूत सिद्धान्त हमने स्वीकार किये हैं उनसे यह कहां तक मेल खाता है। जहां तक मैं इस सम्बन्ध में सोचता हूं तो मैं यह कहना चाहता हूं और खुले कहना चाहता हूं कि जो मूलभूत सिद्धान्त और नीति हमने स्वीकार की है। उसके साथ यह बहुत कम हद तक पूरा करने में साबित होगा और उसके साथ ही साथ जो इसका नाम है नगरपालिका विधेयक वह इसलिए है कि जनता के चुने हुए लोग अपना काम अपने हाथ से करें। इस मामले में यह कहां तक मेल खाता है, इसको हमें बहुत गहराई

Page No.71

(श्री मुरलीधर व्यास)

से सोचना है। यह बिल बहुत बड़ा है और इसमें कई बातें मिलेंगी लेकिन गहराई में जाने से मालूम होता है कि नगरपालिका को अपना काम अपने हाथ से चलाने की जो सुविधा मिलनी चाहिए वह काम कौन से हैं? नगरपालिका सफाई का काम करे, अपनी रोशनी का प्रबन्ध करे, जल का प्रबंध करे, शिक्षा का प्रबन्ध करे और इसके साथ ही साथ जो वहां के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में काम करते हैं, उनको करे तो यह सारी बुनियादी बातें म्युनिसिपैलिटी की हैं। अगर हम इसकी ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि नगरपालिका विधेयक के अन्दर एक काम जरूर नगरपालिका के लोगों को मिला है और वह झाड़ू लगाने का काम मिला है। लेकिन झाड़ू के साथ में जो दूसरी चीजों के अधिकार मिलने चाहिए उसके हाथ में नहीं है। न तो कोई पानी के प्रबन्ध करने का हक उसके हाथ में है, न रोशनी का, न शिक्षा का और न अपने वहां के स्वास्थ्य के बारे में और दवाई वगैरह के सम्बन्ध में जो प्रबन्ध होने चाहिए उसके हाथ में वे भी नहीं है। जो मुख्य मुख्य चीजें उनके हाथ में जानी चाहिए और जो काम उनको खुद को चलाना चाहिए उस दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो आप पूरे विधेयक को देख लीजिए। आपको मालूम होगा कि नगरपालिका को बहुत बड़ा एक अधिकार मिला और वह मिला झाड़ू-लगाने का और जो दूसरे अधिकार मिलने चाहिए वह इसके अन्दर उसको नहीं मिले हैं। झाड़ू लगाने का काम अच्छा है, सफाई का काम। यह काम तो नगरपालिका के सदस्य नहीं करते हैं, हरिजन लोग कर लेते हैं और आप उसकी देख रेख कर लेते हैं। लेकिन उसी काम को कानून के जरिये नगरपालिका के हाथ में आपने दिया और दूसरे बुनियादी अधिकार नगरपालिका को मिलने चाहिए वह नहीं मिले हैं।

२. ३६ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

तो जहां तक मैं इस विधेयक को गहराई से देखता हूं तो मेरे ख्याल से नगरपालिका को सिर्फ झाड़ू लगाने का अधिकार दिया है और दूसरे अधिकार जो उसको होने चाहिए और जो मूलभूत सिद्धांत हमने माने हैं, जो अधिकार उसके हाथ में होने चाहिए वह हमने नहीं दिये हैं। आज वह नगरपालिका जिसको कि बहुत से काम करने हैं वह काम के अधिकार उनके पास नहीं हैं। उसके साथ ही साथ अगर कुछ बड़े काम करने के लिए आपने अधिकार रखे हैं, उनको तो आपने उनको चलाने का अधिकार नहीं दिया है। अगर आप कोई बड़ा काम दे दें और कोई चलाने की इच्छा भी कर ले कि शिक्षा का प्रबन्ध नगर-पालिका के कुछ लोग चलाने के लिए राजी हों, आदर्श स्कूलें हों ऐसा वह चाहते हैं तो उस पर कैसे प्रबन्ध हो उसको देखें और चलायें और अगर वह अधिकार किसी तरह से सरकार से मांगे कि इसको हम करना चाहते हैं तो आपने इजाजत तो दे दी लेकिन उसको चलाने का अधिकार आपने नहीं दिया है। पैसे का साधन भी आपने अपने हाथ में रखा है। जितने भी नगर-पालिका के जरिये, नागरिकों के जरिये धन

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्राप्त करने के साधन आपके हाथ में हैं। जो बड़े बड़े काम करने के लिए साधन नगरपालिका को उपलब्ध होने चाहिए वह आपके विधेयक में नहीं हैं। आपने वह अधिकार फिर अपने हाथ में रखा हैं तो इस प्रकार से हमने बिल्कुल अपंग बना दिया है। आज यह नगरपालिका विधेयक अपने हाथ में हो सकता है कि अच्छा मालूम पड़े। लेकिन जो इसके अनुसार काम करेंगे उनको दिक्कत होगी और वे अपंग होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो टैक्सेशन की है और नगरपालिका के करों के रूप में आती है उसको आपने अपने हाथ में रखा है जो कि नगरपालिका के हाथ में जानी चाहिये। आपने जमीन की बिक्री का सवाल अपने हाथ में रखा है, एन्टरटेनमेन्ट टैक्स और दूसरे सेल्स टैक्स आदि हर प्रकार के टैक्सेज़ लगाने की पॉवर अपने हाथ में रखी है। अगर आप यह कर देते कि जो टैक्स आयेगा उसमें से इतना पर्सेन्टेज़ नगरपालिका को देंगे और हर मामले में देंगे तो मैं मानता कि काम करने के हक के साथ में उनको पैसा भी मिलता है लेकिन यह चीज इसमें नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि नगरपालिका विधेयक में यह दिक्कत काम करने वालों के सामने होगी। आप यह कहें कि यह बहुत अच्छा विधेयक है, ८ साल बाद पास हो रहा है, प्रोग्रेसिव है, इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं लेकिन मैं इसको जिस तराजू पर तोलता हूं उस पर यह नहीं तुलता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि नाम के रूप में और बातों के रूप में अच्छा हो सकता है, लेकिन व्यवहार और काम के रूप में अच्छा नहीं हो सकता। इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आयेंगी।

इस विधेयक के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चीज़ जो समाज के हकों से सम्बन्ध रखती है, जिसके लिये बहुत दिनों से आशा लगाये हुए थे वह नगरपालिका के हकों से सम्बन्धित है। जहां तक नगरपालिका के हक का सवाल आता है महात्मा गाँधी ने कहा था कि यह अपने आप में स्वराज्य हो, इसमें बन्धन नहीं होने चाहिये और काम में बाधक कोई नहीं होना चाहिये। यह स्थानीय स्वराज्य की बात है और इसको इतना लूला और लंगड़ा बना कर रखें और आप यह कहें कि यह बहुत अच्छा है तो मैं यह कहूंगा कि पुराने जमाने में हम जिन हकों के लिये लड़ते थे, वे हक भी इसमें हॉसिल नहीं हैं, उनसे कहीं कम हक इसके द्वारा दिये गये हैं। मध्यप्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य का काम भी म्युनिसिपैलिटीज़ को दिया गया है, वे हॉस्पिटल्स चलाती हैं और गवर्नमेन्ट की इन्कम में से उनको कुछ न कुछ दिया जाता है। इस प्रकार की जो योजना होनी चाहिये वह आज राजस्थान के विधेयक में नहीं है। दूसरे प्रान्तों के विधेयक बहुत पहले पारित हुए थे और जब कि हमारा विधेयक सन् ५६ में पास हो रहा है तो युग के अनुसार जो चीज़ इसमें होनी चाहिये थी वह नहीं है और लोगों को हक नहीं मिले हैं। मैं यह भी कहता हूं कि विकेन्द्रीकरण की बात इसमें नहीं है और समाजवादी ढांचे का रूप इसमें नहीं है। लोग कहेंगे कि समाजवाद का रूप क्या होना चाहिये ? समाजवाद का रूप आपको टैक्सेज़ से मालूम होगा। टैक्सेज़ की नीति समाजवाद के सिद्धान्त पर आधारित हो, तो मैं कहता कि इस आधार पर है लेकिन जो टैक्स की नीति रखी है वह इस प्रकार की है अप्रत्यक्षरूप से हर एक पर लागू होती है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

चाहे वह बिल्कुल गरीब हो, रोटी के लिये मोहताज़ हो, भीख माँग कर लाता हो उसको भी यदि कुछ चीज़ वह खरीदता है तो आपके टैक्स का भाग देना पड़ेगा। यह चूंगी हर आदमी पर लगेगी। चूंगी अगर वस्तु विशेष पर होती और यह कहा जाता कि खाद्य सामग्रियों पर या जो चीजें जीवन से संबंधित हैं उन पर चूंगी नहीं लगेगी तो मैं मानता कि आपने यह दृष्टिकोण रखा। लेकिन जो समाजवाद का दृष्टिकोण था वह आपने टैक्सेज़ के मामले में नहीं रखा। बीकानेर में आज कोई ऊंट पर बाहर से लादा लाता है उसको भी चूंगी देनी पड़ेगी या जो घास लाने वाला है उसको भी इस प्रकार की चूंगी देनी पड़ेगी। गरीब से गरीब भी यह समझ जायेगा कि समाजवाद के दृष्टिकोण से और समाजवाद के सिद्धान्त के अनुसार यह टैक्स नहीं लगा है। समाजवाद के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के धन के ऊपर टैक्स लगाना चाहिये न कि व्यक्ति के शरीर के ऊपर। इस प्रकार का ढांचा आप बनाते और चूंगी लगाने का प्रावधान रखते तो मैं समझता कि समाजवाद के आधार पर आपने सोचा है। बड़े बड़े शहरों में नाना प्रकार के कर आप लगा सकते हैं। आप बड़े बड़े भवनों पर टैक्स लगा सकते हैं, मकान बनाने पर, इरेक्शन पर कर लगा सकते हैं, सिनेमा पर कर लगा सकते हैं, मुनाफे के दृष्टिकोण से जो लोग बिल्डिंग बेचते हैं, उन पर टैक्स लगा सकते हैं और नाना प्रकार के जो पूंजीवादी तरीके हैं, जिनसे लोग धन कमाते हैं उन पर टैक्स लगा सकते हैं और म्युनिसिपैलिटीज़ को चला सकते हैं। लेकिन आपने वैसा तरीका अख्त्यार नहीं किया।

दूसरी बात विकेन्द्रीकरण की आती है। आपने समाजवाद का दृष्टिकोण नहीं अपनाया। वहां आपको विकेन्द्रीकरण के दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिये था और यह करना चाहिये था कि काम करने की जो पॉवर्स हैं वे अपने हाथ में नहीं रखेंगे। बहुत से माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया। मैं पहले से ही कहता हूं कि जनतन्त्र में दो चीजों को मान्य करनी थी। एक तो पॉवर ऑफ रिकॉल। जनता द्वारा चुने हुए लोग म्युनिसिपैलिटीज़ में जाते हैं तो उनको वापिस बुलाने का अधिकार भी जनता को देना चाहिये था। चुनने वालों में तीन चौथाई आदमी यदि हस्ताक्षर करके पेश करते कि इसको वापिस बुलाया जाय तो उसकी जांच करने के बाद उसको वापिस बुलाने का अधिकार जनता को नहीं दिया। लेकिन बोर्ड को भंग करने आदि के अधिकार आपने अपने हाथ में रखे और जनता के हाथ में एक भी अधिकार नहीं रखा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो विकेन्द्रीकरण करना चाहिये था, दोनों तरफ के हक रखने चाहिये थे वे आपने इसमें नहीं रखे।

इसमें एक बात मुझे अच्छी लगती है, वह यह कि नोमिनेशन को खत्म कर दिया है। उसके बजाय रिजर्वेशन के आधार पर लोग जायेंगे, यह अच्छी चीज़ आई, लोगों को इससे संतोष है। लेकिन मूलभूत आधार पर आप सोचे तो मैं कहता हूं कि नगरपालिका विधेयक, हो सकता है कोई कहे यह जनतांत्रिक है, अच्छा है लेकिन व्यावहारिक और सैद्धान्तिक दृष्टि से और मूलभूत जिस निर्णय को आपने स्वीकार किया है उस दृष्टि से यह अपंग है। सब को झाड़ू दिलाने के अधिकार के अतिरिक्त दूसरा अधिकार नहीं है।

श्री सभापति : श्री जनार्दनराय नागर ! You will please mind the time.

श्री जनार्दनराय नागर(मालवी): सभापति महोदय, जो विधेयक हम पारित करने जा रहे हैं उसके बारे में माननीय मित्र ने कहा कि यह विधेयक राजस्थान को नागरिक जनता को केवल झाड़ू लगाने का अधिकार देनेवाला विधेयक है । मुझे बहुत आश्चर्य हुआ यह बात सुनकर कि हमारे इतने प्रतिभावान दोस्त को इस मोटे विधेयक में जो विशेषता दिखाई दी वह यह कि राजस्थान की शहरी जनता को इस विधेयक में झाड़ू पकड़वाया गया और कहा गया है कि झाड़ू निकाला करें और इसके अलावा विधेयक में राजस्थान के नागरिकों को जीवन धारण करने और पोषण करने का अधिकार नहीं दिया । हैरत है, इस प्रकार की बात वे महसूस करते हैं । लेकिन यह तो अपनी अपनी समझ की बात है और ऐसी अपनी अक्ल से बात बताते हैं । वैसा ही अभास होता है गुण और अवगुण का । मेरा मत तो यह है कि वे एक मानसिक खिंच में पड़े हैं । उनके सारे भाषण से मुझे ऐसा लगता है कि वे स्थानीय शासन को स्वराज्य मानकर चलते हैं और उनकी कल्पना ऐसी है कि हर नगर में एक सिटी गवर्नमेंट होनी चाहिये और उस गवर्नमेंट के लिए जो अधिकार होने चाहिए, जो अधिकृति होनी चाहिए, वह इस नगरपालिका विधेयक के द्वारा दे दी जानी चाहिए । मैं समझता हूं कि समाजवाद की अतिरंजित और ख्याली दुनियां में बसनेवाले मेरे मित्र इस बात को भूल गये कि नगरपालिका का जो सारा ढांचा है, उसकी जो रचना है वह रचना नागरिक जीवन के सीमित क्षेत्र के अन्दर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा नगर जीवन की जिम्मेदारी को लिये जाने की रचना है, वह शहर के अन्दर स्वायत्त रूप से अलग अलग स्थापित शहर सरकार की रचना नहीं है । गांधीजी ने एक बात कही स्वयं हमारे मित्र एक बात चाहते हैं, यह दूसरी बात है । कहने और चलने की बात है । लेकिन आज हिन्दुस्तानी परम्परा से जो नगरपालिका का एक ढांचा विकसित होता चला गया और जो राजस्थान में भी विकसित हुआ उस दृष्टि से हमें इस विधेयक को देखना होगा । यह ठीक कहा गया है कि इस विधेयक के द्वारा धीरे धीरे ही सही एक ऐसा रूप नगरपालिका का आयेगा और निश्चित रूप से राजस्थान के शहरों में नागरिक जीवन के उद्धरण और पोषण के लिए नागरिकों को स्वयंमेव प्राप्त होगा और अपने दायित्व की आवश्यकता को समझ कर उसे निभाने की शक्ति मिलेगी । इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने धीरे धीरे सही लेकिन एक अच्छे कानून को हमारे सामने प्रस्तुत किया है ।

जैसा कि माननीय मित्रों ने कहा इस कानून की बहुत सारी विशेषतायें हैं । मैं उन तमाम विशेषताओं को गिनना नहीं चाहूंगा । लेकिन एक करके बारे में कहूंगा कि सरकार ने इस विधेयक के द्वारा एक अच्छा कदम लिया है और वह है यह जो प्रोफेशन के ऊपर टैक्स लगाया है । मैं मानता हूँ कि यह बड़ा जरूरी टैक्स था जिसे सरकार ने लाज़िमी तौर से लगाने के लिये प्रावधान रखा है । कुछ सुना जाता है कि कुछ लोग इस टैक्स को पसन्द नहीं करते हैं । जहां तक हाउस टैक्स का सवाल है कुछ लोगों को पसन्द आया, धीरे धीरे आया पसन्द । मुझे मालूम

(श्री जनार्दनराय नागर)

है हाउस टैक्स को कई जगह जिनके पास मकान है और जिन पर टैक्स लग सकता है वे पसन्द नहीं करते हैं। इसी प्रकार ऑक्ट्राय चल निकली। उसके बारे में, सभापति महोदय, हमें मालूम है कि उन्नत से उन्नत शहर में एक विरोध सामने आया। तो प्रोफेशन टैक्स के बारे में यदि कहा जाय कि यह टैक्स नहीं लगाना चाहिए या यह टैक्स लगाना ठीक नहीं इत्यादि बातें आती हैं। मैं समझता हूँ यह हमारी साहसहीनता की सूचना है, निश्चित रूप से यह टैक्स लगाने का प्रावधान किया है या प्रोफेशन टैक्स लगाने की बात रखी गई है, मैं मानता हूं इस सारे विधेयक के द्वारा नगरपालिकाओं को निश्चित् रूप से न केवल आय करने के लिए साधन प्रदान किये गये हैं। लेकिन साथ ही नागरिक जीवन की उन्नति के लिये समाचार के लिये प्रावधान किया गया है। ऑक्ट्राय के जरिये, प्रोफेशन टैक्स के जरिये, सम्पत्ति कर के जरिये, हाउस टैक्स के जरिये, ठीक है नगरपालिका को आय प्राप्त होगी, किन्तु दूसरी दृष्टि से देखें तो सभापति महोदय, यह मालूम होगा कि नगर के अन्दर जो सम्पत्ति बनाते हैं, अचल सम्पत्ति बनाते हैं, नगर के अन्दर जो पेशा करते हैं, उनको भी यह कहा जा रहा है कि आपका भी नागरिक जीवन के विकास के अन्दर उत्तरदायित्व हैं, उस जिम्मेदारी से आप भी कुछ दीजिये। हर टैक्स केवल आय का साधन नहीं होता, हर टैक्स में नागरिक जीवन का आधार होता है। वह आधार इस प्रोफेशन टैक्स में यह है कि प्रत्येक नागरिक को सामूहिक नागरिक जीवन के प्रति उत्तरदायित्व का अनुभव कराना चाहिए इसके जरिये। इसलिए यह तीन टैक्स लगाने का प्रावधान, मैं समझता हूं बहुत प्रगतिशील प्रावधान है।

मैं निवेदन करूं कि उदयपुर में एक कॉरपोरेशन चला आता है। लेकिन हाउस टैक्स अभी तक नहीं लगाया गया। मैं बताना चाहता हूं कि किसी को प्रोफेशन टैक्स समय में न आये (कुछ व्यवधान) माननीय मित्र पीछे से कुछ फुसफुसाये कि यह अच्छा नहीं होगा। सभापति महोदय, सदन के सामने जोर से कहें तो उचित होता। मैं निवेदन करूं कि नगरपालिका के वरचस्व की दृष्टि से, धन के तत्व की सुरया की दृष्टि से ये टैक्स देने चाहिए जो कि एच्छिक नहीं रखे गये है। टैक्सेज़ के बारे में यह कहा गया है कि हर म्युनिसिपल बोर्ड या या म्युनिसिपल कमेटी तीन टैक्सेज़ लगायेगी। मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार का यह न केवल एक प्रगतिशील कदम है बल्कि एक साहसिक कदम है और इस बात की आवश्यकता को महसूस करके कहा गया है कि आखिर नागरिक जीवन को राजकीय सहायता के बिना धीरे धीरे स्वावलम्बी बनाना पड़ेगा और नगरपालिकायें राज्य सरकार की सहायता के बिना स्वावलम्बी हो। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की सहायता अपेक्षित है, अगर म्युनिसिपल बोर्ड हरिज़नों की तनख्वाह न दे सके तो राज्य से मदद मांगता है क्योंकि जो नगरपालिकाओं का आर्थिक ढांचा है वह अधिकांश में, जो हमारी रचनात्मक संस्थायें हैं वे अधिकांश में परावलम्बी हो गई हैं। इसी प्रकार नगरपालिका के लिए आर्थिक सहायता अवलम्ब हो गया है। मैं समझता हूं कि इस बिल

(श्री जनार्दनराय नागर)

के जरिये ऐसा श्रोत रखा गया है जिसकी वजह से जो राजकीय सहायता का जुआ है, परावलम्बन है, उससे नगरपालिका दूर जायगा और वे स्वावलम्बी होंगी। इस प्रोफेशन टैक्स के बारे में कहा जा सकता है, जो वकील हैं, जो डॉक्टर हैं, जो वैद्य हैं वे इसको नापसन्द कर सकते हैं, इसका अन्देशा है लेकिन मैं समझता हूं, सभापति महोदय, मेरे मित्र पीछे से कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिये....

श्री सभापति : पीछे से कुछ नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं कह रहा था कि जो वकील, वैद्य, डॉक्टर का प्रोफेशन करते हैं....

श्री सोहनलाल भटनागर (मनुष्यर): साहित्यकार इसमें नहीं आते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरे मित्र को पसन्द नहीं आ रहा है क्योंकि वे वकील हैं। वकील का आभास हो तो दूसरी बात है। मैं कह रहा था कि कुछ लोगों को विरोध हो सकता है। हर टैक्स का विरोध करा जाता है प्रारम्भ में। ऐसे कुछ तत्व हैं जिनका यह रवैया है। वकील साहब बड़ी बड़ी फीस लेकर धन इकट्ठा करने के लिए हैं, उनको अगर एक मिनट अपने मुवक्किल को राय देनी होगी तो उसकी फीस लेंगे। अब प्रोफेशन टैक्स जो रखा गया है उसके लिए कहा जायगा कि यह ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूं आप साहित्यकारों पर भी टैक्स लगा दीजिये, मुझे ऐतराज नहीं है। आपको ऐतराज है अगर टैक्स वकीलों पर लगाया जाय। फिर मैं कह रहा था, सभापति महोदय, कि यह ऑब्लीगेट्री टैक्स में आता है, यह इस बिल की जान है, क्योंकि इसके द्वारा एक शक्ति दी गई है। उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि सरकार को धन्यवाद देना चाहिए।

(घंटी)

एक बात पर मुझे ऐतराज है। वह कह कर मैं बैठूंगा और वह है कि राजाओं की व्यक्तिगत सम्पत्ति पर एग्जेम्पशन दिया गया है, कानून की दृष्टि से इसके बारे में कहा जाता है। मैं इस मामले में अब भी संतुष्ट नहीं हूं। मैं असंतुष्ट बना रहूँगा। मैं मानता हूं कि इस मामले में कानूनी आधार लिया गया है राज्य सरकार की ओर से लेकिन वह कनविन्सिंग नहीं है। वह कानूनी आधार नहीं है। यह बता दिया जाता है कि सन् १६४७ में एग्रीमेंट हुआ कि राजाओं के जो अधिकार म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र में थे वे ज्यों के त्यों दिये जाने चाहिए। मैं समझता हूं यह कोई दलील नहीं है। मैं मानता हूं कि राज्य सरकार इस सदन के अन्दर अपना कर्त्तव्य पूरा करती है इस मामले में और इस पर राजा महाराजाओं का ऐतराज होगा। अगर उन्हें होगा तो वे हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटावें। इस सदन में जो उनकी वकालत की गई है, मैं समझता हूँ वह नाकाबिले बर्दाश्त है। अभी तक, सभापति महोदय, मैंने मांग की थी कि हमें निश्चित रूप से कनविन्स किया जाना चाहिए। केवल विधान की धाराओं को पढ़ दिया गया और कहा गया कि राजाओं के साथ एग्रीमेंट हुआ और बड़ी विचित्र दलील दी गई कि नये टैक्स लगा सकते हैं और राजाओं के ज़माने में जो म्युनिसिपैलिटी बनती थी। उनके अन्दर बहुत

(श्री जनार्दनराय नागर)

से अधिकार राजाओं के थे। आप उस एग्रीमेंट को मान लेते हैं और उसे १६५८ में भी एक ऑब्लीगेशन मान लेते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता। एक उलट बासी है वह मेरी समझ में नहीं आती। ऐसी एक भी दलील नहीं रखी गई है जिसके बारे में हम विचार कर सकें। हमारे माननीय मंत्री जी ने एक धारा पढ़ दी कि एक एग्रीमेंट है। मैंने कहा था कि एग्रीमेंट है तो बतायें। हम कहें कि जयपुर में जो टैक्स लगा है वह राजाओं से नहीं लिया जाय। एक चीज़ एक जगह नहीं ली जाती है तो वह सब जगह न ली जाय। हमें सारे राजस्थान की दृष्टि से सोचना है। मैं समझता हूँ कि एक जगह के दृष्टिकोण से सोचना ठीक नहीं हैं। ठीक है आपने कानून की दृष्टि से देखा होगा और जो निष्णात् लोग हैं उन्होंने राय दी होगी। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार हमारी धारणाओं की पुष्टि नहीं कर पाई। मैं समझता हूं एक लचर समझौता किया है हमारी सरकार ने इस धारा के द्वारा जिसकी दाद नहीं दे सकता।

इन सारी बातों को कह कर मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल के ज़रिये सारी नगरपालिकाओं के जीवन का समन्वय किया है वह न केवल स्तुत्य है बल्कि स्वागतेय है।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री सभापति : I am so sorry. You will have chance next, Mr. Chaudhary.

श्री नारायणसिंह।

श्री पी० के० चौधरी : I have stood fifth time, Sir.

श्री सभापति : I am so sorry.

३ म० प०

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : सभापति महोदय. प्रस्तुत विधेयक आज तीसरे वाचन के दौरान में है और ऐसे अवसर पर हमें केवल विहंगम पुनरावलोकन करना मात्र इसके लिये रह जाता है। हमने इस विधेयक को बहुत काफी अर्से से विचार करते करते आज एक स्वरूप दिया है। और यह तो मानना पड़ेगा कि जिस स्वरूप से वह राजस्थान में प्रस्तुत हुआ एक प्रकार से सब म्युनिसिपैलिटीज़ के कानूनों में समानीकरण का काम वह अवश्य करेगा। लेकिन जब हम म्युनिसिपैलिटीज़ के लिये एक कानून नये से तरीके बनाने को प्रस्तुत हैं तो हमें यह विचारने की आवश्यकता है कि आज जो समय की मांग है प्रजातंत्र को ठीक नीचे तक उतारने का, प्रजान्त्र को व्यक्ति के साधारण और हमेशा के व्यवहार में सिद्ध करने का हमारा लक्ष्य है उसको देखते हुए आज हमें ऐसे विधेयक को एक बहुत ही अलग प्रकार से सोचने की आवश्यकता हो जाती है और इस भूमिका में जहां हम इस म्युनिसिपल विधेयक को जिस प्रकार से भी इसका स्वरूप बना है उसको फिर देखना चाहें तो हमें ऐसा महसूस होता है कि कहीं कहीं शायद जल्दबाजी में कोई बात रह गई है। म्युनिसिपैलिटीज़ विधेयक में शुरू शुरू में ही दो प्रकार की नगरपालिकाओं का विचार रखा गया था, एक तो सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ का था और दूसरा टाउन म्युनिसिपैलिटीज का विचार रखा गया। आगे की जितनी भी इसकी क्लॉजेज़

(श्री नारायणसिंह)

होंगी उनमें काफी देखने पर यह फिर भी महसूस होता है कि जो दो अलग अलग प्रकार की म्युनिसिपैलिटियां रखी गई होंगी वे शायद क्लॉजेज़ की गलियों में गुमराह हो गई होंगी। तो आज आवश्यकता इस बात की थी कि इस म्युनिसिपैलिटीज़ के विधेयक को बनाते समय हम इस प्रकार के सभी स्वरूप रख पाते जिनके अधार पर, अलग स्तर पर अलग अलग नगरपालिकाएं बना सकते तो वे अपने दायित्व को अलग अलग निरवहन करतीं और हम जो सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं उसका हमें अलग अलग अनुभव हो सकता।

मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि आज राजस्थान में म्युनिसिपैलिटीज़ अलग अलग कानून के अन्तर्गत चल रही हैं और उदयपुर जैसे स्थान पर कॉरपोरेशन आदि का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी सूरत में जहां हम म्युनिसिपैलिटीज़ के लिये दो प्रकार की म्युनिसिपैलिटीज़ का विचार कर रहे थे और उसे पूरी तरह इसमें कायम नहीं कर सके वहां हम कॉरपोरेशन, सिटी म्युनिसिपैलिटी और टाउन म्युनिसिपैलिटी का एक तेहरा स्वरूप इस विधेयक ही में रख सकते थे। कॉरपोरेशन का हम ऐसा स्वरूप बना सकते थे जो बॉम्बे में बॉम्बे म्युनिसिपैलिटीज़ एन्ड कॉरपोरेशन एक्ट है उसके माफिक एक्ट यहां भी बना सकते थे। जहां कॉरपोरेशन मौजूद हो वहां कॉरपोरेशन बना सकते थे और वहां के मेअर की परिस्थिति रह सकती थी। ऐसी स्थिति में मेअर एक प्रिसाइडिंग व्यक्ति रहता है जिससे प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एग्ज़ेक्यूटिव ऑफिसर का सिलसिला होता है। तो इस प्रकार की कॉरपोरेशन जयपुर, उदयपुर अथवा बड़े बड़े स्थानों के लिये रख सकते थे। जहां उनके विशेष अधिकार रहते और विभिन्न स्वरूप रहता। दूसरे में सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ और टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ का स्वरूप रखा जा सकता था।

अब इसमें खास बात रह जाती है वह यह है कि जहां प्रेसिडेन्ट और चेयरमैन के चुनने का प्रावधान रखते हैं वहां साधारण व्यवहार चलता आया है उसके अनुसार चेयरमैन या प्रेसिडेन्ट के चुनने की व्यवस्था रखी है। इसमें हमें देखना था कि स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व का स्वरूप प्रेसिडेन्ट या चेयरमैन को दे सकते हैं कि नहीं। स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व से मेरा मतलब यह है कि प्रेसिडेन्ट, चेयरमैन अलग रूप से चुने जाते हैं और बोर्ड अलग चुना जाता है। हमारी पंचायतों में यह स्वरूप मौजूद है। यदि म्युनिसिपैलिटी में इसका प्रयोग किया जाता तो हमें प्रजातंत्र में जो दो प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं उनका अनुभव होता। पार्लियामेंटरी पद्धति में ही दो प्रकार के अनुभव कर सकते थे। प्रेसिडेन्ट की पद्धति और अधिकार अलग रूप से अमेरिका में मौजूद हैं। हमारी पार्लियामेंटरी पद्धति है वह ब्रिटिश पार्लियामेंटरी पद्धति के आधार पर है। ये दोनों पद्धतियां अलग अलग हैं और दोनों में ही दोष और गुण दोनों हैं। दोनों ही का प्रयोग आज हम अलग अलग स्तर की जो जनतान्त्रिक व्यवस्थाएं हैं उनमें कर सकते हैं। इस तरीके को रखते और प्रेसिडेन्ट, चेयरमैन अलग प्रतिनिधित्व वाला होता तो उसको विशेष अधिकार दे सकते थे और बोर्ड को लेजिस्लेटिव अधिकारों का स्वरूप दे सकते थे। चैक्स और बैलेंस का सिस्टम भी इसमें हो सकता था और इस प्रकार के प्रेसिडेन्ट या चेयरमैन

(श्री नारायणसिंह)

के विटो के कुछ पॉवर्स हो सकते थे सुपरसेशन के बारे में जिक्र करते हुए मैं दो चार दिन पहले कह चुका हूं कि इस प्रकार के चैक और बैलेंसेज़ की व्यवस्था बैठाते तो जो सरकारी हस्तक्षेप की नौबत सुपरसेशन और डिज़ोल्यूशन से आती है, उस सीधे हस्तक्षेप की बजाय यह कर सकते थे कि चेयरमैन कितना विटो करता है, कितना अपना एग्जीक्यूटिव फंक्शन वहन करता है और बोर्ड कितना उचित, अनुचित अवरोध लगा सकता है।

इस मूलाधार पर प्रेसिडेन्ट अथवा बोर्ड को अवसरानुसार दबाया जा सकता था और दूसरों को सत्ता दी सकती थी। तो सुपरसेशन के सीधे हस्तक्षेप की अवस्था आती उसमें न्यूनता हो सकती थी और जो प्रजातान्त्रिक धारा हम नीचे तक बहाना चाहते हैं, वह अविरल रूप से बहती। वह हम इनमें नहीं कर पाये हैं।

चेयरमैन, प्रेसिडेन्ट के लिये अलग प्रतिनिधित्व की बात इसलिये कहता हूं कि आज एक विशेष प्रकार की गुट्टबाज़ी में बह जाने की परिस्थिति हर स्तर पर आ जाती है जबकि हममें प्रजातन्त्र पूर्ण रूप से घर नहीं कर पाया है। हमारे व्यक्तित्व के एक एक तत्व में प्रजातान्त्रिक भाव पूरी तरह नहीं बैठ पाये हैं, ऐसी अवस्था हो सकती है, उससे बचने के लिये प्रेसिडेन्ट, चेयरमैन को पृथक प्रतिनिधित्व का पॉवर दे सकते थे। पृथक प्रतिनिधित्व का पॉवर दे देते तो आज जो इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिनसे कि सुपरसेशन करने की नौबत आ सकती है और इनसे ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जिनके फलस्वरूप म्युनिसिपैलिटीज़ फेल होती नजर आती हैं। हम एक प्रकार से इसी तरह का प्रयोग यदि इस विधेयक के साथ करते तो वह अनुचित नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इसमें नोमिनेशन का क्लॉज़ था उस पर सदन में काफी वाद विवाद रहा और मैं इस बात का स्वागत करूंगा कि नोमिनेशन के क्लॉज़ को इसमें से हटा दिया और अनुसूचित जातियों के लिये रिजर्वेशन कर दिया है यह एक बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से यदि हम प्रेसिडेन्ट और चेयरमैन....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, गणपूर्ति का अभाव मालूम होता है।

श्री सभापति : अभाव ही मालूम होता है मगर है नहीं।

श्री नारायणसिंह : एक माननीय सदस्य ने स्वराज्य की बात कही और यह कहा कि अब अपने आपका स्वराज्य है। मगर मैं यह कहूँगा कि जहां पर स्वराज्य है, वहां म्युनिसिपैलिटी के स्तर पर आप देखेंगे कि इतनी ऑटोक्रेसी मौजूद है जो ऑटोक्रेसी हमारे राज्य सरकार में भी नहीं है। लेकिन आज हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम कितनी ऑटोक्रेसी के लिये तैयार हैं और कितनी के लिये नहीं। एक प्रजातन्त्र व्यवस्था हमने ऐसी कायम कर रखी है जिसमें छोटे पद और बड़े पद इस प्रकार से आपस में सम्बन्धित रहते हैं और जो जनतन्त्र व्यवस्था होती है उसमें एक लगाम होकर रहते हैं और इस प्रकार का तांता रहता है जो फ्यूडल पद्धति में नहीं होते। प्रजातन्त्र में यह आवश्यक हो

(श्री नारायणसिंह)

जाता है कि जितने भी मिलने वाले जनतन्त्रीय तत्व हैं सब संगठित रहें और अपनी अलग अलग धाराएं न बना सकें । इससे और भी आगे हमें सोचना होगा कि किस स्तर पर जनतन्त्र की व्यवस्था बनाई जावे जिसमें आँटोक्रेसी दी जावे ।

अब टैक्स का प्रश्न आता है । मैं यह कहूँगा कि टैक्स के कई अधिकार तो राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिये हैं । केवल अप्रत्यक्ष कर ही म्युनिसिपैलिटीज़ को दिये हैं । अब आप देखेंगे कि इस कर से साधारण तौर से कौन लोग प्रभावित होंगे ! छोटे इन्कम ग्रुप वाले लोगों पर इसका ज्यादा असर पड़ता है । मैं यह भी मानता हूं कि इस इनडाइरेक्ट टैक्स का सबसे ज्यादा असर लो इन्कम ग्रुप के व्यक्तियों पर पड़ता है और चूंकि वे गरीब होते हैं इसलिये उनकी ऐसी स्थिति बन जाती है कि जितने उनके मेम्बर्स ज्यादा होंगे उतना पर-केपिटा उन पर भार ज्यादा हो जाता है । दूसरा मैंने बंगाल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स कोट करके बताया था कि यह टैक्स बड़ी इन्कम ग्रुप वालों पर ३ प्रतिशत का इन्सीडेन्ट करता है तो लो ग्रुप पर ५ प्रतिशत पड़ता है । यह बात टैक्सेशन के सिद्धान्तों से साबित है । इसलिये इस बात को हमें टैक्सेशन पद्धति में सारी जगह अवलोकन करने की जरूरत है ।

मैं यह जरूर कहूंगा कि हम यहां पर दो प्रकार की विचार धाराओं पर सोच सकते थे । एक तो सारे टैक्सेज़ के लिये जो आज हमको मिलते हैं और जिनके लिये हम कदम उठा रहे हैं । दूसरा प्रोफेशन टैक्स । कई प्रकार के टैक्सेज़ प्रोवाइडेड हैं जिनको राज्य सरकार ले रही है और वास्तव में वे म्युनिसिपैलिटी को मिलने चाहिये और कुछ टैक्सों को छोड़ रही है ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

टैक्सेशन में हम केन्द्रीय करण करना चाहते हैं तो मैं यह कहूँगा कि सारे टैक्सेज़ के पॉवर जो म्युनिसिपल स्तर पर या पंचायत के स्तर पर हैं, राज्य सरकार पूर्णतया ले ले और उसमें से अनुपात में जो भी हिस्सा हो उसे सबसीड दे दे या इस प्रकार की प्रथा होनी चाहिये कि उनके पास इस प्रकार के साधन हों जिनसे वे अपना काम अच्छी तरह से कर सकें और प्रत्यक्ष कर की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करें कन्जरवन्सी, प्रोफेशनल वेहिकल टैक्स, साधारण है लेकिन आज बम्बई आदि में बहुत से करों का म्युनिसिपैलिटी में प्रावधान होते हुए भी विधान में उसके लिये प्रश्न उठता है । यदि हम वहां के करों की तुलना और यहां के करों की तुलना करें तो हमें मालूम होगा कि वास्तव में जो कर हमें आय देते हैं उनसे म्युनिसिपैलिटी के साधनों का पूरी तरह से विकास नही कर सकते हैं । हमें दूसरों से इस प्रकार के विधेयकों से एग्जम्पल लेना होगा कि जहां लैन्ड रेवेन्यू में से बम्बई में १५ प्रतिशत शेअर म्युनिसिपैलिटी को मिलता है और नॉन रेवेन्यू में से ७५ प्रतिशत दिया जाता है । इस तरह राज्य सरकार म्युनिसिपैलिटी के कई कर जो होते हैं वे भी ले लेती है उनमें से ५० प्रतिशत का शेअर उसको देती है । तो उसी प्रकार की व्यवस्था को हमारे यहां पर भी सोचने की आवश्यकता है ताकि हम किसी प्रकार से म्युनिसिपैलिटी को स्वावलम्बी बना सकें ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री नारायणसिंह)

मैं पांच मिनट और लूंगा ।

श्री सभापति : आप जल्दी ही समाप्त कर दें और भी बोलने वाले हैं ।

श्री नारायणसिंह : I Shall only take just two minutes. अब सर्विसेज़ का सवाल आता है । मैं, सरकार ने इस तरफ जो कदम उठाया है उसको सराहनीय समझता हूं कि सरकार ने राजस्थान म्युनिसिपैलिटी में भी एक प्रावधान किया है उससे वास्तव में इसमें सुधार होगा । लेकिन मैं यह सोचता था कि जो यह म्युनिसिपैलिटी में लागू हो रहे हैं वे सारे एल० एम० जी० का जो एक व्यापक दायरा है उसमें पंचायत आदि सभी लोकल बॉडीज आ जाते हैं उनके लिये प्रावधान होना चाहिये था क्योंकि उसमें सभी प्रकार की सर्विसेज़ शामिल हो सकती हैं ।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रजातन्त्र में हर कदम और हर नागरिक के अन्दर अगर आप प्रजातन्त्र को उतारना चाहते हैं तो हमें विकेन्द्रीकरण को इस तरह करना होगा कि प्रजातन्त्र अपने आप को किसी तरह वंचित नहीं करे और नया नया जो प्रजातन्त्र है वह व्यवहार में आ सके । जहां तक म्युनिसिपल बिल बनाते हैं उस समय हमें सामुहिक आवश्यकताओं की तरफ़ नज़र लगाने के साथ साथ इस बात पर भी नज़र डालनी होगी कि वह व्यवहारोचित रूप से चले और जो परम्परागत पुरानी परिपाटी चल रही है उसमें न जकड़ना चाहिये । हमें ऐसा चाहिये कि नीचे के स्तर पर प्रजातन्त्र पनपे और लोग स्वतन्त्रता से काम कर सकें और हर व्यक्ति की यह भावना हो कि वह प्रजातन्त्र को बढ़ाने में मदद दे । हमें किसी तरह से नियमों को ओतप्रोत करना है । जिससे हर व्यक्ति यह अनुभव करे कि प्रजातन्त्र स्वयं विकसित होता है और वह भी आत्मवंचना में घुस सकते हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें मौलिक कानून बनाना होता है । प्रजातन्त्र के मौलिक उसूलों पर चलना और विचारकों की व्यवस्था को इस प्रकार से ढालना चाहिये कि हम व्यवहारिक दृष्टिकोण को लेकर सारी सामूहिक आवश्यकता को देख कर हमें करना चाहिये ।

मैं यह मानता हूँ कि यह विधेयक जो आज पारित होने जा रहा है वास्तव में एक बहुत अच्छा है और इससे एक समाज व्यवस्था सारे राजस्थान में आ सकेगी । इस दृष्टि से यह सही कदम होगा, लेकिन आज हम आगे एमेन्डमेन्ट्स द्वारा नई नई चीजें करेंगे उसमें हमारा सच्चा दृष्टिकोण नहीं होगा । हमें टुकड़ों टुकड़ों में सोचना होगा लेकिन जिस तरह से सारे में सोच कर हम ठीक तरह बैठा सकते हैं वह चीज टुकड़ों टुकड़ों में करके नहीं कर पावेंगे ।

(समय समाप्त सूचक घंटी)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, यह बिल आज पारित होने जा रहा है । और जिस शकल से पारित होने जा रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं । खास कर इस बिल के सेलियेन्ट फीचर्स हैं, इस बिल की दो तीन बातें बहुत ही इम्पोर्टेन्ट हैं । एक इम्पोर्टेन्ट तो ऑब्लीगेटरी टैक्सेज़ का प्रोविजन रखा है वह है, दूसरा, नोमिनेशन को हटा कर इलेक्शन का प्रोविजन रखा है जिससे कि म्युनिसिपैलिटीज़

(श्री पी. के. चौधरी)

सही माने में डेमोक्रेटिक हो सकें इसका भी मैं स्वागत करता हूँ और तीसरी बात है जो इसमें रखी है म्युनिसिपल सर्विसेज़ के बारे में ।

जहां तक टैक्सेशन का सवाल है उसमें कुछ बातें ऑब्लीगेटरी टैक्सेज में ऐसी रखी हैं जिसमें कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमने ऑब्लीगेटरी टैक्सेज, प्रोफेशन एन्ड वोकेशन टैक्सेज़ रखे हैं। सेक्शन ६८ में ट्रेड एन्ड कॉलिंग्स का है। प्रोफेशनल एन्ड वोकेशनल में क्या फाइनल लाईन है उसको नहीं रखा है । प्रोफेशन एन्ड वोकेशन टैक्सेज में क्या क्या आवेंगे और ट्रेड एन्ड कॉलिंग्स में जिसको ऑप्शनल रखा है क्या क्या आवेंगे । इसको डिटरमिन करने का अधिकार एग्जीक्यूटिव के लिये रखा है ।

श्री सभापति : Does it involve any principles ? It is a matter of detail while we are discussing the principles of the Bill in the third reading. Hon'ble Member will please keep that in view. Yes, may proceed.

श्री पी० के० चौधरी : It is principle in the sense...

मानवीय सभापति महोदय, मैं कह रहा था वह यह है कि मैं इस बिल के डिटेल्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मेरा निवेदन है कि एग्जीक्यूटिव अधिकार छोड़ रखा है कि वह डिटेल्स को वर्क आउट करें क्लासिफाई करने के लिए । क्लासिफिकेशन से एग्जीक्यूटिव का क्या दृष्टि बिन्दु होना चाहिये वह इसमें नहीं है । ट्रेड एन्ड कॉलिंग्स का डिस्टिन्कशन है वह बहुत फाइन है। इसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो प्रोफेशन एन्ड वोकेशन में क्या इन्क्ल्यूड करेंगे और ट्रेड एन्ड कॉलिंग्स में किनको रखेंगे, अच्छी तरह इसको समझ कर रखना चाहिये। नहीं तो हो सकता है कि प्रोफेशन एन्ड-वोकेशन को ऑब्लीगेटरी टैक्सेज में रखा है फिर भी इसका जो पर्पज है वह एग्जीक्यूटिव की लापरवाही से डिफीट किया जा सकता है ।

प्रोफेशन में एक डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, इन्क्ल्यूड इसमें करना या न करना यह एग्जीक्यूटिव के हाथ में है। कोई एस्ट्रोलोजर है, कोई कान्ट्रेक्ट का बिजनिस करता है सिर्फ मेडीशिन्स, लॉ, ये ही प्रोफेशन्स नहीं हैं किन्तु दूसरे वोकेशन्स हैं। मान लीजिये सभापति महोदय, कि मैं स्पेकुलेशन का प्रोफेशन करता हूं, कोई ब्रोकर है, दलाल है, ये प्रोफेशन वोकेशन में आवेंगे या ट्रेड एन्ड कॉलिंग्स में आवेंगे इसको डिसाइड करना एग्जीक्यूटिव के हाथ में है। वे ही प्रोफेशन एन्ड वोकेशन को डिफाइन करेंगे कि कौन से कौन से प्रोफेशन एन्ड वोकेशन में आने चाहिए और कौन से कौन से ट्रेड एन्ड कॉलिंग्स में आने चाहिये। यह सारी जिम्मेदारी मन्त्री महोदय पर रहती है। हम बढ़िया लेजिस्लेशन पास कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ मन्त्री महोदय के ऊपर यह जिम्मेदारी रहती है, एग्जीक्यूटिव पर रहती है। सेक्शन ६७ को ऑब्लीगेटरी रखने का असली मकसद यह है कि म्युनिसिपैलिटी को सेल्फ सपोर्टेड बनाना चाहते हैं, उसको रिसोर्सेज देना चाहते हैं। जैसा सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने

(श्री पी. के. चधौरी)

कहा कि म्युनिसिपैलिटी को गवर्नमेंट का मुंह देखना पड़ता है। ऐसा प्रोविज़न उनके लिए होना चाहिए कि जिससे वे सेल्फ सपोर्टेड हों। उनके पास सफिसियेन्ट फाइनेन्सेज होने चाहिये। लेकिन in the same breath इसके साथ साथ यह भी कहा कि ऑब्लीगेटरी टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी के पास फन्ड्स हो। और उसके लिए गवर्नमेंट इन्तजाम करें और दूसरी बात कहते हैं टैक्सेज ऑब्लीगेटरी न हों। ये दोनों कान्ट्राडिक्टरी हैं। इस कानून को पास कर देने के बाद एग्जीक्यूटिव के जो एक्शन्स होंगे वे ऐसे होने चाहिए कि जो इसके पर्पज को डिफीट न कर दे। इसके लिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। प्रोफेशन वोकेशन में क्या क्या रखेंगे? There should be widest number of professions and vocations. डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशन इसमें होने चाहिये। मैं मानता हूं ट्रेड एन्ड कॉलिंग्स कम पर रहे। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य मावली से आये हैं उन्होंने इसको वैलकम किया है और एक माननीय सदस्य ने कहा है कि साहित्य एकेडेमी पर लागू नहीं होता, क्यों नहीं होना चाहिये? राइटर्स का एक एस्थेटिक आज कल काम नहीं है Writers look to the demand. It is a commercial activity. जैसे पब्लिशर्स हैं, ये सब कमर्शियल एक्टीविटीज़ हैं। प्रोफेशन एन्ड वोकेशन में राइटर्स और पब्लिशर्स भी आने चाहिये। उसकी जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव पर रहती है कि किसको लेना चाहिये और किसको नहीं। तो प्रोफेशन वोकेशन टैक्स का जो उसूल इसमें इन्क्ल्यूड किया है उसको सच्चा स्वरूप देना हो, सक्सेसफुल बनाना हो, तो यह सब जिम्मेदारी मंत्री महोदय पर रहती है और इन बातों को खयाल में रख कर जब रूल्स बनावेंगे तब उनमें प्रावधान रखना चाहिए।

दूसरी बात है स्टेट बिल्डिंग्स की। हम नहीं चाहते थे कि राजाओं की जो प्रोपर्टी है उस पर भी टैक्स लगे। किन्तु प्रोफिट मोटिव़ पर जो बिल्डिंग्स यूज होंगी उनके लिए राजाओं को टैक्स देने से एक्सक्ल्युड नहीं किया है, उसकी सराहना करता हूं। एग्जम्पशन का जो क्लॉज़ है उसके इम्पलीमेंटेशन का सवाल है। जिस शक्ल में रखा गया है अच्छा है। एक्जम्पशन में गवर्नमेंट को अधिकार दिये हैं कि ऑब्लीगेटरी टैक्सेज़ हैं उनसे म्युनिसिपैलिटी को एक्जम्पट कर सकती है, नहीं लगाये। कहने का तात्पर्य यह है कि एग्जम्पशन का गवर्नमेंट को अधिकार दिया है। उनका उपयोग ज्युडिशियसली करना चाहिये और इसमें एक ही दृष्टिबिन्दू रहना चाहिये। इसको पारित करते हुए जो दृष्टिबिन्दू रखा है उसके इस्तेमाल में भी वह दृष्टिबिन्दू रहना चाहिये और किसी पार्टी मोटिव से या किसी मोटिव से भी दीगर तरीके से इम्पलीमेंट नहीं होना चाहिये। इस तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

तीसरी बात आती है म्युनिसिपैलिटीज़ के कन्ट्रोल की। सभापति महोदय, कन्ट्रोल और डिज़ोल्यूशन का जो प्रोविजन रखा है वह इसलिये कि कभी इमर्जेन्सी सिच्युएशन अराइज हो जाय। जहां कन्ट्रोल का चेपटर है वहां इस बात का एग्ज़ीक्यूटिव को पॉवर्स दिया है। म्युनिसिपैलिटी के हरेक काम को

Page No.84

(श्री पी. के. चौधरी)

नलिफाइ करना एग्ज़ीक्यूटिव को अधिकार दिया है। यह बिल में प्रावधान नहीं किया कि इसका इस्तेमाल इमर्जेन्सी में करेंगे। कब करेंगे यह सब डिस्क्रीशनेरी पॉवर्स एग्ज़ीक्यूटिव के ऊपर छोड़ दिये हैं। सभापति महोदय, यह जो कन्ट्रोल का चेपटर है उसको अगर देखा जाय तो उसका बहुत कम प्रयोग होगा इन जुडिसियसली इसका उपयोग सारे बिल के पर्पज़ को डिफीट कर सकता है। एग्ज़ीक्यूटिव चाहे तो सदन जिस बिल को पास कर रहा है सारा का सारा बिल के ऑब्जेक्टिव्ज हैं एग्ज़ीक्यूटिव उसको नलिफाइ कर सकती है सिर्फ चेपटर १२ के अन्तर्गत। चेपटर १२ जो रखा है वह कन्ज़रवेटिव एटीट्यूड से रखा है। मेरी तो यह राय है कि यह रिस्क अपने को ही लेना चाहिये था। जहां हमने इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज लिये हैं उनके ऊपर इस प्रकार का स्टेफोल्ड नहीं लगाते तो ज्यादा अच्छा रहता।

जो हमने डेमोक्रेसी के प्रिन्सीपल को एक्सेप्ट किया वह यह है कि Government of the people, for the people and by the people. यह जो हमारा नक्शा है उसको प्राप्त करने का तरीका इस ढंग का है। The man in the street, the common man अब इसको किस ढंग से लेना है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पार्लियामेंट बनाई। फेडरल गवर्नमेंट के नीचे लोकल गवर्नमेंट पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज़ हम बना रहे हैं ताकि man in the street यानि गांव के हरेएक व्यक्ति के जो रोज बरोज के काम हैं डे-टू-डे लाइफ है उसके ऊपर कन्ट्रोल हो। सोशियल कन्ट्रोल हो। उसमें उसका डायरेक्ट शेयर होना चाहिये, the man in the street, the common man must have a control over the affairs of the Government. अब इसको कैसा लेना है? हम आस्ते आस्ते लेना चाहते हैं। हमने सबसे पहले सेन्ट्रल गवर्नमेंट बनाई। उससे कुछ कम पॉवर्स स्टेट गवर्नमेंट को दिये और उसी तरह आस्ते आस्ते हमने म्युनिसिपैलिटीज़ को पॉवर्स दिये हैं। धीरे धीरे सेन्ट्रल गवर्नमेंट जिस प्रकार से फंक्शन करती है उसी प्रकार के अधिकार आस्ते आस्ते हम लोकल युनिट्स को देना चाहते हैं और वे तब देना चाहते हैं जब कि man in the street यानि साधारण सिटीजन है उनकी इतनी ट्रेनिंग हो जाय खुद में सोशियल कॉन्शसनेस हो जाय the man must have a straight say in the social control of his economic and social life. उनका शेयर रहेगा। It is towards the good of the society. सोशियल आउट लुक हो जायेगा उसके बाद में ज्यादा पॉवर्स मिलते जायेंगे। जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है टेडेन्सी यह रही है कि पॉवर की जो हायर ऑथोरिटीज़ थी उनसे कुछ कम पॉवर्स स्टेट गवर्नमेंट को दी। उसी प्रकार पंचायतें लोकल बॉडीज को वे पॉवर्स डेलीगेट करते रहे। यह हमारा उसूल है। उसी उसूल को मानकर हमने इस म्युनिसिपल बिल में सारे पॉवर्स दिए हैं लेकिन हमने उस पर कन्ट्रोल इसलिए रखा है, हो सकता है म्युनिसिपल पोपूलेशन है they may not rise to the occasion and may not use these powers judiciously.

उनका जुडीशियस यूज कर दे ऐसी हालत में सरकार का कन्ट्रोल उस पर होना

(श्री पी. के. चौधरी)

चाहिये । इसमें एक चीज का ख्याल नहीं रखा है । जब हिन्दुस्तान में आजादी का आन्दोलन शुरू हुआ । अंग्रेज लोग यह बात कहते थे कि अभी आप लोग सेल्फ गवर्नमेंट के फिट नहीं हैं इसलिए हम आपको इन्डीपेन्डेन्स नहीं दे रहे हैं । कुछ दिनों पहले मैंने पं० नेहरू की एक किताब पढ़ी जिसमें लॉर्ड लोथीयन द्वारा लिखा हुआ पत्र देखा है । उसमें उसने लिखा है कि हिन्दुस्तान को आजादी दे दी जायगी उसके बाद हिन्दुस्तान की जो यूनिट है वह खत्म हो करके लिंग्विस्टिक बेसिस पर, कॉस्टरीलिजियस बेसिस पर यहां का फंक्शन्स होगा, उसके लिए उन्होंने लिखा है—Let your people be fit for it first. ऐसी चिट्ठी सन् १६३७ में लॉर्ड लोथीयन ने लिखी थी । उन्होंने शंकायें की थी, and he was replied 'let us kill ourselves' फिर भी इन्डीपेन्डेन्स चाहिये । मैं यह इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो स्टेट कन्ट्रोल के पॉवर रखे हैं वह हम लॉर्ड लोथीयन के दिमाग से चले हैं । हमने रिवोल्यूशनेरी एप्रोच के लिए नहीं लिया । गान्धीजी का एप्रोच लेना चाहिये था । जैसे कोई आदमी कहता है first you learn to swim and then we will allow you to swim. कभी तैराना नहीं सीख सकेंगे । यहां पर हमने सारे पॉवर्स म्युनिसिपैलिटी को दिए हैं उसके बाद भी सरकार का कन्ट्रोल रखा म्युनिसिपल बोर्ड पर । यह इसलिए कि सेन्स ऑफ रेस्पोन्सिबिलिटी लीक कर दे या कोई ऐसी बात हो जाय उसका उनको ख्याल रहेगा । ... ultimate responsibility is with the State Government.

जब तक आदमी के अन्दर सेन्स ऑफ रेस्पोन्सिबिलिटी न आये तब तक उसके एक्शन रेस्पोन्सिबल नहीं होंगे । म्युनिसिपल बोर्ड को अपने एक्शन में रेस्पोन्सिबल करने के लिए यह कन्ट्रोल का चैप्टर रखा गया है लेकिन ये राजस्थान में एक्सेपशनल होने चाहिये । ...It must be used only once in a blue moon.

राजस्थान में १५३ म्युनिसिपैलटियां हैं उन पर यह लागू करना है । It should not be more than once in a year or two. ऐसे यूज करेंगे तो मैं समझता हूं यह कन्टोल का चैप्टर है जिसको म्यूनिसिपल बिल में रख कर इस म्यूनिसिपल बिल को पारित कर रहे हैं उसको फुलफिल कर सकेंगे । अगर नहीं कर सकेंगे तो हमारा जो एम है उसको एग्जीक्यूटिव डिफीट कर देगी । एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आज जो हमारे में लोथीयान मेन्टेलिटी चल रही है उस हालत में इस म्युनिसिपल बिल को सफलता देना मैं समझता हूं कोई ऑर्डनरी स्टेज नहीं है । We have not risen up to the standerd.

साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो आज का ऑफिशियलडम है ... they also have not changed. उनमें भी पच्चीस वर्ष पुरानी ब्यूरोक्रेटिक मेन्टेलिटी रह गई । उनके दिमाग आज भी ब्यूरोक्रेट टाइप के बने हुए हैं । उनसे हम यह आशा नहीं रख सकते कि जिस पर्पज के लिए हम यह कानून पास कर रहे हैं उस पर्पज को वे डिफीट नहीं कर देंगे ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : चेयरमैन महोदय, और मन्त्री महोदय, देखा जाता है तो आज यह प्रश्न जो इस समय आ रहा है

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

इसमें न तो डिटेल में जाने की जरूरत है और जैसा चेयरमैन महोदय ने अपनी ओर से रूलिंग दे दिया था....

श्री सभापति : मेरा रूलिंग नहीं, नियम में लिखा है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : तो सिवाय प्रिन्सिपल के अलावा डिटेल में जाने की आवश्यकता कतई नहीं है।

और दूसरी बात यह है कि यह लास्ट रीडिंग है। इसमें इस बात की भी आवश्यकता है कि जो पहले विस्तारपूर्वक प्रश्न चल चुका है उसके लिये इसको थ्रेस-आउट करने के वास्ते थोड़े लब्जों में प्रत्येक को अपने भाव व्यक्त करने के वास्ते थोड़ा थोड़ा समय का जो प्रावधान है उसका मैं ज्यादा समय कतई नहीं लूंगा और मैं थोड़े टाइम में खत्म करूंगा।

मैं निवेदन करूंगा कि यह शहर, विलेज या टाउन को बनाने की यह नगरपालिका की आज की कोई नई चीज़ नहीं है। यह कोई रोम या इज़िप्ट से बनी हुई और कोई यूरोप की प्रणाली हो, यह बात भी नहीं है। भारत में इससे भी अधिक ठोस और सुचारू रूप में यह चीज़ थी। समय के फेर से हम पिछड़ गये। रामायण, महाभारत से लेकर आगे भी विष्णुगुप्त चाणक्य के बाद से और इसके बाद में जैसे कि हमारे पुराने काव्य ग्रन्थ हैं जैसे 'मुद्राराक्षस' से लेकर 'मालवीकाग्निमित्र' तक और आगे के भी वक्त में जो इसकी भारत में परिपाटियां थीं स्वायत्त शासन की, उसकी आज भी आज की यह यूरोपियन सभ्यता या अमेरिकन सभ्यता या उसके चरण चिन्हों पर चलने वाले, बराबरी नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों का समावेश भारत में अन्य स्थान पर न हो सकता हो पर थोड़ा बहुत राजस्थान में तो होने में कोई दिक्कत नहीं थी। आखिरी वक्त में हमारे इसी शहर के निर्माणकर्ता सवाई जयसिंहजी ने जो इस विषयक लाइन निर्धारित की वह भी इससे किसी कदर कम नहीं थी। उसी लाइन पर हम आज भी इस शहर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा तो निवेदन करना यह है कि मुझे बीस से १५ वर्ष का समय इस नगर के सेनिटेशन और म्युनिसिपल मिनिस्टर की हैसियत से कुछ अनुभव प्राप्त करते हुआ है और जिसके लिये मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिस ढंग से रोड होनी चाहिये, गलियां और मकान बनने चाहिये वे सारे तरीके यहां रखे गये हैं। इस नाते मेरा थोड़ा सा सजेशन और सबमिशन भी है मन्त्री मण्डल के वास्ते भी। भगवन् के वास्ते जहां तक हो कम से कम म्युनिसिपैलिटी को तो राजनैतिक चक्रों से कुछ दूर ही रखने की कोशिश की जावे। हमें डर है कि म्युनिसिपैलिटी के अन्दर सफाई आदि की अच्छी व्यवस्था न हो इसका उत्तरदायित्व इस राजनीति को है। पहले की राज सरकारों ने हमारे पुराने शासन में भी उन्होंने सब चीजें कीं पर म्युनिसिपैलिटी को और कानून को इन दोनों चीज़ों के वास्ते उन राजाओं ने भी नतमस्तक होकर केवल आगे बढ़ाने की कोशिश की। जिसके लिये आज भी हमारे शास्त्र यह कहते हैं।

एतद्देश प्रसूतस्य शकाशादग्र जन्मना।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्व मानवाः॥

तो यहां हमारे पुराने युग में शक, हूण

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

आदि दूसरी राज्य सभ्यताएं भी आई पर उन्होंने भी हमारी इस स्वायत्त व्यवस्था को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी ने इसमें बाधा नहीं डाली। पर आज समय का फेर हैं कि एक अक्सीडेन्टल सभ्यता के चक्कर में पड़ कर अधूरी अधूरी चीज़ों की नकल करके हम यह समझ रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। पर ऐसी हालत में क्या होगा, न तीतर न बटेर। यह स्थिति हो रही है और होगी।

मैं यह भी कहूंगा कि पुलिस के कानून व नियम लंदन और दूसरे मुल्कों की राजधानियों में हैं। उनको भी समझा जावे और अगर वे ठोस और अच्छे हों तो उन चीज़ों की भी नकल करने की जरूरत है, की जावे। मुझे दो म्युनिसिपैलिटियों का तजुर्बा है। एक तो जयपुर की का और दूसरी जोधनेर की म्युनिसिपैलिटी का। मैंने भी उसी जमाने में वहां नगरपालिका स्थापित कर दी थी जब कि वह यह हैंड ओवर और टेक ओवर भी नहीं हुआ था। वहां तहसीलदार और नाज़िम जो ऑफिसर काम करते हैं और वही हिसाब रखते है। तो मेरे जो थोड़े वर्ड्स हैं उनको वार्निंग के समझे जावें या निवेदन के समझे जावे। और वे ये हैं कि अगर म्युनिसिपैलिटी को अच्छी तरह चलाना है तो यह कागज काले यहां होते हैं और ये नियम निर्धारित होते हैं उनसे काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार और डिपार्टमेंट के अन्दर यहां के जो डेमोक्रेसी के या सम ऑफ डेमोक्रेसी के जैसे पुतले बना कर कोई चीज़ बनाते हैं तो मेहरबानी करके इसे तो दूर रखा जावे। राजनीति के फेर में इसे न डाला जावे। जयपुर की नगरपालिका का इलेक्शन का प्रश्न आज तक नहीं हल हो रहा है। इसको भंग करने का मामला आज तक यहां यों का यों चला आ रहा है। बहुत छोटे छोटे मामले जो हैं उनको वे चाहे बड़ा समझें लेकिन खाली कल जो प्रश्न था आपके सामने हाई कोर्ट का यहां से शिफ्ट करने का तो ऐसे प्रश्न को मैं तो बहुत मामूली प्रश्न समझता हूं और इस के वास्ते भी जिस समय जरूरत पड़े जैसे कि मानो बहुत बड़े काम के लिये जैसे जनरल अय्यूब ने जैसे वहां पाकिस्तान में हरएक चीज़ फौज को सौंप दी है वैसे यहां की म्युनिसिपैलिटी की हरेएक चीज को आज सरकार ने अपने हाथ में और पुलिस के हाथ में लेकर जो अनधिकार चेष्टा जैसी चीज़ करके आगे बढ़ाने का सवाल रहा है तो यह किसी भी सभ्य और सिविलाइज्ड गवर्नमेंट के लिये कोई खास गौरव की चीज़ न हो कर यह प्रत्युतर थोड़ी सी लज्जा की चीज़ का सवाल भी हो सकता है।

तो मेरा यह निवेदन है कि आइन्दा मन्त्री महोदय और उनकी सरकार जो यह विधान नगरपालिका का बना रहे हैं इसमें इस चीज़ को राजनीति से कम से कम दूर रखने की चेष्टा करें। मेरी ओर से तो यही निवेदन है।

श्री सभापति : We finish the Debate now.

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : ४-३० बजे जवाब देंगे।

श्री सभापति : काफी लोग बोल चुके हैं, जब जवाब भी देना पड़ेगा।

श्री गिरधारीलाल : मुझे कुछ जरूरी कहना है।

श्री सभापति : आप चाहते हैं कुछ बोलना तो पांच सात मिनिट ले लें । श्री गिरधारीलाल ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय चेयरमैन, हम इस समय नगरपालिका विधेयक को पारित करने जा रहे हैं । इससे पहले कि हम इसको पारित करें इन पर गंभीरता से सोच लेना लाज़िमी हो जाता है । सभापति महोदय, वैसे उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य ने इस बिल को काफी प्रगतिशील बताया है और यहां तक कह दिया कि हिन्दुस्तान में कोई ऐसी स्टेट नहीं है कि जिसने इस प्रकार का कोई प्रगतिशील विधेयक बनाया हो । सभापति महोदय, जहां तक हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेटों के बारे में सवाल है मैं इस पर जिक्र न करके यह बिल कहां तक प्रजातांत्रिक है और कहां तक प्रगतिशील बन पाया है इस विषय में दो शब्द कहना चाहूँगा । यह जो आपका नगरपालिका विधेयक है यह इतना प्रजातांत्रिक है कि जो नगरपालिका एक चुनी हुई संस्था है, जनता की चुनी हुई संस्था है, जनता ने उस नगरपालिका को चुना है उस नगरपालिका के किसी भी सदस्य को इस नगरपालिका विधेयक की धारा ५६ के अनुसार आप किसी भी समय हटा सकते हैं । सभापति महोदय, जहां तक एक व्यक्ति का सवाल है अगर वह किसी प्रकार का कोई गलत काम करता है और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है या उसको जो हमने शक्तियां दे रखी हैं उसका अनुचित लाभ उठता है तो उसको हटा देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती । लेकिन जिस तरीके का आपने इसमें प्रावधान रखा है उसमें स्पष्ट रूप से नीचे लिखा है कि हम उसको हटायेंगे । लेकिन राज्य सरकार की जो आज्ञा होगी वह अन्तिम होगी । वह आगे किसी कोर्ट में नहीं जा सकता, उसकी आगे अपील नहीं होगी । मैं समझता हूँ सभापति महोदय, इस प्रकार का प्रावधान रखना और राज्य सरकार के हाथ में इतनी शक्ति दे देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता । आज दिन पार्टी पॉलिटिक्स का मामला है । आज दिन राजनैतिक दल आपस में लड़ते हैं । नगरपालिका में दो दल होते हैं, पंचायतों में दो दल होते हैं, विधान सभा में दो दल होते हैं । हर जगह दो दल होते हैं । नगरपालिका में भी दो दल हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कांग्रेस पार्टी का बहुमत हो जाता है और कभी दूसरी पार्टी का बहुमत हो जाता है । कभी कभी ऐसा भी होता है कि केवल कांग्रेस पार्टी की ओर से एक व्यक्ति ज्यादा होता है या दूसरी पार्टी का एक व्यक्ति ज्यादा रहता है । मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ही नम्बर का फर्क रहता है तो उससे सरकार अनुचित लाभ उठा सकती है । तो आगे अपील नहीं होने से मैं समझता हूं कि यह जो बिल आया है और इसको उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने प्रगतिशील कहा है तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसको किस प्रकार से प्रगतिशील कहा जाता है । यह जो इस प्रकार की धारायें आपने इस विधेयक में रखी हैं वे अप्रजातांत्रिक हैं । एक सदस्य को आप हटाते हैं तो उसको पॉवर्स दी जानी चाहिए कि वह हाईकोर्ट में अपील करे । अगर आप उसको हटाते हैं केवल इतना कहने मात्र से कि उसने कर्तव्यों का पालन नहीं किया यह काफी नहीं है । उसको कमसे कम आगे अपील करने का मौका मिलना चाहिए ।

दूसरा उदाहरण माननीय सभापति

(श्री गिरधारीलाल)

महोदय, मैं यह दूंगा कि आपने बोर्ड को भंग करने के लिए अपने हाथ में पॉवर्स रखी हैं। मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह बिल किस प्रकार से प्रजातांत्रिक है। मैं यह मानता हूँ कि आज दिन बोर्ड में चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनमें कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि अपने पद से नाजायज़ फायदा उठाते हैं। उनके पास जो पॉवर्स होती हैं उनका हर तरह से अनुचित लाभ उठाते हैं और कई प्रकार की गड़बड़ियां करते हैं। लेकिन उसके लिए आप उस बोर्ड को भंग करिये, इसमें शक नहीं होना चाहिए लेकिन मैं समझता हूं कि आज की जो स्वायत्त संस्थायें हैं उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, उनके प्रतिनिधियों पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से हम प्रतिनिधि हैं उसी तरह से वे भी हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके लिए काफी माननीय सदस्यों ने मांग की कि बोर्ड को भंग करने के लिए ट्रिब्यूनल नियुक्त करेंगे उसमें हाईकोर्ट का जज उसका अध्यक्ष होना चाहिए और कोई नॉन ऑफिशियल उसका मेम्बर होना चाहिए, न कि सरकार के हाथ में इतनी पॉवर्स दे दें कि सरकार अपनी मर्जी से ट्रिब्यूनल नियुक्ति कर दे, किसी को मेम्बर बना दे, किसी को अध्यक्ष बना दे और जब जी में आये उस बोर्ड को भंग कर दे।

सभापति महोदय, इसी तरह से टैक्सों के बारे में है। इसके सम्बन्ध में मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा लेकिन एक बात का अवश्य जिक्र करूंगा कि जिस सिद्धांत को हमने स्वीकार किया है, जिस उद्देश्य के लिए हम बिल बनाते हैं वह उद्देश्य हम नगरपालिका विधेयक के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस बिल में साफ लिखा हुआ है कि आप छोटे से कर्मचारियों को जो कि हरिजन हैं उनको दण्ड दे सकते हैं। आप छोटे छोटे मकानों कि जिनका १० रुपयां महीने का किराया है उसके ऊपर आता है, उनके ऊपर आप टैक्स लगा सकते हैं। एक किसान जो अनाज लेकर आता है उस पर टैक्स लगायेंगे। एक माली के ऊपर जो कि कुछ साग सब्जी लेकर आयेगा उस पर टैक्स लगायेंगे। एक किसान अपने गाय बैल या पशु बेचने के लिए शहर आता है उस पर टैक्स लगायेंगे और दूसरी ओर राजाओं पर जिनके पास बहुत धन है, उनके मकान हैं जिनमें वे खुद रहते हैं या परिवार के सदस्य रहते हैं और जो गाड़ियां उनके खुद के प्रयोग में लाई जाती हैं, खुद बैठते हैं या परिवार के सदस्य बैठते हैं उन गाड़ियों पर या मकानों पर आप टैक्स नहीं लगाते हैं। मैं नहीं समझता कि आप किस प्रकार समाजवाद लायेंगे। ये छोटी बाते है लेकिन आप कहने और करने में इतना फर्क रखते हैं। इसका यह एक साफ उदाहरण है।

हम पैसेवालों को तो करों से मुक्त कर रहे हैं। आज जितने भी बोर्ड है वे कर्जे से दबे हुए हैं। राजस्थान सरकार हर तरह से पैसे देकर उन बोर्ड को चलाती है। राजाओं की जो अनापशनाप प्रोपर्टी है उस पर यह नगरपालिका टैक्स लगा सके, ऐसे पॉवर्स उसको राज्य सरकार को इस विधेयक के द्वारा देने चाहिये। आपने इस नगरपालिका विधेयक में ऐसा प्रावधान रखा है कि बोर्ड की सीमा के अन्दर जो कृषि लायक जमीन होगी तो उस पर टैक्स नहीं लेंगे। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि कोई गरीब व्यक्ति या मध्यम श्रेणी का

(श्री गिरधारीलाल)

व्यक्ति शहर में खेती नहीं करेगा। वह गांव में कर सकता है लेकिन जहां तक शहर के भीतर का प्रश्न है ऐसे आदमी फल या सब्जी उत्पन्न करेंगे जो कि रईस होंगे और वे अपनी सब्जी को बेचेंगे। ऐसे व्यक्ति गार्डन या दूसरी चीजें लगायेंगे जिससे उनको लाखों रुपयों की आमदनी होगी। लेकिन इसके अन्दर आपने ऐसा प्रावधान रखा है कि पता नहीं पड़ता कि इसको आपने किस उद्देश्य से रखा है। इससे यही साबित होता है कि उन जागीरदारों को जो कि म्युनिसिपल एरिया में गार्डन लगायेंगे या जिन्होंने गार्डन लगा रखे हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े गार्डन हैं उनको आप कर से मुक्त करना चाहते हैं।

इसी तरह की एक धारा आपने इस विधेयक में १३० रखी है। उसमें आपने जो यह कहा है कि कोई भी गाड़ी जिस पर सामान लाया जावेगा या कोई भी व्यक्ति अगर शहर की सीमा के भीतर कुछ सामान लावेगा तो इस नगरपालिका विधेयक के अन्तर्गत उस पर टैक्स लगेगा। जहां तक टैक्स का सवाल है वह ठीक है लेकिन आपने धारा १३० में ऐसा प्रावधान रखा है कि अगर टैक्स नहीं दे सकेंगे, अगर एक माली बेर या किसी प्रकार की चीज़ या किसान शहर की सीमा के अन्दर किसी प्रकार की कोई चीज लाता है तो अगर वह कर नहीं चुका सकता तो बोर्ड को पॉवर्स हैं कि जितना भी सामान होगा वह अपने कब्जे में ले सकता है और उसके बाद में बोली लगायेगा और वह जितने पैसे में भी सामान बेचा जावेगा उसमें से टैक्स काट करके बाकी के पैसे उसको दे दिये जावेंगे। गांव के लोग अनपढ़ लोग हैं, छोटे व्यक्ति हैं उनको कायदे कानूनों का पता नहीं होता और गांव से एक व्यक्ति आता है लकड़ी बेचने के लिए तो वह अपने साथ पैसे नहीं लावेगा। क्योंकि वह सोचता है कि लादा बेचकर पैसा इकट्ठा करेगा और उससे सामान वगैरह ले जावेगा। इस प्रकार की पॉवर बोर्ड को देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

४ म० प०

मैं एक मिनट और लूंगा। दूसरी ओर जो धारा ६८ है उसमें मन्दिरों और धार्मिक स्थानों को कर से मुक्त किया है। सभापति महोदय, सार्वजनिक स्थान में ऐसी कोई स्कूल हो या कोई ऐसी संस्था हो जिससे देश का निर्माण होता हो, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हों उनको कर से मुक्त करना चाहिए था। लेकिन जहां तक मन्दिरों का सवाल है. मेरे इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले मित्र नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आज के जमाने में भगवान गरीब नहीं हैं। समाजवाद के सिद्धान्त को मानते हैं तो छोटे छोटे कर्मचारियों को, रिक्सेवालों को और दूसरे ऐसे लोगों को जिनके पास खाने पीने के भी साधन नहीं हैं उनको कर से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े मन्दिर हैं, जो भगवान् नाथद्वारा या कॉकरोली में विराजमान हैं उनको कर से मुक्त करना उचित नहीं है। इसके साथ साथ मैं यह अर्ज़ करूंगा कि आपने छुट्टी दी है राजाओं को, महाराजाओं को और रईसों को। अगर आप इनको मुक्ति नहीं देते तो बड़े शानदार

(श्री गिरधारीलाल)

ढंग से यह बिल आ सकता था और काफी लोगों को फायदा हो सकता था। कुछ पॉवर्स आपने अपने हाथ में ले ली हैं और कुछ बातें ऐसी करदी हैं जिसके कारण इस बिल का महत्व इतना नहीं रहता जितना रहना चाहिये।

श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : सभापति महोदय...

श्री सभापति : What have you to say ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : सभापति महोदय, म्युनिसिपल बिल आज अपनी अन्तिम अवस्था में सदन के सामने है। इस संबंध में आज जो सदन में चर्चा हुई और माननीय सदस्यों ने अपनी विचार प्रकट किये उनमें मुख्यतः इसमें जो खराबियां बताई गई उनमें से एक तो कंपलसरी टैक्सेज़ के बारे में और दूसरी सुपरसेशन का जो इसमें प्रोविज़न है उसके बारे में कहा गया। सभापति महोदय मेरी ऐसी धारणा है कि जिस प्रकार से इस बिल का अन्तिम रूप हमारे सामने आया है, मैं समझता हूं हिन्दुस्तान की बहुत सी स्टेटस में जो म्युनिसिपल कानून मौजूद है उनके मुकाबले में इसमें हमने बहुत से ऐसे प्रावधान किये हैं जो प्रगतिशील है। बल्कि मैं यह कहूं कि भारत सरकार द्वारा अभी करीब ६ माह पहले एक महानुभाव की चेयरमैनशिप में एक कमेटी इस काम के लिये बैठाई गई थी कि वह सारे हिन्दुस्तान के म्युनिसिपल बिल्स को देखकर एक मोडल बिल तैयार करे। वह मोडल बिल हमारे पास भी आया हुआ है। मैं, सभापति महोदय, बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि हमारा बिल जो एसेम्बली के सामने था उसकी हूबहू नकल करके मोडल बिल बनाया गया है और सभी स्टेटस् को कहा गया है कि इसको एडोप्ट करो। जो बिल हमारे सदन के सामने था उसकी कॉपी हमने उनके पास भेजी थी और यह कहा था कि इस प्रकार का विधेयक हम पास करने वाले हैं। ज्यादातर इसी बिल के प्रावधानों को लेकर यह मोडल बिल बनाया गया है।

मैं समझता हूं इसमें नोमिनेशन को खत्म करके हमने रिजर्वेशन और कोप्शन का प्रोविज़न किया वह जिस प्रकार से भारत के विधान में प्रोविज़न है उसका ही समावेश हमने यहां पर किया है। साथ ही सर्विसेज़ के बारे में मैं समझता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, शायद जितने हमारे स्टेटस् के कानून हैं उनमें शायद ही इस प्रकार का कोई कानून हो जहां पर सर्विसेज़ को जिस प्रकार से हमने प्रोटेक्शन दिया है उस प्रकार का प्रोटेक्शन अन्य स्थानों पर दिया गया हो। सर्विसेज़ को जिस प्रकार से हमने प्रोटेक्शन देने की कोशिश की है उसमें राजस्थान लेवल पर केडर बना कर उनका अप्पॉइन्टमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, अन्य स्टेटस् में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। मैं समझता हूं डेमोक्रेसी की दृष्टि से प्रजातंत्र को हमने कायम किया है। विधान में जैसा प्रोविज़न है उसके अनुसार सर्विसेज़ को सिक्योरिटी की गारन्टी देना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रख

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कर उनको गारंटी देना प्रजातंत्र को मजबूत बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है और मुझे विश्वास होता है कि हमारे म्युनिसिपल बोर्ड जो हमारे प्रजातंत्र की नींव हैं उनको मजबूत करने में यह बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

इसके साथ ही अभी एक माननीय सदस्य ने इस बात की शिकायत की कि दफा ५६ में मेम्बर को रिमूव करने के पॉवर्स गवर्नमेंट को दिये हैं उनसे वे मनमानी तौर पर किसी को भी रिमूव कर सकेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इसको भी हमने डेमोक्रेटिक रूप दिया है और वह यह कि यदि किसी मेम्बर के विरुद्ध शिकायत है तो एक सेशन जज की स्टेटस का आदमी उसकी इन्क्वायरी करेगा और उसकी रिपोर्ट के अनुसार गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी। इससे बड़ा प्रावधान किसी भी कानून में देख लीजिये शायद ही मिलेगा। बहुत से माननीय सदस्य शिकायत करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे साधन के द्वारा मनमानी कर सकती है। मैं आज भी दावा करता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी बात कभी नहीं हुई है। फिर भी हमने सेशन जज को इन्क्वायरी करने का अधिकार दिया है और उसकी जांच की रिपोर्ट के अनुसार ही कार्य करेंगे। उनकी जांच से अलग कोई एक्शन नहीं लिया जायेगा....

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : गवर्नमेंट की आज्ञा अंतिम होगी। इसमें अपील का प्रावधान होना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हाईकोर्ट में रिट कभी भी की जा सकती है। लेकिन हमने यह रखा है कि सेशन जज या इन्डिपेन्डेन्ट व्यू का जुडिशियल ऑफिसर इन्क्वायरी करेगा। फिर भी कोई शिकायत करे कि गवर्नमेंट के पास बहुत से अधिकार होंगे तो बात अलग है। मैंने शुरू से जब कभी भी सिलेक्ट कमेटी में बात हुई यही कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मैं ब्लेंक चैक देने को तैयार हूँ। गवर्नमेंट ने कभी कोई आरबिट्रेरी पॉवर नहीं चाही है। सभापति महोदय, आपको ताज्जुब होगा सारे कानून में प्रावधान मौजूद है। जैसे रिविजन की पॉवर २१० में रखी है गवर्नमेंट के पास सभी स्टेट्स में यह पॉवर मौजूद हैं लेकिन हमने यह पॉवर गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर्स हैं उनको दी है। गवर्नमेंट के लिये तो कोई कह सकता है कि पार्टी का पक्ष लेंगे। लेकिन हमने इन्डिपेन्डेन्ट आई० ए० एस० ऑफिसर्स को यह पॉवर दी है, यह प्रावधान बिल में मौजूद है।

मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जब कभी माननीय सदस्य ने किसी भी माननीय सदस्य ने, वे कहीं भी बैठे हों, किसी ओर भी बैठे हों, मुझे कोई इस बिल के सम्बन्ध में सुझाव दिया कि यह बात ठीक है, गवर्नमेंट को यह पॉवर नहीं होनी चाहिए, म्युनिसिपैलिटीज़ को मजबूत बनाने के लिए यह सुझाव उपयुक्त है, तो मैं अर्ज़ करूंगा कि मैंने सुझाव की कभी उपेक्षा नहीं की। माननीय सदस्य जो कि रोज मेरे साथ बाद में बैठते हैं, उनके साथ बैठ कर विचार किया। वे महसूस करते हैं कि उनके किसी सुझाव की इस बिल की दृष्टि से उपेक्षा नहीं की। जितने माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे, भले ही वे यहां पर खिलाफत करें, मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूंगा, मैंने उनके किसी

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

सुझाव की इस बिल के सम्बन्ध में उपेक्षा नहीं की। माननीय सदस्य ने खड़े होकर यह कहा कि यह सुझाव मान लिया जाय तो मैंने उसे माना है। मैंने इसमें बड़ा डेमोक्रेटिक सिद्धान्त रखा है क्योंकि प्रजातंत्र का सिद्धान्त ही हमको आगे ले जाने वाला है। इस दृष्टि से, सभापति महोदय, राजाओं की प्रोपर्टी के सम्बन्ध में, गवर्नमेंट की प्रोपर्टी के सम्बन्ध में जो बिल में प्रोविज़न था वह यह था कि गवर्नमेंट की प्रोपर्टी पर, राजाओं की प्रोपर्टी पर टैक्स नहीं होगा। फिर भी हमने अमेंडमेंट किया है कि अगर कोई प्रोपर्टी प्रोफिट के लिए यूज़ करता है तो उस पर टैक्स लिया जायगा। यह अमेंडमेंट हमने स्वीकार किया है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि विधान में इस बात का प्रोविज़न है कि राजाओं की प्रोपर्टी पर टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए....

श्री गिरधारीलाल : विधान में प्रोविज़न है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कल, परसों मैंने अर्ज़ किया था, विधान की धारा पेश की थी। उसके मुताबिक टैक्स नहीं लगा सकते। वर्ना राजाओं की सारी प्रोपर्टी पर टैक्स लगा दें तो मुझे खुशी होती। मैं तो एक गांव का रहने वाला आदमी हूं। मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूं। मैं यह मानता हूं पर अर्ज़ करूंगा कि जिस तरह का प्रोविज़न हमने किया है वह क्वेश्चनेबल है। लेकिन क्योंकि माननीय सदस्यों की ख्वाहिश थी इसलिए प्रावधान किया है।

अब एक बात सुपरसेशन के बारे में अर्ज़ करूं कि जो पहले का प्रोविज़न है उससे एक कदम आगे हमने प्राग्रेस की है, यह ठीक बात है इसमें फर्क नहीं है। जो मौजूदा कानून है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास डाइरेक्ट पॉवर्स हैं कि किसी बोर्ड को डिज़ोल्व या सस्पेन्ड कर सकती है। अब हमने ट्रिब्यूनल का प्रोविज़न किया है और उसमें गवर्नमेंट एक बराबर की पार्टी होगी। इसमें यह है कि एक ट्रिब्यूनल बैठेगा और वह जो डिसीज़न देगा उसके मुताबिक सरकार कार्यवाही करेगी। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि ट्रिब्यूनल के डिसीज़न के खिलाफ काम करने की मन्शा नहीं है। हमारे यहां पब्लिक सर्विस कमीशन बना हुआ है। उसकी जो एडवाइज होती है हम उसकी एडवाइस को भी मानते हैं। इसी तरह जो ट्रिब्युनल बनेगा उसके डिसीजन के अनुसार कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे।

कम्पलसरी टैक्सेज़ के बारे में मैं समझता हूं यह प्रावधान हमने नया किया है। और एक्ट्स में यह नहीं है। इस बारे में मैंने अर्ज़ किया था कि यह प्रावधान करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी की दृष्टि से यदि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जनतन्त्र के विचार से काम रखना चाहते हैं तो म्युनिसिपैलिटीज़ की फाईनेन्सियल कन्डीशन अच्छी होनी चाहिए। मैंने इस बात को दो साल तक चेयरमैन रह कर अनुभव किया है। हम बोर्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह भी बड़ी मुश्किल से दे सकते हैं और गवर्नमेंट के सामने हाथ जोड़ कर बैठे रहते हैं कि किसी तरह की एड दो। मेरी मान्यता है कि जब से हमने टैक्स बढ़ाया हमारी आमदनी बढ़ी है। ऐसा मैं समझता हूं कि जिस तरह से

Page No.94

(श्री बद्रीप्रसदा गुप्ता)

चार वर्ष तक काम किया उससे जनता का विश्वास प्रजतंत्र के प्रति और म्युनिसिपल बोर्ड के प्रति ज्यादा से ज्यादा हमने बढ़ाया है। तो आज हम इस बात को मान लें कि हमको म्युनिसिपल बोर्ड की इन्कम नहीं बढ़ानी है और जहां तक फाईनेन्स का प्रश्न है सब कुछ गवर्नमेंट को देना चाहिए ? मैं अर्ज़ करूंगा कि जो और प्रान्तों में व्यवस्था है उस व्यवस्था को देखें। आज मेरे पास टाइम नहीं है फिर कभी मौका हुआ तो अर्ज करूंगा, वैसे और प्रान्तों में ग्रान्ट-इन-एड देने की व्यवस्था है और जो लोन और सब्सिडी देते हैं उसके मुकाबले में हमारे यहां लिबरेली काम किया जाता है। हमारे यहां जो ग्राट-इन-एड देने का बेसिस है वह और स्टेटस् में नहीं है। हम पोपुलेशन बेसिस पर ग्रान्ट-इन-एड देते हैं। इस प्रकार का प्रावधान कहीं नहीं है। मुझे यह बात जानकर दुःख हुआ कि यह कहा गया कि कुछ गवर्नमेंट की म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, उन्हें मनमाने तौर पर ग्रान्ट-इन-एड देते हैं और जो गवर्नमेंट की नहीं है उनको नहीं देते हैं। मैं अर्ज़ करूंगा कि हमने जो बेसिस बना कर रखा है, वह पोपुलेशन बेसिस है, उसके अनुसार ग्रान्ट-इन-एड देते हैं। छोटी म्युनिसिपैलिटी को १० आना पर हैड और बड़ी म्युनिसिपैलिटी को आठ आना पर हैड देते हैं। इस हिसाब से सबके साथ बराबर का बर्ताव हुआ है। यह प्रोविज़न गवर्नमेंट की तरफ से है, यह और कहीं नहीं है। जितनी आमद म्युनिसिपैलिटी की हम देखते हैं उसके बावजूद भी म्युनिसिपैलिटीज़ की हालत अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों है ? जनता म्युनिसिपैलिटी और गवर्नमेंट को एक मानती है। मैं भी मानता हूं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को चलाने के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। यह भारत के संविधान में दर्ज़ है। इसलिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जब कभी म्युनिसिपैलिटी की चाहे जोधपुर की हो या जयपुर की हो अगर तनख्वाह देने की भी पोज़ीशन नहीं हो तब क्या इलाज़ हो। इसके लिए हमने विचार किया है कि कुछ कम्पलसरी टैक्सेज़ हो। जितने भी म्युनिसिपल बोर्ड इलेक्ट हुए और उन्होंने जितने भी टैक्स लगाने की कोशिश की सबके खिलाफ़ एजीटेशन हुए। मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर हम म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रजातंत्र की दृष्टि से कामयाब करना चाहते हैं तो म्युनिसिपल बोर्ड के फाईनेन्सेज को ठीक करने के लिए नये टैक्सेज लगाने के लिए मैं जिस तरह से उत्सुक हूं उसी तरह से उत्सुक होकर इस काम में ज्यादा मदद करें ताकि लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कायम रहे। वर्ना यहां जनरल अयूब की बात कई बार कही गई है। पर मैं इस बात को मानता हूं कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत जो प्रजातंत्र की नींव है वे ठीक तरह से काम नहीं करेंगी, जनतंत्र में विश्वास नहीं रहेगा।

मैं इस बात को मानता हूं, एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं कि प्रजातंत्र हिन्दुस्तान में कायम हो, उसके लिए नींव मजबूत होनी चाहिए। जो हमारे लेवल पर कमी रहने वाली है इसके लिए मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है क्यों कि यह कानून हम बना रहे हैं, यह सदन की ओर से बन रहा है, इसको इम्पलीमेंट करने की जिम्मेदारी दोनों ओर बैठे हुए सदस्यों की है। यह कम्पलसरी

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

टैक्स लगाने का प्रोविज़न कर रहे हैं। यह इसलिए है कि म्युनिसिपैलिटीज़ की कन्डीशन अच्छी हो, इस बात को सोचकर हम सब लोग सहयोग दें। यह नहीं कि एक कानून बनाते हैं, वह सारे सदन का कानून होता है। उसके बारे में अभी से शक शुबाह और शंकायें करें। यह थोड़ी सोचने की बात है। जैसा कि माननीय सदस्य, जो बयाना से आने वाले हैं, ने बहुत सारी बातें दिखाने की कोशिश की। मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास करने में जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि इसको वर्क आउट करने में उतना ही सहयोग देंगे। इसकी जो धारा पास की है उसके सम्बन्ध में सारे सदन से अपेक्षा है और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का बिल बनाया है उसको मिल कर कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे। मैंने, सभापति महोदय, यह बात कई बार कही है कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में जो कुछ भी शक्ति गवर्नमेंट के पास थी उसको हमने बहुत ही तरीके से और कानूनी तौर पर प्रयोग में लाने की कोशिश की है। में समझता हूं कि कई बातें म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी रही हैं, जो ऐसी हुई हैं जिससे प्रजातंत्र को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। मैं आयन्दा के लिए विश्वास दिलाता हूँ माननीय सदस्यों को कि मैं लगातार और बराबर कोशिश करूंगा और मैं यह अपेक्षा भी आपसे करूंगा कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम किये जांय। लेकिन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को कामयाब बनाने के लिए, फाईनेन्शियल कन्डीशन को अच्छी बनाने के लिए हमारा सबका सहयोग होना चाहिए और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को कामयाब बनाना चाहिए, यह नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल में जो खूबियां है वे सदन की हैं और जो कमियां है वे मेरी कमियां है। मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूँगा और प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को पारित कर दिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७ पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

(करतल ध्वनि)

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७ पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही स्थगित किये जाने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि कल प्रातः काल १० बजे यहां से कुछ दूर नायला में एक प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्रीजी कर रहे हैं। इसलिए समस्त माननीय सदस्य वहां जाने के लिए निमंत्रित है। राजकीय प्रवास भवन से ९ बजे प्रातः काल वहां के लिए बस जायेंगी।

सदन की कार्यवाही कल १२ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ४ बजकर २० मिनिट पर गुरुवार दिनांक १६-४-५८ के १२ बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई)।

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार १५ अप्रेल, १९५९)

स्कम्भ

तरांकित प्रश्नोत्तर ७५१७

बांसवाड़ा में समाजवादियों पर लाठी चार्ज।

पूंगल (बीकानेर) के थानेदार गुरुबन्शसिंह के विरुद्ध शिकायत।

राजगढ–झुंझुनू सड़क पर रेलवे स्टेशन सादूलपुर के पास गेट।

जयपुर नगर विकास मण्डल के मेम्बर्स।

स्टेज केरेज द्वारा प्रतिदिन अधिकतम सफर की सीमा।

अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड द्वारा जयपुर शहर में प्लाट्स नीलाम।

कोटरी से खानों तक सड़क निर्माण।

राजस्थान सोशिलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष की गिरफ्तारी।

ग्राम वेड़ा शिवगंज बस सर्विस।

स्टेशन मास्टर फुरेला के विरुद्ध शिकायत।

ज़िला सवाई माधोपुर की सहकारी समितियां।

स्कम्भ

पुलिस विभाग के इन्सपेक्टर्स व व सब इन्स्पेक्टर्स की सिनियोरिटी लिस्ट में अनियमितता।

गायों की चराई पर टैक्स।

जयपुर हाईकोर्ट बेंन्च आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां।

दूदू तहसील पंचायत के चुनाव। स्वरूपगंज कोटरा सड़क।

ग्राम खुणखुणा तहसील नागौर में पुलिस द्वारा हरिजनों की मारपीट।

ज़िला जालोर में कपास की उपज़।

मेजा बांध से सिंचाई।

म्युनिसिपल बोर्ड भीनमाल द्वारा ठेकेदार की मारफत कराये गये कार्य।

बहुधन्धी सहकारी समिति, जीरोता खुर्द को सब-सीडी।

जालूपुरा के पास डाक कर्मचारियों को अलाट किये गये प्लाटस्।

स्तम्भ

बंध जमवारामगढ़ की नहर व नालों का जिर्णोद्धार।

सीकर पॉवर हाउस द्वारा बिजली के कनेक्शन।

जिला जल बोर्ड, भीलवाड़ा।

(कृपया संलग्न सूची देखिये)

स्थगन प्रस्ताव ७५८४

जालोर जिले के सांचोर क्षेत्र में पशु मेला न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित श्री लक्ष्मीचन्द के स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री ने इस विषय में एक वक्तव्य दिया।

विधायी कार्य

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७। ७५९१

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, मंत्री स्वायत्त शासन विभाग के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को पारित किया जावे, निम्नांकित सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये :—

१ श्री भैरोंसिंह (१४)
२ श्री श्रीमानसिंह

स्तम्भ

३ डॉ० चन्द्रकला
४ श्री हीराभाई
५ श्री मुक्तिलाल मोदी
६ श्री नरोत्तमलाल जोशी
७ श्री मुरलीधर व्यास
८ श्री जनार्दनराय नागर
९ श्री नारायणसिंह मसूदा
१० श्री पी० के० चौधरी
११ रावल श्री नरेन्द्रसिंह
१२ श्री गिरधारीलाल

स्वायत्त शासन मंत्री के उत्तर के पश्चात् राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७ सदन द्वारा पारित किया गया।

गुरुवार दिनांक १६ अप्रेल १९५९ की कार्य सूची।

१ दिनांक ४ अप्रेल, १९५९ को श्री मदनसिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर विचार।

इस सदन की सम्मति है कि सदस्य विधान सभा व तहसील पंचायतों के सरपंचों को यह अधिकार दिया जावे कि वे जनता की शिकायत पर पुलिस कस्टडी में होने वाले व्यक्तियों का निरीक्षण कर सकें।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०४७ का उत्तर देखिये)

S. No.	Name of Allotee	No. of Plot with name of Scheme		Approximate area of plot in sq. yards.	Rate of Busines per Rets acre.	Rate of B. N. per acre per	Rate of Application.	Date of Allotment
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Shri Ram Singh Postman	Fatah tiba	105 (small)	238	Rs. 8500/-	Rs. 265/10/-	8-3-1952	18-8-58
2	,, M. L. Goyal	Harijan Colony Hasanpura.	36	240	Rs. 1/- per sq. yd.	,,	2-9-1958	8-10-58
3	,, Mohan kumaar Mehta	'c' Scheme	P-10	1203	Rs. 8500/-	Rs. 212.3	17-9-58	29-10-58
4	,, Dr. L.R. Sarin	,,	P-11	,,	,,	,,	8-3-57	,,
5	,, Gordhan I. P. S.	,,	P-12	,,	,,	,,	2-4-57	,,
6	,, Rajwi Roop Singh	,,	P-13	,,	,,	,,	28-5-57	,,

1	2	3		4	5	6	7	8
7	,, Ram Singh Kaushik	,,	P-4	1192	,,	,,	2-6-58	,,
8	,, Ram Prasad	,,	P-14	1203	,,	,,	8-3-57	,,
9	,, Yogesh chandera Harit	,,	P-10	504	,,	,,	2-6-58	,,
10	Smt. Goari Poonia	Chomu	5	1255.5	,,	,,	23-10-58	,,
11	Shri L.N. Joshi	'c' Scheme	C-21	902	,,	,,	20-9-58	,,
12	,, Dr. Ray	,,	C-22	952	,,	,,	22-7-58	,,
13	,, Munnalal Arya	,,	C-23	950	,,	,,	24-2-58	,,
14	,, J. P. Arora	,,	C-24	977.5	,,	,,	27-5-55	,,
15	,, Rajeswar Pd. R.A.S.	Unaira Garden	1	1118.6	,,	,,	27-10-58	,,
16	,, Niranjan Lal	,,	2	1212.4	,,	,,	20-9-58	,,
17	,, Sheo Ram Jain R.A.S.	,,	3	1640	,,	,,	15-10-58	,,
18	,, UmaravMal Singhi	,,	4	1430	,,	,,	25-8-56	,,
19	,, Radhey shyam	,,	5	1500.4	,,	,,	30-1-58	,,
20	,, Mrs. M.N. Verma	,,	6	1509.9	,,	,,	20-1-58	,,

	1	2	3	4	5	6	7	8
21	,, Babu Lal Panghariya	,,	7	1549.4	,,	,,	23-1-58	,,
22	,, Dr. Rathor	,,	8	1377.7	,,	,,	8-5-57	,,
23	,, Dutta I. P. S.	,,	9	1276	,,	,,	13-6-58	,,
24	,, V. S. Bhatanagar	Behind Deaf & Dumb School	10	1333.3	As the record has been sent to the Sectt. It is not possible ,, to give the Dates.		,,	,,
25	Smt. Nauratan Verma	,,	11	,,	,,	,,	,,	,,
26	,, Chandrawati Devi	,,	12	888.8	,,	,,	,,	,,
27	Shri Chandra Sakher	,,	13	,,	,,	,,	,,	,,
28	,, Jaggnath Singh Mehta	,,	14	,,	,,	,,	,,	,,
29	,, Dr. Kakar	,,	15	860	,,	,,	,,	,,
30	,, Kriya Shanker	,,	16	707.7	,,	,,	,,	,,
31	,, Hari Narain	,,	16	,,	,,	,,	,,	,,
32	,, Dulpat Singh	,,	18	1380	,,	,,	,,	,,
33	,, Amer Singh Mehta	,,	19	1000	,,	,,	,,	,,

1	2	3	4		5	6	7	8
34	,, Gulab Singh	,,	20	,,	,,	,,	,,	,,
35	,, Ramjilal Gupta	,,	21	,,	,,	,,	,,	,,
36	,, Hari Chand Dhandia	,,	22	,,	,,	,,	,,	,,
37	,, Rajroop Tank	,,	23	1015	,,	,,	,,	,,
38	,, Ratan Lal Jain	,,	24	580	,,	,,	,,	,,
39	,, Santosh Chandra Jain	,,	25	600	,,	,,	,,	,,
40	,, Mehar Chand Dhandia	Behind Deaf and DumbSchool	26	600	,,	,,	,,	,,
41	,, Sashi Chand Sharma	Near Gita Bazar happy School	27	1000	8500	212.5	,,	29-10-58
42	,, D. P. Gupta	,,	28	,,	,,	,,	10-8-58	,,
43	Smt. Laxmi Bhatnagar	,,	29	,,	,,	,,	12-9-58	,,
44	,, Sita Bazaz	,,	30	,,	,,	,,	30-1-58	,,
45	Shri Mangi Lal Jain	,,	31	,,	,,	,,	June 58	,,
46	,, Rameswar Pd.	,,	32	,,	,,	,,	12-9-58	,,
							8-9-58	,,

1	2		3	4	5	6	7	8
47	„ Omesh Narain Saxena	„	33	„	„	„	30-1-58	„
48	„ Taj Bahadur	„	34	„	„	„	25-8-55	„
49	„ Harbinder Singh	„	35	„	„	„	28-2-57	„
50	„ Dr. Kailash Pareek	Barodia Scheme	2	„	„	„	9-8-58	„
51	„ Prem Chand	„	3	„	„	„	5-5-58	„
52	„ Atma Ram Sethi	„	4	„	„	„	10-5-57	„
53	„ Beny Singh Dhabai	„	5	„	„	„	14-10-58	„
54	„ Prahlad Rao R.A.S.	„	6	„	„	„	17-9-58	„
55	„ Bhogilal Pandya	„	7	„	„	„	„	„
56	Smt. Sarla Sinha	Beni Park Scheme	R-25	888.8	Rs. 6375/-	Rs. 150.10	„	„
57	Shri S. S. Vyas	„	R-21	„	„	„	8-7-58	„
58	„ L. N. Khatri	„	R-20	„	„	„	20-4-58	„
59	„ Satya Narayan	„	R-14	1200	„	„	22-8-58	„
60	„ Somnath Chanwala	„	R-33	860.8	„	„	25-8-58	„
61	„ Sajjan Singh Kothari	„	R-30	„	„	„	25-4-58	„

1	2	3	4	5	6	7	8
62 ,,	Bhavadish Prasd ,,	R-36	,,	,,	,,	25-8-58	,,
63 ,,	Prakash Chandra Jain ,,	R-48	,,	,,	,,	13-7-58	,,
64 ,,	K. C. Agrawal ,,	P-69	600	,,	,,	1-3-58	,,
65 ,,	Nanag Ram ,,	P-64	,,	,,	,,	4-2-57	,,
66 ,,	Radhey shyam ,,	P-65	,,	,,	,,	6-2-58	,,
67 ,,	G. D. Modi ,,	P-24	1200	,,	,,	8-11-56	,,
68 ,,	Dariste D. Lal ,,	P-29	600	,,	,,	12-1-56	,,
69 ,,	Jai Narain ,,	P-28	,,	,,	,,	16-12-57	,,
70 ,,	Mool Shankar Shastri ,,	P-67	,,	,,	,,	4-7-55	,,
71 ,,	Somnath Tikoo ,,	P-37	,,	,,	,,	9-9-58	,,
72 ,	T. N. Chaturvedi ,,	H-80	828.8	,,	,,	20-1-58	,,
73 ,,	Chouth mal Bala Bux ,,	H-77	,,	,,	,,	7-9-55	,,
74 ,,	Jai Narain Tambi ,,	H-57	,,	,,	,,	6-9-55	,,
75 ,,	M. P. Joshi ,,	H-54	,,	,,	,,	18-1-58	,,

Page No.104

1	2	3	4	5	6	7	8
76 ,,	Govind Shai Pareek	,, H-76	,,	,,	,,	14-7-55	,,
77 ,,	Nathu Ram	,, H-75	,,	,,	,,	15-7-58	,,
78 ,,	Bhanwar Lal Vyas	,, H-26	600	,,	,,	26-8-55	,,
79 ,,	Ganga Prasad	,, H-70	,,	,,	,,	10-8-58	,,
80 ,,	Ram Gopal	,, P-71	600	,,	,,	27-1-51	,,
81 ,,	Mohan Lal Vaidh	,, P-72	,,	,,	,,	13-11-58	,,
82 ,,	Hari Narain Bhatnagar	,, H-73	888.8	,,	,,	11-4-57	,,
83 ,,	Taj Narain Tikoo	,, H-71	,,	,,	,,	28-10-58	,,
84 ,,	Dr. A. N. Tikoo	,, H-72	,,	,,	,,	27-10-58	,,
85 ,,	Ram Kishore Steno	,, P-73	600	371	150.10	22-6-55	29-10-58
86 ,,	Ramesh Narain	,, P-49	,,	,,	,,	18-12-55	,,
87 ,,	M. L. Gupta	,, P-63	,,	,,	,,	4-2-57	,,
88 ,,	Kedar Lal Trivadi	,, P-48	,,	,,	,,	27-2-58	,,
89 ,,	Durga Prasad	,, P-50	,,	,,	,,	15-1-57	,,

1		2		3	4	5	6	7	8
90	,,	Sunder Singh	,,	P-56	,,	,,	,,	12-11-57	,,
91	,,	Trilokeswar Narain	,,	P-57	,,	,,	,,	13-1-55	,,
92	,,	Mahesh Narain	,,	H-70	888.8	,,	,,	14-9-57	,,
93	,,	Narain Prakash	,,	H-74	,,	,,	,,	3-9-58	,,
94	,,	Mrs. Manjuli Keran	,,	P-15	1300	,,	,,	15-9-58	,,
95	,,	Prabhu Dyal	,,	P-63	600	,,	,,	Sept.53	,,
96	,,	Khalid Mahmud	,,	H-20	888.8	,,	,,	15-9-58	,,
97	,,	Narain Veer	Hasanpura Scheme	1	426.4	8550/—	,,	15-5-52	5-11-58
98	,,	Paney Singh	Bani Park Scheme	C-14	4833	,,	,,	24-7-55	,,
99	,,	Sultan Singh I. P. S.	,,	C-7	5000	,,	,,	19-11-58	
100	,,	Umrao Kaoshik	'C' Scheme	J-50	576	,,	,,	9-12-58	,,
101	,,	Dhanna Lal Pujari	,,	J-49	666.6	,,	,,	18-10-55	19-11-59
102	,,	Rukmani Dewi	,,	J-48	333.3		,,	20-5-57	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
103 "	Brahma Nand Sukla	" H-25	422.77	"	"	June 1951	"
104 "	Surendra Sinha	" X-13	700	"	"	7-11-1958	"
105 "	Kistoor Mal Shah	Jaipur west 4	3.065 acras.	"	"	10-11-58	1-12-58

APPENDIX "B"

Date of Meeting.	Members present.
18. 9. 58.	Chairman, Shri K. N. Bhargava, Shri R. C. Sharma, Shri V. N. Kak, and Shri Sardarmal Singgi.
8. 10. 58.	-do-
29. 10. 58.	Chairman, Shri R. C. Sharma, Shri V. N. Kak, Shri Sardarmal Singhi and Shri P. N. Kaul.
5. 11. 58.	Chairman, Shri K. N. Bhargava, Shri R. C. Sharma, Shri V. N. Kak, Shri Sardarmal Singhi and Shri P. N. Kaul.
19. 11. 58.	Chairman, Shri R. C. Sharma, Shri V. N. Kak, Shri Sardarmal Singhi, and Shri P. N. Kaul.
8.	Chairman, Shri K. N. Bhargava, Shri R. C. Sharma, Shri V. N. Kak, Shri Sardarmal Singhi and Shri P. N. Kaul.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०६० का उत्तर देखिये)

१. उन्नत किस्म का कपास बीज, सी इन्दौर-१ एवं जी-१ करोला झकल, भावतरा, भाब, सांकड, जितलवाना, हाडेचा, बरनी, बगरा, गोल, मीनवाल, जालोर ब्लाक, जसवन्तपुरा, रानीवाड़ा, होतीगांव, धाना, भद्राजन, चूंड़ा पावटाउम्मेदपुर भूती आदि केन्द्रों से बांटा गया। इसके अतिरिक्त उन्नत किस्म का कपास बीज खरीदने वाले प्रत्येक किसान को १ रु० प्रतिमण के हिसाब से सब-सीडी (Sub-Sidy) दी गई।

२. उपरोक्त केन्द्रों से रासायनिक खाद-एमोनियम सल्फेट व सुपर फ़ासफेट, नकद व उधार बांटा गया एवं खाद का उपयोग बताने हेतु ग्राम बासड़ व सुन्यु में निशुल्क प्रदर्शन किये गये हैं।

३. कपास के पौधों को, लीफ़ रोलर, जैसीड़, एवं कपास की लाल लट आदि रोगों से बचाने के उपाय जीतपुरा, पदार कालापुरा, जसवन्तपुरा एवं गालाना आदि ग्रामों में किये गये। दवाइयों (Insecticides) पर मुल्य का केवल २५ प्रतिशत लिया जाता है।

———

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०६२ का उत्तर देखिये)

	कार्य	ठेकेदार का नाम जिससे कार्य करवाया गया	टेन्डर्स मांगने की तारीख।	नाम जिनके टेन्डर्स आये।
१,	स्टेशन से पूरे शहर तक करीब दो मील की सड़क के टूकड़े पर कारपेट का कार्य।	श्री रामसिंह	यह कार्य पी० डब्ल्यू० डी० के विभाग के मारफत करवाया गया था अतः इस विभाग को जानकारी नहीं है कि उस विभाग ने कब टेन्डर्स मांगे और किनके आये।	
२,	नगरपालिका कोर्टयार्ड, सार्वजनिक पेशाबघर, व होज का कार्य	श्री कादर खां	१४. ४, ५८	सिर्फ श्री कादर खां का।
३.	बारा श्याम मन्दिर से स्टेशन रोड़ तक।			
	१ सड़क व	श्री रामा पुत्र पाबूदान	बोर्ड के पास समय कम होने से टेन्डर्स नहीं मांगे गये और बोर्ड की देखरेख में कार्य करवाया गया।	

१	२	३	४
२ घौरा कटाई का कार्य	श्री रामा पुत्र पाबूदान	२५. ३. ५८.	१. श्री राम पुत्र पाबूदान । २. श्री रंगजी पुत्र अचता । ३. श्री तेजा पुत्र दरगा जी ।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, बुधवार दिनांक १५ अप्रैल, १६५६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
७५२४	२०	जवाय	जवाब
७५२५	११	वाका	वाकया
७५२६	१२	श्री मोगाजी भाई	श्री मोगजी भाई
७५३३	७	(कुशलकढ़)	(कुशलगढ़)
७५४६	१५	अप्र्वन्न	अप्र्वल
७५६७	१७	engire	enquir
७५७१	५	इस्न्पेक्टरों	इन्स्पेक्टरों
७५७१	अन्तिम से६	सनियोरिटी	सीनियोरिटी
७५८३	अन्तिम से १३	कोऑष्शन	कोऑप्शन
७६५४	अन्तिम से १३	जुडिशश	जुडिशियस
७६६३	६	विधेधयक	विधेयक
७६७७	६	two miMutes	tow minutes
७६८२	अन्तिम	हरेकए	हरएक
७६८७	१४	लब्ज़ो	लफ्ज़ो
७६६०	१३	चीड	चीज़
७७०३	१	(श्री बद्रीप्रसदा गुप्ता)	(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
७७०७	१	तरांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	५	गुरुबन्शसिंह	गुरुबक्शसिंह
७७०७	अन्तिम से ४	फुरेला	फुलेरा
७७०६	६	(कृपया संलग्न सूची देखिये)	विलोपित कीजिये
७७११	८	Mohan Kumaar	Mohan kumar
७७२२	६	सड़्क के टूकेड़	सड़क के टुकड़े